अष्टम माला, खंड 50, अंक 49

सोमवार, 15 मई, 1989

25 वैशाख, 1911 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां सत्र
(आठवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

61
2/1/90

(खंड 50 में अंक 41 से 49 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

सोमवार, 15 मई, 1989/25 वैशाख, 1911 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
विषय सूची (क)	2	"बुधवार, के स्थान पर "सोमवार, पढ़िये ।
	8	"विनर्णय" के स्थान पर "विनिर्णय" पढ़िये ।
9	7	"अधिसूचनाएं" के स्थान पर "अधिसूचनाएं" पढ़िये ।
33	14 और 20	"शिवराज पाटिल" के स्थान पर "शिवराज वी0 पाटिल" पढ़िये ।
37	नीचे से 2 और 14	"अबुल रशीद काबुली" के स्थान पर "अब्दुल रशीद काबुली" पढ़िये ।
38	3, 9 और 14	
40	अंतिम	"सोभनाथ चटर्जी" के स्थान पर "सोमनाथ चटर्जी" पढ़िये ।
42	4	"मधु दंडवत" के स्थान पर "मधु दंडवते" पढ़िये ।
43	5	"वीरेन्द्र सिंह राव" के स्थान पर "राव बीरेन्द्र सिंह" पढ़िये ।
79	12	"अयध्क्ष महोदय" के स्थान पर "अध्यक्ष महोदय" पढ़िये ।
80	12	"(संसोधन)" के स्थान पर "संशोधन" पढ़िये ।
87	नीचे से 2	"सयद शाहबुद्दीन" के स्थान पर "सैयद शाहबुद्दीन" पढ़िये ।
99	19	"पीठासीत" के स्थान पर "पीठासीन" पढ़िये ।
106	5	"अध्क्षय" के स्थान पर "अध्यक्ष" पढ़िये ।

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय-सूची

माला, खंड 50, तेरहवां सत्र, 1989/1910-1911 (शक)

अंक 49, बुधवार, 15 मई, 1989/25 वैशाख, 1911 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन संबंधी उल्लेख	1—9
सभा पटल पर रखे गए पत्र	9—15
राज्य सभा से सन्देश	15—16
श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव द्वारा उठाए गए विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में विनर्णय	16—19
सँविधान (चौसठवां संशोधन) विधेयक	19—80
पुर:स्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव	
श्री राजीव गांधी	19—30
श्री सी० माधव रेड्डी	30—40
श्री बसुदेव आचार्य	40—43
प्रो० मधु दंडवते	43—48
श्री दिनेश गोस्वामी	49—52
श्री एस० जयपाल रेड्डी	52—55
श्री सोमनाथ चटर्जी	55—57
श्री पी० शिव शंकर	57—66
श्री सैफुद्दीन चौधरी	66—68
श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव	68—69
श्री एन० वी० एन० सोमू	69—70
दिल्ली मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक	80
पुर:स्थापित	
नियम 377 के अधीन मामले ...	80—88
(एक) गोरख पुर (उत्तर प्रदेश) में सहजनवां से दोहरी घाट तक नई रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता	
श्री मदन पांडे	80—81
(दो) औषध कम्पनियों द्वारा जनता से ली गई अधिक	

पृष्ठ

धनराशि की उनसे वसूली किए जाने के लिए तुरन्त कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता

श्री राज कुमार राय .... 81—82

(तीन) मछुआरों को आयकर से छूट दिए जाने की आवश्यकता

श्री एस०जी० घोलप 82

(चार) हिमाचल प्रदेश के लिए एक स्वतन्त्र डाक सर्किल और रेल डाक सेवा डिविजन का गठन किए जाने की आवश्यकता

प्रो० नारायण चन्द पराशर 82

(पांच) मेट्रो रेल को टालीगंज से गारिया तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता

कुमारी ममता बनर्जी .... 82—83

(छः) तालकटोरा मार्ग और संसद मार्ग को जोड़ने वाले चौराहे पर श्रीमती इन्दिरा गांधी की प्रतिमा स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री के०आर० नटराजन 83

(सात) नरसिंहपुर से छतरपुर होते हुए खजुराहो तक रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता

श्री नन्दलाल चौधरी ... . 83—84

(आठ) उड़ीसा को उठाऊ सिंचाई परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री चिन्तामणि जेना 84

(नौ) रोसड़ा, बिहार में एक दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री राम भगत पासवान 84

(दस) तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में हैजे को फैलने से रोके जाने हेतु तुरन्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री कादम्बुर जनार्दनन 85

पृष्ठ

(ग्यारह) मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर किए जाने हेतु वहां उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री डाल चन्द्र जैन 85

(बारह) काली कुमाऊं (उत्तर प्रदेश) के एक स्वतन्त्रता सेनानी, कालू महर की स्मृति में उनके नाम पर एक डाक टिकट जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री हरीश रावत .... 85—86

(तेरह) "अपर सकरी जलाशय परियोजना" को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री कुंवर राम 86

(चौदह) बम्बई में रेल विभाग की भूमि से हटाए गए परिवारों का पुनर्वास किए जाने की आवश्यकता

श्री अमूप चन्द शाह 86

(पन्द्रह) दुग्ध उत्पादन बढ़ाए जाने हेतु राजस्थान के अलवर जिले में डेरी विकास राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशन की एक इकाई स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री राम सिंह यादव ... . 86—87

(सोलह) पंजाब के विभिन्न कस्बों से गुजरने वाली रेलगाड़ियां और अधिक चलाए जाने की आवश्यकता

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया 87

(सत्रह) आन्ध्र प्रदेश के प्रकासम जिले में वडारडू का एक तटीय पर्यटन स्थल के रूप में विकास किए जाने हेतु धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री सी० सम्बु 87

(अठारह) भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री सैयद शाहबुद्दीन ... ... 87—88

असम विश्वविद्यालय विधेयक .... **88—107**

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री एल० पी० शाही .... 88—89

श्री एन० टोम्बी सिंह ... ... 89—92

श्री हरेन भूमिज ... . 92—95

			पृष्ठ
श्री अजय विश्वास	....	....	96—97
श्री सोमनाथ रथ	....	....	97—99
कुमारी ममता बनर्जी	....	....	99—101
श्री समर ब्रह्म चौधरी	....	....	101—102
श्री सुदर्शन दास	....	....	102—103
खंडवार विचार पारित करने के लिए प्रस्ताव	....	....	106—107
श्री एल० पी० शाही	....	....	103—105
लोक लेखा समिति के सभापति की नियुक्ति के बारे में अध्यक्ष द्वारा टिप्पणियां	....	....	107—112

लोक सभा

सोमवार, 15 मई, 1989/25 वैशाख, 1911 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

[अनुवाद]*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों मुझे सभा को श्री माणिकलाल मगनलाल गांधी के दुःखद निधन की सूचना सभा को देनी है, जो कि भूतपूर्व बम्बई राज्य में पंचमहल निर्वाचन क्षेत्र से पहली और दूसरी लोक सभा के सदस्य थे। पहले वह 1937 और 1946 में बम्बई विधानसभा के सदस्य रहे।

वह एक वयोवृद्ध स्वतन्त्रता सेनानी थे और उन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा कई बार जेल गए।

एक विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने सहकारी आंदोलनों में बहुत दिलचस्पी दिखाई और वह अनेक वर्षों पर कई संगठनों से सम्बद्ध थे।

श्री गांधी का निधन 8 मई, 1989 को प्रातःकाल हुआ। वह 88 वर्ष के थे।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त करते हैं और मुझे आशा है कि सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति हमारी संवेदना प्रकट करने में मेरा समर्थन करेगी।

अब सभा अपना दुख व्यक्त करने के लिए कुछ क्षण मौन खड़ी होगी।

11.1 म०पू०

तत्पश्चात सदस्यगण कुछ देर मौन खड़े रहे।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैंने आपके समक्ष तीन मामले रखे थे, जिन पर मैंने आपका विनिर्णय मांगा था। उन पर अभी तक विनिर्णय नहीं दिया गया है। मैंने रिकार्ड की जांच की है। उदाहरण के लिए एक मामला लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति से सम्बन्धित है और आपने कहा था कि मामला विचाराधीन है और सभा की बैठक समाप्त होने से पूर्व आप अपना विनिर्णय दे देंगे।

दूसरे, जहां तक भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का सम्बन्ध है, आपने कहा था कि आपने मन्त्री महोदय को भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट शीघ्र ही सभा पटल पर रखे जाने के निदेश दिए हैं। उन्होंने आपको यह नहीं बताया है कि यह काम कितनी जल्दी होगा।

अन्तिम बात यह कि 10 मई को आपने नियम 389 के अधीन 'अध्यक्ष द्वारा निदेशों' में किए गए कुछ संशोधनों को परिचालित किया था, जिसके अन्तर्गत आपको संशोधन करने का अधिकार है। किन्तु महोदय, सामान्यतः जब ऐसे संशोधन किये जाते हैं, जिसके परिणाम दूरगामी हों और जिनसे संसद सदस्यों के काम-काज में बाधा पड़ती हो तब बेहतर यह होगा कि 'अध्यक्ष के निदेशों' में आप जो संशोधन करने जा रहे हैं उसके लिए विपक्षी दलों के नेताओं तथा कांग्रेस के नेता को बुलाकर उनके बारे में चर्चा करें क्योंकि इससे निश्चित रूप से गुप्त दस्तावेज पेश करने सम्बन्धी तथा पूछे जाने वाले प्रश्नों के वाद-विवाद में बाधा पड़ेगी और मेरे विचार से सम्भवतः अध्यक्ष के निदेशों में संशोधन के परिणामस्वरूप सभा के कार्य पर इसका प्रभाव पड़ेगा। मैं इस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे उन्हें उत्तर देने दीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : श्री मैफुद्दीन चौधरी द्वारा किए गए प्रश्न के उत्तर में आपने इस सभा में स्पष्ट रूप से कहा था—वह जानना चाहते थे कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट सभा पटल पर कब रखी जाएगी'....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे उनके प्रश्नों का उत्तर देने दीजिये।

श्री बसुदेव आचार्य : आपका उत्तर स्पष्ट था। वह सकारात्मक था। आपने 'हां' कहा था।

अध्यक्ष महोदय : मैं जो कुछ कहता हूं मैंने उससे कभी इन्कार नहीं किया है। मैंने कभी अपनी बात से इन्कार नहीं किया है। मैंने जो कुछ कहा था, वह कार्यवाही वृत्तांत में है। मैं अपनी बात से इन्कार नहीं कर रहा हूं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : आपने निदेश दिया था।

अध्यक्ष महोदय : पहली बात लोक लेखा समिति के बारे में है। मैं इसे अन्तिम रूप दे रहा हूं और मैं यह काम आज ही करूंगा।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : कब ?

अध्यक्ष महोदय : आज आपको मिल जाएगा।

श्री वसुदेव आचार्य : किस समय ?

अध्यक्ष महोदय : आज ही।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : मैंने पहले सभा में जो कुछ कहा था मुझे आशा है कि आपने उस पर भी विचार किया होगा।

अध्यक्ष महोदय : वह कार्यवाही वृत्तांत में है। दूसरी बात भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट के बारे में है। मैं जो कुछ कर सकता था, मैंने किया है। मैं केवल यही कह सकता हूं कि नियमों के अनुसार मैंने विपक्ष तथा सत्तारूढ़ दल से उस बारे में कहा है कि नियम यह है और तदानुसार यह काम शीघ्र किया जाना चाहिए। यही बात कही गई थी।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : प्रधानमन्त्री सदन में उपस्थित हैं। प्रधानमन्त्री हमें इसका जवाब दें। आप प्रधानमन्त्री से पूछिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान मत डालिए। मेरी बात सुनिए। मैं कुछ कह रहा हूं। मैंने सभा में पहले भी यह कहा था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सब क्यों चिल्ला रहे हैं ? मैं आपको जवाब दे रहा हूं। आप सब एक साथ क्यों बोल रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : क्या सरकार ने आपको बताया है कि वे क्या करने जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं जो कुछ कर सकता था, मैंने किया। यदि मैं अपनी कही बात से पीछे हटूं, तब तो मैं जवाब देह हूं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नियमों में ऐसा कुछ नहीं है। मैं उन्हें बाध्य नहीं कर सकता। मैं जो कर सकता था, मैंने किया। यदि आप सुनना नहीं चाहते····

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ सम्मिलित नहीं किया जा रहा।

(व्यवधान)*

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : महोदय, मुझे कोई नोटिस नहीं मिला है। मैं नहीं जानता था कि यह मामला आज सभा में उठाया जाएगा। (व्यवधान)

क्या आप मुझे बोलने की अनुमति देंगे ? मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिये। (व्यवधान)

श्री अमल दत्ता (डायमंड हार्बर) : वह पहले ही से यह बात जानते हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखिये, एक आदमी बोलेगा तो आदमी सुनेगा भी। अब आप सारे बोलेंगे तो न तो उनकी बात सुनूंगा न और किसी की भी बात सुनूंगा।

[अनुवाद]

उन्हें बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मैं इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी लेकर पुनः इस सभा में आऊंगा। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : उन्होंने जो कुछ कहा है, हमें वह समझ नहीं आया है। क्या उन्होंने यह कहा है कि वह इसका कुछ स्पष्टीकरण देंगे ? क्या उन्होंने ऐसा कहा है ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आज इस सत्र का अन्तिम दिन है। (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, हम चाहते हैं कि रिपोर्ट आज ही सभा पटल पर रखी जाए। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : उन्होंने जो कुछ कहा है, हम वह सुन नहीं पाए। क्या उन्होंने यह कहा है कि वह आज ही सभा में रिपोर्ट पेश कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री वी० किशोर चंद्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : महोदय, एक बार रिपोर्ट तैयार होने पर सरकार को रिपोर्ट में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है, वे रिपोर्ट को सभा पटल पर रखने से हिचकिचा क्यों रहे हैं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं जो कुछ कर सकता था, मैंने कर दिया है।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : प्रसंस्करण से क्या अभिप्राय है ? (व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रसंस्करण में 'हेर-फेर' भी शामिल है ? (व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री दिनेश गोस्वामी (गुवाहाटी) : महोदय, आपने सरकार को यह निदेश दिया था कि रिपोर्ट शीघ्र सभा पटल पर रखी जाये। स्पष्टत: यदि आपके निदेश का पालन किया जाता तो यह आज ही सभा पटल पर रखी जानी चाहिए क्योंकि संसद का सत्र मानसून सत्र से पहले नहीं होगा। हम नहीं जानते कि मानसून सत्र होगा भी या नहीं। इसलिए हम जानना चाहते हैं कि आपके निदेश का पालन क्यों नहीं किया गया। उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : उनकी क्या प्रतिक्रिया है ? (व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी : कम से कम, इतना जानने का तो अधिकार हमें है। (व्यवधान)

श्री अमल दत्ता : माननीय प्रधान मन्त्री ने नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक के अधिकारियों से रिपोर्ट में परिवर्तन करने को कहा है। (व्यवधान)

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : महोदय, माननीय सदस्य आरोप लगा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि या तो वह अपना आरोप साबित करें अथवा त्यागपत्र दे दें (व्यवधान)

श्री अमल दत्ता : आरोप सिद्ध करना मेरा काम नहीं है। आप इसका खण्डन कीजिये। (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : महोदय, माननीय सदस्य ने, सम्भवत: मैं 'माननीय' कह कर गलत शब्द का उपयोग कर रहा हूं। मुझ पर आरोप लगाया है.....(व्यवधान) यदि आप चुप रहें तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। माननीय सदस्य ने मुझ पर आरोप लगाया है कि मैंने प्रतिवेदन में हेरफेर करने के लिये अधिकारियों को निदेश दिए हैं।

श्री अमल दत्ता : जी, हां।

श्री राजीव गांधी : मैं सदस्य को चुनौती देता हूं कि वह इसे प्रमाणित करें। यदि इसमें थोड़ा भी सत्य है तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। सदस्य एक**.....मैं जानता हूं कि यह असंसदीय है। मैं दोहराऊंगा। सदस्य एक** (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : असंसदीय शब्द कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : इसे सभा पटल पर न रखने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है? आप इसे सभा पटल पर क्यों नहीं रख रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : माननीय सदस्यों का सत्य से कोई सरोकार नहीं है। आपको याद होगा, पिछले वर्ष इसी सभा में हमने एक तर्क दिया था, तब एक सदस्य द्वारा एक रिपोर्ट सभा पटल पर रखे जाने पर मैंने प्रश्न किया था उन्होंने कहा था कि वह रिपोर्ट को प्रमाणित करेंगे। लेकिन रिपोर्ट गलत निकली। क्या उस सदस्य ने कुछ किया ? विपक्ष के सदस्य झूठे मामले उठाने के आदी हैं। वे सत्य पर डटे रहने के आदी नहीं हैं। (व्यवधान)

मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि मैंने प्रतिवेदन में हेर-फेर करने के लिए हिदायतें दी हैं। मैं इसका प्रमाण चाहता हूं। वह इसका प्रमाण प्रस्तुत करें। महो-

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

दय, एक अन्य अवसर पर····(व्यवधान) एक अन्य अवसर पर मेरे मंत्री श्री पी०आर० दास मुंशी तथा एक माननीय सदस्य के बीच मतभेद था। इस सभा में हम इस बात पर सहमत हुए थे कि जो भी गलत होगा, वह इस्तीफा दे देगा। लेकिन विपक्ष के इस माननीय सदस्य ने इस्तीफा नहीं दिया है। विपक्ष के इन सदस्यों को स्वयं पर**(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव : माननीय प्रधान मन्त्री ने कहा है····(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : क्या उन्होंने इन्कार किया है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आरोप तथा उन असंसदीय शब्द कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : महोदय, मैं प्रतिवेदन के बारे में बोलूंगा। आप प्रतिवेदन के बारे में जानना चाहते है, मैं प्रतिवेदन पर ही बोलूंगा। मुझे अवसर तो दीजिए···(व्यवधान) यदि वे इसमें रुचि नहीं रखते तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह प्रतिवेदन के बारे में कुछ कहना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री सी० माधव रेड्डी : (आदिलाबाद) : यदि वह प्रतिवेदन के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो हम उन्हें सुनना चाहेंगे। (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : महोदय, उनकी इसमें रुचि नहीं है, मैं बोलना नहीं चाहता। (व्यवधान) यदि उनकी रुचि है और वे व्यवधान डालेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। महोदय, धन्यवाद, मैं नहीं बोलूंगा। (व्यवधान)

श्री अमल दत्ता : यह तो न बोलने का बहाना है। (व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हम व्यवधान नहीं डालेंगे। हम हाथ जोड़े खड़े रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय : वे सुनने के इच्छुक हैं।

श्री राजीव गांधी : सरकार को प्रतिवेदन अप्रैल के अन्त में मिला था। दो सप्ताह से थोड़ा अधिक समय से यह प्रतिवेदन हमारे पास है। मुझे बताया गया है कि पहले एक प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने से पहले इसका अध्ययन करने में लगभग तीन सप्ताह लगते रहे हैं। हम प्रतिवेदन का अध्ययन कर रहे हैं। महोदय सरकार एक प्रक्रिया का अनुसरण करती है मैं आपको तथा आपके माध्यम से सभा को आश्वस्त करता हूं कि प्रतिवेदन में कोई हेरफेर नहीं किया गया है। मैंने सदस्य द्वारा लगाए गए आरोप को बड़ी गंभीरता से लिया है, हालांकि विपक्ष के सदस्य किसी प्रमाण या साक्ष्य के बिना ही बोलना पसन्द करते हैं। हमारा इस प्रकार बोलने में विश्वास नहीं है······(व्यवधान)····प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में कोई अनावश्यक देरी नहीं हुई है। अन्य प्रतिवेदनों को देखिए, इनमें कोई अन्तर नहीं है। मैं सभा को आश्वस्त करता हूं कि इसमें कोई हेरफेर

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

नहीं किया गया है।

श्री अमल दत्ता : क्या आप इस बात से इन्कार कर रहे हैं कि आप महा लेखा परीक्षक के कार्यालय के अधिकारियों से मिले थे ? आपका महालेखा परीक्षक के कार्यालय के अधिकारियों से मिलने का कोई मतलब नहीं है ··(व्यवधान) वह इससे इन्कार करें। उन्होंने इसका खंडन नहीं किया है। मुझे यह साबित करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधान मंत्री को इसका सभा में खंडन करना चाहिए। वह इसका खंडन नहीं कर रहे हैं, यह कार्यवाही—वृतान्त में सम्मिलित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : आरोप लगाना सरल है। कोई भी आरोप लगा सकता है।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : माननीय प्रधान मंत्री ने हस्तक्षेप के दौरान उनके तथा श्री उन्नी कृष्णन के बीच चुनौतियों तथा प्रति-चुनौतियों का उल्लेख किया था और उन्होंने इस बारे में जोर देते हुए कहा था। ये बातें विशेषाधिकार समिति के विचाराधीन हैं। इसलिए वह विशेषाधिकार समिति के निष्कर्षों का पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। वह विशेषाधिकार समिति के विचाराधीन किसी मामले का उल्लेख नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : मेरे साथी श्री उन्नीकृष्णन से संबंधित जिस मामले का प्रधान मंत्री जी ने उल्लेख किया है वह विशेषाधिकार समिति के पास है। मैं सभा को यह बताना चाहूंगा कि विशेषाधिकार समिति ने इस मामले को छोड़ दिया है।

···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : समिति के कार्यकरण पर आक्षेप मत कीजिए। आप समिति पर आक्षेप कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रोफैसर साहिब संसदीय समाचार में छपे अध्यक्ष के निदेशों में संशोधन के बारे में आपके तीसरे मुद्दे के बारे में, मैंने कुछ नहीं किया है। यह सब नियम समिति द्वारा किया जाता है।

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष के निदेश ?

अध्यक्ष महोदय : उन पर भी वहीं विचार किया जाता है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, तब तो हमें गंभीर आपत्ति है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसमें इन्कार नहीं कर रहा हूं। आपको आपत्ति हो सकती है। लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि हमने काफी चर्चा की है। जो समिति के सदस्य नहीं हैं उन्हें भी आमंत्रित किया जाता है और उनके सुझावों का भी स्वागत है। वे वहां आते हैं और अपने सुझाव देते हैं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : इसमें कुछ त्रुटि नजर आती है। दो समाचार हैं जहां तक नियमों का

संबंध है लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों में संशोधन के संबंध में यहां यह कहा गया है कि इन्हें लोक सभा द्वारा अनुमोदित किया गया है तथा उक्त नियम यहां प्रकाशित किए गए हैं।

जहां तक अध्यक्ष के निदेशों में संशोधनों का संबंध है, सिर्फ यही कहा गया है कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के अधीन अध्यक्ष के निदेशों में संशोधन केवल इतना ही कहा गया है। यहां, यह कहा गया है कि वे लोक सभा के सम्मुख रखे गए और उन्हें स्वीकृत किया गया। नियम 389 के अन्तर्गत आपके पास जो भी शक्तियां हों, आपने ऐसा किया है ··

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : इन्हें नियम समिति द्वारा स्वीकृत किया गया है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, क्या मैं आप द्वारा इस बारे में निर्णय देने से पहले कुछ और कह सकता हूं ? मैं 10 मई के इसी समाचार (बुलेटिन) का उल्लेख कर रहा हूं। लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 389 के अनुसरण में अध्यक्ष ने निम्नलिखित संशोधन किए हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसी का उत्तर दे रहा हूं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : इसलिए केवल अध्यक्ष ही उत्तरदायी हैं।

अध्यक्ष महोदय : यद्यपि मैं यह स्वयं कर सकता हूं लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने इसे नियम समिति के सम्मुख रखा। नियम समिति में कभी भी मत-विभाजन नहीं हुआ है। सभी कार्य सर्व-सम्मति से किए जाते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं स्वयं यही कह रहा हूं। मैं इससे इन्कार नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप अब भी संशोधन दे सकते हैं इस पर पुनः समीक्षा की जा सकती है। इस बारे में कोई समस्या नहीं है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हम तो अध्यक्षपीठ से सिर्फ यही आश्वासन चाहते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : इस सभा में श्री फिरोज गांधी ने जो रियायतें प्राप्त की थीं हम उन्हें खोना नहीं चाहेंगे। हम अपने अधिकारों की रक्षा करना चाहेंगे।

श्री वसुदेव आचार्य : सरदार बूटा सिंह के विरुद्ध मेरे विशेषाधिकार के मामले का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में विनिर्णय दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय। मैं आज विनिर्णय दे दूंगा कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अभी विनिर्णय दूंगा। आप इसके लिए बार-बार क्यों पूछ रहे हैं ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, आज इस सत्र का अन्तिम दिन है। अखिल भारतीय भाषा संरक्षण समिति के पांच स्वय सेवक आमरण अनशन कर रहे हैं। आज 17 वां दिन है। गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पी० चिदम्बरम से उनकी एक बैठक हुई थी। कुछ सहमति हुई थी लेकिन एक अत्यन्त तकनीकी मुद्दे पर बातें टूट गई। वे चाहते हैं कि पहले सरकार कोई वक्तव्य दे और बंसी महोदय चाहते हैं कि वे पहले हड़ताल वापस लें। क्या किया जाए ? यदि वे मर जाएंगे तो

स्थिति पूर्णतया बिगड़ जाएगी। प्रधान मंत्री यहां उपस्थित हैं। आप कृपया इस मामले पर प्रधान मंत्री से बात करें।

अध्यक्ष महोदय : मैं मानवीय आधार पर प्रधान मंत्री से अनुरोध कर सकता हूं।

श्री राजीव गांधी : मैंने इसे नोट कर लिया है। हम इस पर विचार करेंगे।

11.21 म०प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 तथा आयकर (तृतीय संशोधन) नियम, 1989 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं।

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एड्आर्डो फैलीरो) मैं श्री अजीत पांजा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 357 (अ), जो 14 मार्च, 1889 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 10 सितम्बर 1982 की अधिसूचना संख्या 210/82-सी० शु० तथा 30 दिसम्बर, 1986 की अधिसूचना संख्या 513/86 सी० शु० की वैधता अवधि 30 सितम्बर, 1989 तक बढ़ाई गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० का० नि० 410 (अ), जो 31 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 21 अप्रैल, 1990 की अधिसूचना संख्या 11/84 सी० शु० की वैधता अवधि 31 मार्च, 1990 तक बढ़ाई गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० का० नि० 411 (अ), जो 31 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अप्रैल, 1986 की अधिसूचना संख्या 234/86-सी० शु० की वैधता अवधि 31 मार्च, 1990 तक बढ़ाई गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० का० नि० 446 (अ) तथा सा० का० नि० 447 (अ), जो 13 अप्रैल, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एक क्षति-ग्रस्त वायुयान की खोज, उसके बचाव, (रक्षण), अन्वेषण, मरम्मत अथवा उबार के उद्देश्य के लिए कुछ शर्तों के अध्यधीन कुछ विनिर्दिष्ट माल पर, जबकि उसका भारत में आयात किया गया हो, उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमा-शुल्क तथा अतिरिक्त और उपकरी शुल्क से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[पुस्तकालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 7969/89]

(2) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत आय-कर (तीसरा संशोधन) नियम, 1989, जो 1 मई, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 315 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 7970/89]

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 354 (अ), जो 13 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय 1 मार्च, 1989 की अधिसूचना संख्या 71/89 के० उ० शु० में संशोधन करना है ताकि वृत्ताकार कपड़ों पर मूल्यानुसार 10 प्रतिशत के हिसाब से उत्पाद शुल्क की प्रभावी दर निर्धारित की जा सके, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 7971/89]

प्रधान मंत्री के सलाहकार श्री एस० वेंकटरमन को वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने सम्बन्धी आदेश के बारे में अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में वार्षिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एड्वार्डो फैलीरो) : मैं, अधिसूचना संख्या का० आ० 335 (अ) जो 5 मई, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें प्रधान मंत्री के सलाहकार श्री एस० वेंकटरमन को श्री लाल चनहवला, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है के स्थान पर वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के संबंध में आदेश दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 7972/89]

क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, हमीरपुर के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखे, एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता के वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन वार्षिक लेखा और कार्यकरण की समीक्षा तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, हमीरपुर के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 7973/89]

(2) (एक) एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता के वर्ष 1985-86 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपरोक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 7974/89]

(4) (एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 18 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 7975/89]

(6) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के वर्ष 1987-88 के लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 7976/89]

(8) (एक) नेशनल बुक ट्रस्ट, भारत के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल बुक ट्रस्ट, भारत के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल बुक ट्रस्ट, भारत के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 7977/89]

(10) (एक) विक्टोरिया मेमोरियल हाल, कलकत्ता के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विक्टोरिया मेमोरियल हाल, कलकत्ता के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 7978/89]

(12) (एक) सालारजंग म्यूजियम बोर्ड, हैदराबाद के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सालारजंग म्यूजियम, हैदराबाद के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 7979/89]

(14) (एक) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा का वर्ष 1987-88 वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेख परीक्षा प्रतिवेदन।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 7980/89]

(16) (एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के लेखाओं संबंधी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए देखिए संख्या एल०टी० 7981/89]

आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत अधिसूचना

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : मैं आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 3 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या का० आ० 313 (अ), जो 28 अप्रैल, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 30 मार्च 1988 की खुली साधारण अनुज्ञप्ति संख्या 1/88 में कतिपय संशोधन किये गये हैं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 7982/89]

भारतीय रुई निगम लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा और पटसन विनिर्मित विकास परिषद कलकत्ता का वर्ष 1987 88 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे आदि

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : श्री रफीक आलम की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय रूई निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय रूई निगम लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1987 88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिये संख्या एल०टी० 7983/89]

(2) पटसन विनिमिति विकास परिषद् कलकत्ता के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल०टी० 7984/89]

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, नई दिल्ली का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे तथा कार्यकरण की समीक्षा तथा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तथा तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० नामग्याल) : कुमारी सरोज खापर्डे की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति एक (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन ।

(तीन) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गया । देखिये संख्या एल०टी० 7985/89]

(3) (एक) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तथा तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तथा तंत्रिका विज्ञान संस्थान बंगलौर के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 7987/89]

(5) (एक) क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 7986/89]

(7) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 के लेखाओं सम्बन्धी लेखापरीक्षित टिप्पणियों के कारणों तथा किये गये उपचारात्मक उपायों के बारे में एक व्याख्यात्मक टिप्पण संलग्न न करने के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०7988/89]

महापत्तन (पोतों के प्रवेश) ठहरने, आने-जाने तथा निर्गमन का विनियमन नियम, 1989 तथा महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं आदि

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० नामग्याल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 की धारा 6 की उपधारा (1) के अन्तर्गत महापत्तन (पोतों के प्रवेश, ठहरने आने-जाने तथा निर्गमन का विनियमन) नियम, 1989 जो 15 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 360 (अ), में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 7989/89]

(2) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा०का०नि० 190 (अ), जो 28 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा बम्बई पत्तन न्यास सामान्य उपविधि, 1987 में संशोधनों का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा०का०नि० 391 (अ), जो 28 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा बम्बई पत्तन न्यास गादी उपविधि, 1987 में संशोधनों का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 7990/89]

(3) (एक) भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल-टी० 7991/89]

11.22 म०प०

राज्य सभा से सन्देश

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है :—

(एक) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 227 उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 11 मई, 1989 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 10 मई, 1989 को हुई उसकी बैठक में पारित किये आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 1989 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 11 मई, 1989 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 10 मई, 1989 को हुई उसकी बैठक में पारित किये गये चंडीगढ़ विक्षुब्ध क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 1989 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 1989 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 10 मई, 1989 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिये भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी है।"

(चार) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 115 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 12 मई, 1989 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 11 मई, 1989

को हुई उसकी बैठक में किये गये पंजाब अग्रक्रय (चंडीगढ़ और दिल्ली शिरसन) विधेयक, 1989 में किये गए निम्नलिखित संशोधनों से सहमत हुई :—

अधिनियमन सूत्र

1. पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—
"उननालीसवें" के स्थान पर
"चालीसवें" प्रतिस्थापित किया जाए।

खण्ड-1

2. पृष्ठ 1. पंक्ति 4,—
"1988" के स्थान पर
"1989" प्रतिस्थापित किया जाए।

(पांच) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक, 1989 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 10 मई, 1989 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिये भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी है।"

(छः) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक, 1989 को, जिस लोक सभा द्वारा अपनी 10 मई, 1989 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिये भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(सात) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 12 मई, 1989 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 11 मई, 1989 को हुई उसकी बैठक में पारित किये गये लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1989 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

11.23 म०प०

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव० द्वारा उठाए गए विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में विनिर्णय

अध्यक्ष महोदय : दिनांक 10 मई 1989 को श्री वी० किशोरचन्द्र एस० देव ने गृह मन्त्री श्री बूटासिंह के विरुद्ध देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक स्थिति के बारे में हुई चर्चा का जवाब देते हुए 8 मई, 1989 को सदन को कथित रूप से गुमराह करने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार के प्रश्न

की सूचना दी थी। अपनी सूचना में श्री देव ने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा है कि श्री बटालिया ने यह कहकर सदन को जानबूझकर गुमराह किया है कि बाबरी मस्जिद-राम-जन्म भूमि विवाद पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों वाली खण्डपीठ 10 जुलाई 1989 से विचार करेगी, जो कि 10 मई, 1989 के इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित समाचार के अनुसार गलत जानकारी है।"

दिनांक 10 मई 1989 के इण्डियन एक्सप्रेस में 'बूटा मिसलीडस पार्लियामेंट' शीर्षक से एक समाचार प्रकाशित हुआ जिसमे अन्य बातो के साथ-साथ यह कहा गया :

"गृह मन्त्री ने लोकसभा मे जो कुछ कहा है तथ्य उसके अनुरूप नही हैं। न तो किसी पीठ का गठन किया गया है और न ही यह मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय की किसी पीठ द्वारा 10 जुलाई को सुनवाई के लिए लिया गया है।

लखनऊ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की दो न्यायधीशों की खण्डपीठ राज्य सरकार द्वारा अयोध्या तीर्थ से सम्बन्धित चार मामलों, जो कि फैजाबाद न्यायालय में लम्बित पड़े थे उन्हें न्यायालय में स्थानान्तिरित करने और उनके निपटान के लिए राज्य सरकार ने आवेदन दिया था उस पर विचार कर रही है। फरवरी में प्रस्तुत इस याचिका पर पीठ के समक्ष दिये गये तर्क 3 मई को पूरे नहीं हो सके और न्यायालय ने इस सम्बन्ध में सुनवाई के लिए अगली तारीख 10 जुलाई निर्धारित की है।

खण्डपीठ को अभी यह निर्णय लेना है कि सरकार की, फैजाबाद सिविल कोर्ट से मामले वापस लेने और उन्हें लखनऊ पीठ को सौंपने, उनके समेकन और निपटान सम्बन्धी याचिका को स्वीकार किया जाये अथवा नहीं।

देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक स्थिति पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए गृह मन्त्री ने 8 मई, 1989 को कहा था—मूल भाषण हिन्दी में दिया गया था जिसे अंग्रेजी में अनुवादित किया गया है।

"हमने उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत करने के बाद यह कहा कि उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में इस मामले को, सारे को कंसालिडेट करके पेश किया जाये और वहां पर एक खण्डपीठ बनाई जाये जिसमें तीन न्यायाधीश होगे। वे इस मामले की जांच करेंगे और उनके फैसले को सभी लोगों को मान लेना चाहिए। .....अब सम्भवत: राज्य सरकार ने मामला उच्च न्यायालय में पेश कर दिया है अथवा पेश करने जा रही है। इस पर 10 जुलाई को विचार किया जायेगा तथा सभी पार्टियां उच्च न्यायालय के समक्ष पेश हो रही हैं ....निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि ये मामले उच्च न्यायालय के सामने पेश किए जा सकते हैं।"

अत: यह बात स्पष्ट है कि गृह मन्त्री ने यह नहीं कहा था कि बाबरी मस्जिद-राम जन्म भूमि विवाद के सम्बन्ध में विचार करने के लिए एक खण्डपीठ का गठन कर लिया गया है और इसकी सुनवाई 10 जुलाई, 1989 के लिए निश्चित की गई है। रिकार्ड के अनुसार गृह मन्त्री ने यह कहा था कि केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से इस विवाद के सम्बन्ध में बातचीत की है और इस मामले की सुनवाई के लिए तीन न्यायाधीशों से युक्त इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खण्डपीठ गठित करने का सुझाव दिया है।

गृह मन्त्री द्वारा सदन को गुमराह किये जाने के बजाय मुझे लगता है कि सम्बंधित समाचार पत्र ने सदन की कार्यवाही को गलत रूप से प्रकाशित किया है तथा श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव ने सदन की कार्यवाही के सम्बन्धित अंश को देखे बिना उस पर पूरा विश्वास कर लिया है।

मैंने समय-समय पर इस बात पर बल दिया है कि सदस्यों को समाचार पत्रों की रिपोर्ट पर पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए और आरोप लगाने से पहले स्वयं उनकी सत्यता की जांच करनी चाहिए।

इस मामले में विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं बनता है अतः मैं नियम 222 के अन्तर्गत सदन में इस मुद्दे को विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय मेरे नोटिस के बारे में क्या बात है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे रिपोर्ट मिली है और मैं उससे संतुष्ट हूं। आप उस मामले को निर्देश 115 के अन्तर्गत उठा सकते हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, निर्देश 115 के अन्तर्गत क्यों ? उन्होंने जानबूझकर सदन को गुमराह किया है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसका उत्तर भी मिला है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : निर्देश 115 पर्याप्त नहीं है। कोई भी व्यक्ति जानबूझकर सदन को गुमराह नहीं कर सकता। उन्हें माफी मांगनी चाहिए।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, श्री बूटा सिंह के विरुद्ध दिये गये मेरे विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में क्या बात है। ऐसा कहकर उन्होंने जानबूझ कर सदन को गुमराह किया है कि···

अध्यक्ष महोदय : मैंने अनुमति नहीं दी है।

[हिन्दी]

मैंने कह दिया, बस करिए।

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : उन्होंने यह कहकर जानबूझ कर सदन को गुमराह किया है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को नियुक्त करने से पहले पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री से बातचीत की गई थी। उन्होंने सदन में ऐसा कहा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उस मुद्दे को निपटाया जा चुका है। मैंने अनुमति नहीं दी है।

[हिन्दी]

छोड़िए अब।

[अनुवाद]

श्री अमल दत्ता (डायमंड हार्बर)। आपने इस बारे में अपना विनिर्णय नहीं दिया है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, नियम 115 किसी गलती को ठीक करने के बारे में है। यह एक गलती नहीं थी। सदन को गुमराह करने के लिए उन्हें खेद प्रकट करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात से सन्तुष्ट हूं और मैं आपसे बातचीत करूंगा। यह कोई समस्या नहीं है।

[हिंदी]

आने सेशन आपना, उसमें देखेंगे।

[अनुवाद]

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : 'इण्डियन एक्सप्रेस' के विरुद्ध मेरे विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में क्या बात है ?

अध्यक्ष महोदय। इसकी देखरेख उपाध्यक्ष महोदय करेंगे।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : महोदय, आज इस सत्र का अन्तिम दिन है और वे सभी प्रकाशित कर रहे हैं.....

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको यह बताया है कि इसका सम्बन्ध मेरे से है इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। मैं केवल आपके प्रति जवाबदेह हूं।

श्री शांता राम नायक (पणजी) : महोदय, विशेषाधिकार समिति की निंदा करने के लिए श्री किशोर चन्द्र देव के विरुद्ध मैंने विशेषाधिकार हनन का एक नोटिस दिया है। उनके शब्दों को उद्धृत करते हुए उन्होंने यह कहा है कि विशेषाधिकार समिति दूर भाग गई।.....अतः कृपया आप इस बारे में कार्यवाही कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री राजीव गांधी

[हिंदी]

अभी आया है, क्या कर सकते हैं।

11.27 अ.प.

संविधान (चौंसठवां संशोधन) विधेयक*

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

महोदय, भारत के लोगों के लिए स्वतन्त्रता संग्राम की सबसे बड़ी देन लोकतन्त्र है। स्वतन्त्रता के फलस्वरूप हमारा राष्ट्र स्वतन्त्र हुआ, लोकतन्त्र से हमारे लोग स्वतन्त्र हुए। स्वतन्त्र लोग वे होते हैं जो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं करते हैं। स्वतन्त्र लोग अपनी इच्छा और सहमति द्वारा शासित होते हैं। स्वतन्त्र लोग अपने जीवन और भविष्य को प्रभावित करने वाले निर्णयों में भाग लेते हैं।

गांधी जी का विश्वास था कि लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता की नींव भारत के प्रत्येक गांव में

*दिनांक 15.5.89 के भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

स्वायत्त शासन के द्वारा रखी जानी चाहिये। उन्होंने इसकी प्रेरणा और संकल्पना भारत के परम्परागत ग्राम गणतन्त्रों, पंचायतों से ग्रहण की थी। ग्रामीण भारत में विकास के प्रमुख साधन के रूप में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना पण्डित जी द्वारा की गई थी। इन्दिराजी ने सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं में लोगों की भागेदारी की आवश्यकता पर बल दिया था।

फिर भी इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि देश के अधिकतर भागों में 30 वर्ष पहले पंचायती राज संस्थाओं में व्यक्त अपनी आशाओं को पूरा करने में हम असफल रहे हैं। चुनाव समय पर नहीं होते हैं। प्रायः चुनावों में अनावश्यक विलम्ब किया जाता है और उन्हें बार-बार स्थगित किया जाता है। यह राजनैतिक मंशा का मामला नहीं है। पचायती राज संस्थाओं के चुनाव समय पर कराने का सर्वश्रेष्ठ रिकार्ड दो राज्य सरकारों का है जिनमें पचायती राज लागू होने के बाद से अधिकांश समय कांग्रेस पार्टी का ही शासन रहा है। ये राज्य हैं—गुजरात और महाराष्ट्र। (व्यवधान)

हाल ही में ...(व्यवधान)

श्री अमल दत्ता (डायमंड हार्बर) : उत्तर प्रदेश का क्या रिकार्ड है ? (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : आप अगला वाक्य सुनिए · (व्यवधान)

महोदय, हाल ही में, कुछ राज्यों की सरकारों ने जहां विपक्षी दलों—जैसे पश्चिम बंगाल में सी० पी० आई (एम) आन्ध्र प्रदेश में तेलगुदेशम और कर्नाटक में जनता पार्टी का शासन है, समय पर चुनाव सम्पन्न कराए हैं। अन्य राज्यों में ...

कुछ माननीय सदस्य : त्रिपुरा का नाम भी लीजिये।

श्री राजीव गांधी : अन्य राज्यों में, गैर-कांग्रेस पार्टियों और संयुक्त सरकारों का रिकार्ड कांग्रेस-शासित राज्यों की सरकारों से बहुत अच्छा नहीं है, यह राजनेतिक पार्टियों का मामला नहीं है।

लोकतन्त्र का आधार चुनाव हैं। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव अत्यधिक अनियमित एवं अनिश्चित हैं। संविधान में इनके लिए अनिवार्य उपबन्ध किया गया है। राज्य के विधान में सांविधिक उपबन्ध की इतनी बेधता नहीं है। इस विधेयक द्वारा हमारा विचार पचायती राज संस्थाओं के समय पर चुनाव सुनिश्चित करने के लिए संविधान में उपबन्ध करना है। इस विधेयक द्वारा हमारा विचार देश के कुछ भागों में पंचायती राज में व्याप्त अन्य कमियों को दूर करना भी है जैसे पचायतों को निरन्तर निलम्बित या भंग रखना। वर्तमान व्यवस्था में चुनाव द्वारा युक्तिसंगत अवधि के भीतर पचायतों के पुनर्गठन हेतु कोई बाध्यकारी उपबन्ध नहीं है इसलिए स्थगित की गई पंचायतें वर्षों तक विलम्बित रहती हैं और भंग पचायतें एक दशक या इससे भी अधिक समय तक भंग रही हैं। इस विषय पर वर्तमान नगरपालिका कानून में राज्य विधान मण्डलों ने कार्यपालिका को पचायती राज संस्थानों को भंग करने और इनके पुनर्गठन में विलम्ब करने के इतने व्यापक अधिकार दे दिए हैं कि ये संस्थाएं जन आकांक्षाओं के एक प्रतिनिधि मंच के रूप में उभरने में असमर्थ रही हैं। इनका अस्तित्व जनसमर्थन की अपेक्षा राज्य सरकारों की इच्छा पर अधिक निर्भर करता है।

हमारे विधेयक के अनुसार, यह पता लगाने का अधिकार राज्यों को दिया गया है कि किन आधारों और शर्तों पर पंचायतों को निलम्बित या भंग किया जाए। हम राज्य विधानमण्डलों से

आशा करते हैं कि वे बताएं कि किस आधार पर राज्यपाल किसी पंचायत को निलम्बित या भंग कर सकता है. यह मामला राज्यपाल से सम्बन्धित है जो संविधान के अनुसार राज्य सरकार की सहायता और सलाह पर कार्य करता है। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भंग पंचायत का पुनर्गठन एक उचित समय के भीतर कर दिया जाए। हमारा विधेयक समय से पहले भंग की गई सभी पंचायतों के लिए उनके भंग किए जाने के छह माह के भीतर व्यस्क मताधिकार के आधार पर लोकतांत्रिक ढंग चुनाव द्वारा पुनर्गठित किए जाने को संवैधानिक रूप से अनिवार्य बनाएगा कि वे अपना शेष कार्यकाल पूरा कर सकें।

अब पंचायतों के साथ कार्यकारी शक्तियों के मनमाने ढंग से इस्तेमाल द्वारा खिलवाड़ नहीं हो सकेगा। जनता स्वयं पुनर्गठित पंचायत के माध्यम से कुछ महीनों के भीतर अपना भविष्य निर्धारित करेगी। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि लोक सभा और राज्य विधानसभाओं का गठन जनता व्यस्क मताधिकार के इस्तेमाल से होगा। संविधान ही यह सुनिश्चित करता है कि किसी विधानसभा के भंग किए जाने पर, संविधान में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया एवं समय सीमा के भीतर इसका पुनर्गठन किया जाए। लोकतांत्रिक संस्थाओं की शक्ति एवं सक्रियता को सुनिश्चित करने के यही अनिवार्य सुरक्षा उपाय हैं। पंचायती राज संस्थाओं में शक्ति और सक्रियता का अभाव है क्योंकि संवैधानिक दृष्टि से उनके लिए सुरक्षा उपायों का उपबन्ध नहीं किया गया है। हमारा विधेयक यह सुनिश्चित करेगा कि पंचायती राज का लोक सभा और राज्य विधान सभाओं की भांति लोकतांत्रिक स्वरूप है और जन-प्रतिनिधि संस्थाओं के रूप में उनके कार्यकरण को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त हो।

भारत में लोकतन्त्र के उदय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी संविधान तैयार करना, जिसके संसद और राज्य विधानमण्डलों में लोकतन्त्र कायम हुआ। यह ऐतिहासिक क्रान्तिकारी विधेयक उसी महत्वपूर्ण घटना के अनुक्रम में एक कदम है जिसके द्वारा संविधान में निचले स्तर पर लोकतांत्रिक प्रणाली को अंगीकार किया जाएगा। अब तक हमारे लोकतन्त्र की संरचना में कमियां रही हैं क्योंकि यद्यपि इसका ऊपर का ढांचा बहुत मजबूत है परन्तु नींव कमजोर है। संसद के दोनों सदनों और सभी राज्य विधान मण्डलों को मिलाकर हमारे देश की लगभग 80 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व केवल पाँच-छह हजार व्यक्ति कर रहे हैं। इसके दो गम्भीर परिणाम निकले हैं।

पहला परिणाम यह निकला है कि लोकतन्त्र की सुस्थापित संस्थाओं में निर्वाचित पदों पर आसीन व्यक्तियों की संख्या हमारे मतदाताओं की तुलना में बहुत कम है। पंचायतों में लोकतांत्रिक प्रणाली लागू हो जाने के बाद आज जो महत्व संसद और राज्य विधानमण्डलों का है, वही महत्व उन सात लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों का होगा जो लोकतांत्रिक संस्थाओं के कामकाज में भाग लेंगे। लोकतन्त्र व्यवस्था में जनता का प्रतिनिधित्व लगभग 115 गुना बढ़ जाएगा।

इस विशाल अन्तर का एक दूसरा हानिकर परिणाम है जो सामान्य मतदाओं और निर्वाचित प्रतिनिधियों को परस्पर अलग करता है। इस अन्तर का लाभ सत्ता के दलाल, बिचौलिये और स्वार्थी लोग उठा रहे हैं। नगर पालिका से सम्बन्धित छोटे से छोटे काम के लिए लोगों को चक्कर काटने पड़ते हैं, उपयुक्त सम्बन्धों वाले व्यक्तियों को तलाश करना पड़ता है जो दूर बैठे प्राधिकारियों से उनकी सिफारिश करे। समस्त प्रणाली सत्ता के दलालों की जकड़ में है। सत्ता के दलालों के हित में इसका संचालन किया जा रहा है। सत्ता के दलाल इसे संरक्षण दे रहे हैं। सत्ता के दलालों ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है क्योंकि लोकतन्त्र निचले स्तर पर नहीं है। उनकी गहरी पकड़ को हटाने का एक

तरीका है कि सत्ता के दलालों द्वारा भरे गए रिक्त स्थान को खाली करके उन्हें लोकतांत्रिक प्रणाली लागू करके भर दिया जाए। जब एक बार एक सौ से पांच सौ मतदाताओं द्वारा अपना प्रतिनिधि निर्वाचित कर लिया जाएगा तब जनता से सत्ता केवल उतनी दूरी पर होगी जितनी दूरी पर पंचायत घर है न कि राज्य या देश की राजधानी जितनी दूरी पर है। व्यवस्था में सत्ता के दलालों की सभी भूमिकाओं को समाप्त करने के लिए, विधेयक में सभी स्तरों पर पंचायत के सदस्यों के सीधे चुनाव की व्यवस्था की गई है।

ग्राम पंचायत, मध्य स्तरीय पंचायत और जिला पंचायत में प्रत्येक मतदाता का अपना प्रतिनिधि होगा। वह प्रतिनिधि एक छोटे तथा भली प्रकार मान्य निर्वाचन क्षेत्र के प्रति उत्तरदायी होगा। यदि वह लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करता है तो पुनः निर्वाचित हो जाएगा अन्यथा लोग उसे पदच्युत कर देंगे। मत की शक्ति कार्यान्वयन की शक्ति बन जाएगी। लोगों की इच्छा सत्ता के दलालों को अनावश्यक बना देगी।

आज लोकतांत्रिक निर्वाचित नेतृत्व का सुअवसर उन कुछ हजार व्यक्तियों तक सीमित है जो विधान सभा अथवा संसद में प्रवेश पाने में सफल हो जाते हैं। इस विधेयक का संविधान का एक हिस्सा बन जाने के पश्चात् भारी संख्या में देशव्यापी नेतृत्व क्षमता का सृजन का होगा। प्रत्येक पंचायती चुनाव में लगभग आधा करोड़ पुरुष और महिलाएं जिनमें से अधिकांश युवा होंगे, स्वयं को निर्वाचन-गणों के समक्ष समक्ष उनके आदेशों के पालन हेतु प्रस्तुत करेंगे। कुछ सफल होंगे और कुछ असफल रहेंगे। जो असफल रहेंगे उन्हें पांच वर्ष पश्चात् फिर अवसर प्राप्त होगा।

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक अनुपयुक्त प्रतिभा उपलब्ध है। अब हम उस प्रतिभा का प्रयोग करेंगे। उस प्रतिभा की पुष्टि इस सभा के तथा राज्य सभा के हमारे साथियों के मतों द्वारा की जाएगी। इस प्रकार यह प्रतिभावान व्यक्ति हमारे देश को एक समृद्ध एवं शानदार भविष्य की ओर ले जायेंगे।

मानवता एवं संसाधनों की मूल्यवान सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी देश हमसे अधिक धनी नहीं है। हमने उतनी प्रगति नहीं की जितनी कि करनी चाहिए थी क्योंकि हमने अपने सबसे बड़े संसाधन का पोषण नहीं किया। इस विधेयक के माध्यम से राष्ट्र के अधिकाधिक प्रतिभावान व्यक्तियों को अवसर प्रदान करना सम्भव हुआ है। इससे देश में हलचल होगी। हमारे 600,000 गांवों में से प्रत्येक में, 5000 ब्लाकों में से प्रत्येक में, 400 जिलों में से प्रत्येक में पुरुषों और महिलाओं को लोकतन्त्र तैयार करेगा जिनका अनुभव बाद में राज्य स्तर पर विधान सभाओं और भारत की संसद के लिए उपलब्ध होगा।

हमारा प्रस्तावित संविधान संशोधन राज्य विधान सभाओं पर संवैधानिक आदेश लागू करता है। समुचित कानून बनाना राज्य विधान सभाओं का काम है ·····(व्यवधान)

प्रस्तावित पंचायती राज व्यवस्था में राज्यपाल की भूमिका के बारे में एक अनावश्यक विवाद उत्पन्न कर दिया गया है। इस संबंध में संविधान अत्यन्त स्पष्ट है। अनुच्छेद 154 (1) में कहा गया है कि "राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी।" अनुच्छेद 163 (1) में स्पष्ट किया गया है कि "राज्यपाल को उसके कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री-परिषद् होगी जिसका प्रधान मुख्य मंत्री होगा।" और इसलिए संविधान में शब्द राज्यपाल का अर्थ राज्यपाल द्वारा मंत्री परिषद् की सहायता और सलाह से कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में है। इसका एक अपवाद है। इस अपवाद या उपबन्ध अनुच्छेद 163 के खंड (1) में किया

गया है (व्यवधान) जो इस प्रकार है "उन बातों को छोड़कर जहां तक राज्यपाल··· (व्यवधान)"

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : महोदय, मैं उद्धृत करता हूं :

"जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे, उन बातों को छोड़कर···"

शब्द 'राज्यपाल' तथा 'राज्यपाल अपने विवेकानुसार' में अन्तर संवैधानिक नियम का इतना सुस्पष्ट मामला है कि इस मुद्दे पर किसी भ्रम का होना ही आश्चर्यजनक है। आखिर शब्द "राज्यपाल" संविधान में दर्जनों स्थानों पर आता है और कहीं भी उसका गलत अर्थ नहीं लगाया गया या गलत व्याख्या नहीं की गई।

हमें विश्वास है कि इस संसद में अपने निहित संवैधानिक कृत्यों के पालन में मंत्री परिषद् की सहायता और सलाह के अनुसार राज्यपाल द्वारा कार्य करने और जहां कहीं संविधान के अनुसार ऐसी अपेक्षा हो अपने विवेकानुसार राज्यपाल द्वारा कार्य करने में कोई भ्रम नहीं होगा।

संसद तथा राज्य विधान मंडलों में लोकतन्त्र की स्थापना करते समय हमारे संस्थापकों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की असमर्थताओं पर विशेष ध्यान दिया। कुल निर्वाचन क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनके लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया। राज्य विधान मंडलों द्वारा पंचायती राज विधान बनाने के अधिकांश मामलों में इस सिद्धांत का पालन नहीं किया जा रहा। ग्रामीण क्षेत्रों के गहन दौरे और अनेक पंचायती राज सम्मेलनों में पंचायती राज प्रतिनिधियों से बातचीत में यह बात पूरे जोर शोर से मेरे सामने रखी गई कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को लोकतांत्रिक अधिकारों की प्राप्ति केवल नेक इरादों से नहीं करवाई जा सकती। इस समय इसकी प्राप्ति लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में दिए गए आरक्षणों के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण करने से ही की जा सकती है।

मैं देख रहा हूं कि इस सभा का एक वर्ग विशेष इससे बिल्कुल प्रसन्न नहीं है···· (व्यवधान)

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : उन्हें इसकी चिंता भी नहीं है (व्यवधान) उन्हें मतलब भी नहीं है (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों में एक व्यापक एवं उचित आशंका व्याप्त है कि यदि इन निकायों में उनके लिए समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं किया गया तो पंचायती राज ग्रामीण सम्भ्रांत व्यक्तियों के हाथों उनके दमन का कारण बन जाएगा। देश के विभिन्न भागों में अनुभव···· (व्यवधान)

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नलगोंडा) : आप इतने वर्षों तक क्या कर रहे थे? (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : हम आपको बता रहे हैं; यही हम कर रहे हैं।

देश के विभिन्न भागों से प्राप्त अनुभव से हमने देखा है कि आरक्षण के अभाव में किस प्रकार निहित स्वार्थ सामंतवादी हित इन संस्थाओं पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। (व्यवधान)

नियमित चुनाव न कराने से इन संस्थानों पर उनका आधिपत्य सुदृढ़ हो जाता है। लोगों का आवेश शोषण के साधन में बदल गया है।

प्रक्रिया के इस प्रकार विकृत होने को रोकने के लिए हमारे विधेयक में राज्य विधान सभाओं द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण को सुनिश्चित करने की अनिवार्यता का प्रस्ताव रखा गया है··· (व्यवधान)

मुझे यह जानकारी थी कि जब हम अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण को लागू करना चाहेंगे तो कुछ समस्यायें सामने आएंगी किन्तु मैं ईमानदारी से कहता हूं कि मुझे यह आशा नहीं थी कि समस्या सभा के इस वर्ग की ओर से सामने आएगी। (व्यवधान)

स्पष्ट है, आज सत्ता के दलालों और सामंतवादी हितों का पर्दाफाश हो गया है। (व्यवधान)

प्रक्रिया को इस प्रकार विकृत होने से बचाने के लिए हमारे विधेयक में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सम्बन्ध पंचायत क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण को राज्य विधान सभाओं द्वारा सुनिश्चित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। हमारे विधेयक में संविधान के वर्तमान रूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन का भी प्रस्ताव है। हमारा प्रस्ताव है कि पंचायत में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण हो। (व्यवधान)

मैं माननीय सदस्यों द्वारा की जा रही रोक-टोक को समझता हूं और समझता हूं कि इससे भी उन्हें अत्यधिक परेशानी होती है (व्यवधान)

श्री एम० रघुमा रेड्डी : पिछड़े वर्गों का क्या होगा ?

श्री राजीव गांधी : तीन ऐसे मुख्य कारण हैं जिनके लिए हम संविधान में इस परिवर्तन को आवश्यक समझते हैं (व्यवधान)

पहला, महिलाएं जनसंख्या का आधा भाग हैं और ग्रामीण भारत के आर्थिक जीवन के आधे से अधिक भाग में शामिल हैं। तथापि, यह लज्जाजनक है कि सम्पत्ति में उनका भाग तथा आय जनसंख्या में उनके अनुपात से कहीं कम है। किन्तु उनसे जो परिश्रम कराया जाता है वह आधे से भी अधिक है। दूसरे, घर की सुदृढ़ वित्त व्यवस्था की जिम्मेदारी परम्परागत रूप से महिलाओं की रही है। वित्तीय अनुशासन और जिम्मेदारी भारत की ग्रामीण महिलाओं की आदतों और उनके नजरिए में अन्तर्निहित हैं। पंचायती राज संस्थाओं में इन गुणों की सख्त जरूरत है। हमें विश्वास है कि पंचायतों में महिलाओं की संख्या अधिक होने से न केवल उनका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा बल्कि वे अधिक कुशल अधिक ईमानदार अधिक अनुशासित और अधिक जिम्मेदार होंगी। (व्यवधान)

श्री अमल दत्ता (डायमण्ड हार्बर) आप उन्हें 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दें।

श्री राजीव गांधी तीसरे, यह भारत की महिलाएं ही हैं जो नानियों-दादियों तथा माताओं के रूप में भारत की प्राचीन संस्कृति और परम्पराओं की निधान है। अगली पीढ़ी तक सर्वोत्कृष्ट मूल्यों, मापदण्डों और आदर्शों को पहुंचाने की जिम्मेदारी महिलाओं की ही है और इन्हीं के कारण विभिन्न प्रकार के चढ़ाव उतार के बावजूद हमारी सभ्यता निरन्तर फलफूल रही है। यह नैतिक चरित्र का वह बल है जिसका संचार महिलाएं पंचायतों में करेंगी। अतः हमें उनका स्नेहपूर्ण स्वागत करना चाहिए। विपक्ष की ओर से तो महिलाओं का स्वागत तक नहीं किया गया (व्यवधान)

अब मैं इस मामले के महत्वपूर्ण मुद्दे अर्थात् अन्तरण और सुदृढ़ वित्त पर आता हूं। अन्तरण के लिए विधान बनाने के राज्यों ने अधिकार का सम्मान करते हुए हमने जानबूझ कर उनके अधिकारों से छेड़छाड़ नहीं की है। हमारा केन्द्र से चिला शासन चलाने का कोई इरादा नहीं है। किन्तु हम यह

आशा अवश्य करते हैं कि राज्य विधान-मण्डल इस विधेयक के उपबन्धों तथा इस संशोधन की भावना को ध्यान में रखते हुए ऐसे कानून अवश्य बनाएं जो पंचायतों को शक्ति और अधिकार देने के लिए आवश्यक हो।

पहले राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किए जाने वाले मापदण्डों और शर्तों के ढांचे के भीतर योजनाएं तैयार करने की शक्ति, और अधिकार पंचायतों का होगा। ये योजनाएं उच्च स्तर पर योजना प्रक्रिया के मूल आदानों में शामिल की जाएंगी। इस प्रकार से हम यह सुनिश्चित करेंगे कि लोगों की आवाज उनकी जरूरतें, उनकी आकांक्षाएं और वरीयताएं योजना के ढांचे का अंग बने। हमें ऊपर से लादी जाने वाली योजना का अंत करना होगा। हमें जमीन की वास्तविकता से दूर वांछनीय ऊंचाईयों पर निश्चित की जाने वाली प्राथमिकताओं को समाप्त करना होगा। हमें अधिभावकीय योजना को समाप्त करना होगा। हमें लोक योजना की प्रक्रिया प्रारम्भ करनी होगी।

हमारे विधेयक की सीमा आर्थिक विकास के लिए योजना तक ही है। इससे पंचायतों पर सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाने की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाएगी। यह हमारे गांवों के जीवन पर रोमानी रंग नहीं चढ़ाएगा। वहां का जीवन कठोर है, श्रम साध्य है और कई प्रकार से शोषणकारी और दमनकारी है।

सत्ता के दलालों को सत्ता से बाहर करने, पंचायतें लोगों के हाथ में देने के लिए हम लोगों के ही प्रतिनिधियों पर यह दायित्व डालते हैं कि वे निर्धन हीन तथा सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों की ओर सबसे अधिक ध्यान दें। आर्थिक विकास की प्रत्येक योजना के साथ सामाजिक न्याय की योजना जुड़ी होगी। आर्थिक विकास की किसी भी योजना पर तब तक ध्यान नहीं दिया जाएगा जब तक इसका सामाजिक न्याय का पहलू स्पष्ट नहीं होगा। यह घोषणा-पत्र हमारे गांवों को केवल समृद्ध बनाने का ही नहीं बल्कि उन्हें न्याय दिलाने का भी द्योतक है।

पंचायतों का दूसरा प्रमुख दायित्व राज्य सरकारों द्वारा उन्हें सौंपी गई विकास योजनाओं को राज्य सरकारों द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों पर कार्यान्वित करने का होगा। इन योजनाओं में कृषि और भूमि सुधार से लेकर सिंचाई और जल विभाजन प्रबन्ध जैसे ग्रामीण भारत के प्रमुख आर्थिक विषयों को शामिल किया जाना चाहिए। उनमें पशुपालन, डेयरी, मुर्गीपालन और मत्स्य-पालन जैसे कार्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए। उनमें ग्रामीण भारत के औद्योगिक कार्यकलाप शामिल किए जाने चाहिए। उनमें लघु वन उत्पाद भी शामिल होने चाहिए जो तमाम जनजातीय जनसंख्या की आय के प्रमुख साधन है। इसमें ग्रामीण भारत की दिन-प्रति दिन की जरूरत की चीजें जैसे आवास, पेयजल, ईंधन और चारा शामिल होने चाहिए। इस हस्तांतरण में, ग्रामीण भारत में संचार और विद्युत के आधारभूत ढांचे को शामिल किया जाना चाहिए।

हमने पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों से संबंधित विकास योजनाएं शामिल करने का सुझाव दिया है।

प्रस्तावित 11 वीं अनुसूची में पंचायतों को गरीबी निवारण कार्यक्रमों का प्रशासन सौंपने की अपेक्षा है। इसके अन्तर्गत पंचायतों को शिक्षा, संस्कृति तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास का कार्य सौंपा जाएगा। हम राज्य विधान सभाओं से अनुरोध करेंगे कि वे सभी कमजोर और विकलांग वर्गों के लिए समाज कल्याण कार्यक्रमों को चलाने का उत्तरदायित्व पंचायतों

को सौंपे। हमारा विचार पंचायतों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिम्मेदारी सौंपने का भी है जो कि सबसे कमजोर और निर्धनतम लोगों के जीवन की रक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आम स्वास्थ्य के लिए नितान्त आवश्यक है।

श्री अमल दत्ता : सार्वजनिक वितरण प्रणाली टूट रही है।

श्री राजीव गांधी : इसी लिए हम इसे उन्हें सौंप रहे हैं जो इसे चलाएंगे न कि राज्यों को जो इसे तोड़ रहे हैं। (व्यवधान)

इस विधेयक में यह प्रस्ताव है कि पंचायतों को हमारे सामुदायिक जीवन का सर्वाधिक उपेक्षित क्षेत्र अर्थात् सामुदायिक आस्तियों का रखरखाव सौंपा जाए।

मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि ग्यारहवीं अनुसूची एक लम्बी सूची नहीं है। हमें आशा है कि राज्य पंचायतों को अधिकाधिक शक्तियां और अधिकार देंगे ताकि स्थानीय स्तर पर जो कार्य किया जा सकता है वह उसी स्तर पर हो न कि ऊपर के स्तर पर (व्यवधान)

श्री सत्यगोपाल मिश्र (तामलुक) भूमि सुधारों के बारे में आप क्या कहते हैं (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : पंचायतों को शक्तियों के हस्तांतरण के बाद सबसे बड़ा खतरा इन शक्तियों का उनके हाथ से निकल कर पंचायती राज प्रणाली से बाहर गठित और राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में अर्पित अन्य निकायों के पास चला जाना है। लगभग सभी राज्य सरकारों ने, चाहे वे कांग्रेसी हो या गैर-कांग्रेसी, जिन्होंने पंचायती राज की स्थापना की है पंचायती राज प्रणाली से बाहर निकायों का गठन करके इसके प्रभाव को कमजोर किया है क्योंकि निर्णय लेने संबंधी वास्तविक शक्तियां इन्हीं निकायों के पास हैं और पंचायती राज्य के चुने हुए प्रतिनिधि, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मंत्रियों के नीचे काम करते हैं, या जैसा कि कर्नाटक में हुआ है एक विधायक को तालुका पंचायत समिति का पदेन अध्यक्ष बनाया गया है।

हमारे इस विधेयक का प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि पंचायतों को दी गई शक्तियां पंचायतों के भीतर ही रहे और इससे बाहर न जाएं। हमारे इस विधेयक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि सभी विकास एजेन्सियों को पंचायती राज संस्थाओं के ढांचे में लाया जाए और निर्वाचित अधिकारी के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए। इस बात के दो आधारभूत कारण हैं कि जिला तथा उप-जिला स्तर पर प्रशासन लोगों के प्रति इतना उदासीन क्यों है। एक बात तो यह है कि जिला प्रशासन बहुत-सी एजेन्सियों में बटा हुआ है, जो राज्य सरकारी के प्रति जवाब देह हैं और जिनका जिला स्तर पर आपस में कोई तालमेल नहीं है दूसरा, केन्द्रीय प्वायंट के रूप में कार्य करने वाले निर्वाचित प्राधिकारी का अभाव है ··· (व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : क्या यह चुनाव घोषणा पत्र है ?····(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : यह पंचायतों के चुनावों का घोषणा-पत्र है (व्यवधान) हमें इस बारे में स्पष्ट होना चाहिए। यह भारत के लोगों के लिए घोषणा-पत्र है····(व्यवधान) महोदय, यह भारत के लोगों को शक्ति देने तथा सत्ता के कुछ दलालों, जो इतने उत्तेजित हो रहे है, से शक्ति छीनने का घोषणा पत्र है (व्यवधान)

महोदय, इस सभा को याद होगा कि हमारी सरकार, स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी एक दल को प्राप्त सर्वाधिक बहुमत से चुन कर सत्ता में आई थी। सरकार के प्रमुख के रूप में मैंने कई संरचनात्मक परिवर्तन करने की शपथ ली थी। मैंने बहुत जल्द यह महसूस किया कि यह व्यवस्था

हमारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती। इस व्यवस्था में बहुत से ढांचे थे। इस व्यवस्था में थोड़ी बहुत छेड़-छाड़ करने से कुछ नहीं होता, इसके लिए एक योजना बद्ध परिवर्तन आवश्यक था। इस विधेयक को प्रस्तुत करने का उद्देश्य, हमारे 1986 के संशोधित 20 सूत्री कार्यक्रम के 20 वें सूत्र, जिसमें जनता को उत्तरदायी प्रशासन देने का वायदा किया गया है, को पूरा करने का तरीका ढूंढने के लिए मेरी तालाश है। मेरे अनुरोध पर कार्मिक-विभाग ने 'उत्तरदायी-प्रशासन संबंधी कई कार्यशालायें' आयोजित की जिनमें देश के सभी जिलाधीशों, उपायुक्तों और-जिला समाहर्ताओं को आमंत्रित किया गया था। मैंने उनके साथ 20 घंटे चर्चा की थी।

इनमें यह बात सामने आयी कि केवल प्रक्रियाओं को सरल बनाकर अथवा शिकायत समाधान तंत्र की स्थापना करके अथवा शिकायत खिड़कियां खोलकर प्रशासन को उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है। ऐसा प्रत्येक कदम सत्ता के दलालों के लिए केवल एक और सत्ता केन्द्र हथियाने के लिए मार्ग-प्रशस्त करेगा। उत्तरदायी प्रशासन की अनिवार्य शर्त प्रतिनिधि प्रशासन है जोकि मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी हो। ग्रामीण भारत में उत्तरदायी प्रशासन वास्तविक पंचायती राज के माध्यम से ही स्थापित किया जा सकता है। हमारे विधेयक का उद्देश्य इसी को प्राप्त करना है।

प्रशासनिक शक्तियों के हस्तान्तरण के साथ-साथ सुदृढ़ वित्त व्यवस्था भी होनी चाहिए। विगत में कई बार पंचायती राज ने वित्त के बगैर कार्य किया है, निधियों के बिना उत्तरदायित्व सम्भाले हैं और बगैर किसी साधन के कर्तव्य निभाये है। इस विधेयक के माध्यम से राज्य विधान मण्डलों को यह अधिकार दिया गया है कि वे करों के राजस्व के माध्यम से जो कि उनके द्वारा विनियोजित है या उन्हें सौंपी गयी है पंचायतों की सुदृढ़ वित्त व्यवस्था को सुनिश्चित करें तथा इसके साथ-साथ राज्य की संचित निधि में से पंचायतों को सहायतानुदान दें।

12.00 मध्याह्न

राज्य विधान मण्डलों और कार्यकारी अधिकारियों को यह निर्धारित करने में सहायता करने, के लिए कौन से करों की पंचायतों को वसूली सौंपी जाय या विनियोजन के लिए अनुमति ली जाए तथा कितनी सहायतानुदान की राशि पंचायतों को दी जाये, समुचित सिफारिशें करने के लिए विधेयक में वित्त आयोग के गठन का प्रस्ताव है।

मैं उन करों को निर्धारित करने के महत्व पर जोर दूंगा जो पंचायतों द्वारा लगाये जाएंगे एकत्र किए जायेंगे तथा विनियोजित किये जायेंगे। पंचायतों मे वित्तीय उत्तरदायित्व की सबसे बड़ी भावना यही होनी चाहिए कि वे उस धन को यथासम्भव अपने पास ही इकट्ठा रखें जिसकी वसूली उन्होंने अच्छे से अच्छा उपयोग करने के लिए की है। संयुक्त अनुदान स्थानीय स्तर के नियोजन के लिए होते हैं। इनके विनियोजन का प्राधिकार उन्हें स्थानीय स्तर के नियोजन के लिए उत्तरदायी तक सीमित रहने की प्रवृत्ति थी। हम आशा करते हैं कि राज्य विधानमण्डल इससे और आगे जाएंगे और उन करों, शुल्कों पथ करों और फीसों का पता लगाएंगे जो पंचायतों द्वारा विनियोजित किए जा सकते हैं।

केन्द्रीय सरकार के रूप में हम स्वयं जो कुछ करने के लिए तैयार हैं उससे अधिक करने के लिए हम राज्य मंडलों से अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से एक शुरूआत हुई है। 80 प्रतिशत धनराशि ग्राम पंचायतों को दी जा रही है। (व्यवधान) हमारा इस

सिद्धान्त को अन्य केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं पर लागू करने का प्रस्ताव है । अपने स्वयं के विकास में लोगों को शामिल करने के लिए और कोई अच्छा तरीका नहीं हो सकता है । भ्रष्टाचार और भाई भतीजा वाद को कम करने के लिए इससे बेहतर और कोई अच्छा तरीका नहीं हो सकता है । जिस व्यवस्था का हमने प्रस्ताव किया है वह एक पारदर्शी व्यवस्था है । एक गांव में अधिकांश मतदाता विकास की योजनाओं के भावी लाभ भोगी होते हैं । प्रत्येक भावी लाभ भोगी को पता होना चाहिए कि क्या योजनायें उपलब्ध हैं, योजना में कितना धन लगा है । क्या और कैसे धन खर्च किया जा रहा है । कोई भी पंच या सरपंच जो लोगों को धोखा देता है वह लोगों द्वारा निकाला दिया जायेगा । उसके लिए इस भ्रष्टाचार के परिणामों से भागने का कोई रास्ता नहीं है ।

अब मैं देश के उन भागों की बात करूंगा जिन्हें हम इस व्यवस्था से मुक्त रख रहे हैं या जिनके सम्बन्ध में सुधार करने हेतु विशेष प्रावधान किये गए है । पूर्वोत्तर में एक छितरी आबादी वाला आदिवासी राज्य है—जिसे बगैर किसी सुधार के पंचायती राज को अपनाने में कोई दिक्कत नहीं है । यह अरुणाचल प्रदेश राज्य है । विधेयक मे इस बात को मान्यता दी गयी है कि पूर्वोत्तर के अन्य तीन राज्यों नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में जहां पंचायतीराज जैसी स्वायत शासन वाली पारम्परिक व्यवस्थायें हैं : उन्हें सुरक्षित रखा जाना चाहिए । वस्तुतः शेष देश को नागालैंड के ग्राम विकास बोर्डों का अध्ययन करना चाहिए और उससे शिक्षा लेनी चाहिए । इन तीन राज्यों मे पारंपरिक व्यवस्था को बने रहने दिया जायेगा ।

इसी तरह छठी अनुसूची में शामिल क्षेत्रों में, जहां स्वायत जिला परिषदें स्थापित की गयी है, हम नहीं चाहते हैं कि वहा इतने ध्यान से बनाई गई व्यवस्था का छेड़ा जाए । इसी सिद्धान्त पर हम इस विधेयक को मणिपुर के जिला परिषद क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पर्वतीय जिले मे गोरखा पर्वतीय परिषद के क्षेत्रों पर लागू नहीं करेंगे ।

जहां तक संघ शासित क्षेत्रों का सम्बन्ध है विधेयक में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह संघ शासित क्षेत्रों के किसी एक भाग या पूरे क्षेत्र में विधेयक के उपबन्धो को निर्धारित कर सकता है, विस्तारित कर सकता है या उसे उपाचरित कर सकता है । यह इस तरह से बनाया गया है कि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि यह निकोबार द्वीपसमूह लक्ष्यद्वीप और पांडिचेरी जैसे क्षेत्रों की पारम्परिक या नवजात संस्थानों पर गलत प्रभाव न डाले तथा दिल्ली जैसे संघ राज्य क्षेत्रों की विशेष विशिष्टिताओं को ध्यान में रखा जाये ।

इसी तरह पांचवी अनुसूची में शामिल क्षेत्रों में यह राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर है (और अपने मन्त्रिपरिषद की सहायता तथा सलाह पर नहीं) कि वह ऐसी शर्तों का निर्धारण करे जिससे पंचायती राज इन क्षेत्रों में भी लाया जा जा सके ।

महोदय, विधेयक में यह प्रस्ताव किया गया है कि संशोधन के प्रभावी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर ही संविधान के प्रस्तावित नौवें भाग के अनुरूप सभी राज्य विधान मण्डल अपने-अपने राज्य के कानून बनायें । तथापि हम यह बात मानते हैं कि अधिकांश राज्यों में, कुछ में इसी वर्ष हाल ही में, पंचायतराज संस्थायें चुनी गयी हैं । विधेयक में इन पचायतों को उनकी अवधि के समाप्त होने तक जारी रहने का प्राधिकार दिया गया है यदि राज्य विधान मण्डल अन्यथा फैसला न करें । हम आशा करते हैं कि इस विधेयक के पारित होने तथा राज्य विधान का इसके उपबन्धों के अनुरूप

मिलान करने के बीच के अन्तराल का उपयोग राज्य सरकारें नयी व्यवस्था के कार्यकरण पर गहराई से विचार करने में करेंगी।

पंचायतों को उनकी आवश्यकतानुरूप कर्मचारी देने होंगे। हम इस बात का प्रस्ताव नहीं करते हैं कि सरकारी कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट पंचायत स्तर पर चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा लिखी जायें बल्कि जिला स्तर पर सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना होगा और उनको बदलते परिवेश में नए उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए प्रेरित करना होगा। हमें जिला स्तर पर अधिकारियों और निर्वाचित पंचायतों के बीच पारस्परिक सम्मान और विश्वास की भावना का निर्माण करना होगा। हमारे लोकतन्त्र में राज्यों और केन्द्र में अन्य स्तरों पर सरकारी कर्मचारियों और निर्वाचित प्राधिकारियों ने आपसी सहयोग से मिलकर कार्य करना सीख लिया है। इस प्रकार का सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध जिला स्तर पर सरकारी अधिकारियों और पंचायतों के बीच भी होने चाहिए हमें आशा है कि राज्य सरकारें जिला प्रशासन के विनियमित और विकास कार्यों के बीच दरार पैदा करने का लोभ का प्रतिरोध करेंगी। इसमें समन्वय होना चाहिए क्योंकि यह तो केवल विकासोन्मुख प्रशासन के द्वारा ही हो सकता है कि एक विनियमन अधिकारी कानून और व्यवस्था के संकट को पहले से भांपने या इसके होने पर ठीक करने के लिए आवश्यक सम्पर्क और सम्बन्ध स्थापित कर सकता है।

हम इस बात के प्रति बहुत सजग हैं कि यह विधेयक ग्रामीण भारत में स्वयं को लोकतन्त्र तथा निचले स्तर पर विकास तक ही सीमित रखे। हमें ऐसी ही चिन्ता देश में बढ़ती हुई शहरी और अर्धशहरी जनसंख्या के सम्बन्ध में करनी चाहिए। इस बात के लिए सरकार का लोक सभा के अगले सत्र में एक प्रमुख विधान लाने का प्रस्ताव है।

हम अपना ध्यान सहकारी आन्दोलन को नया रूप देने उसका नवीकरण और कायाकल्प करने पर देंगे, जिसे पंडित जी ने हमेशा पंचायती राज का एक आवश्यक अंग माना है।

हम इस सभा में इस विधेयक को बगैर किसी पूर्वोदाहरण के काफी विचार विमर्श और राष्ट्रीय बहस के उपरान्त लाये हैं। हमने सारे देश की पंचायती राज संस्थाओं, के दस हजार से अधिक प्रतिनिधियों से परामर्श किया है। हमने पंचायती राज के सम्बंध में भारत सरकार के जिला अधिकारियों, मुख्य संचिवों और संचिवों सहित विभिन्न स्तरों पर सरकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की है। हमने पंचायती राज मंत्रियों और राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ बैठकें की हैं। हमने यह वाद विवाद राजनैतिक स्तरों, पर पार्टी मंचों पर और संसदीय परामर्शदात्री समिति में भी किया है।

हमारे प्रस्ताव आपके सामने हैं लेकिन हमारे विमर्श बन्द नहीं है। आने वाले महीनों में हम आशा करते हैं कि इन प्रस्तावों के बारे में सारे देश में व्यापक वाद विवाद होगा। हम इस तरह की चर्चाओं को विपक्षी दलों और मुख्य मंत्रियों के साथ करने के लिए तैयार हैं। हम निःसन्देह सभा में रखे गये सुझावों पर पूरा ध्यान देंगे। हम सर्वसम्मति चाहते हैं लेकिन हम किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार हैं। हम लोगों के अधिकारों के लिए लड़ेंगे, हम लोगों के वास्ते लोकतन्त्र के लिए लड़ेंगे, हम लोगों के विकास के लिए लड़ेंगे। हम भारत की जनता, के बारे में सबसे अधिक चिन्तित हैं। जो प्रस्ताव हम सभा के समक्ष रखते हैं वे वास्तव में हमारे प्रस्ताव नहीं होते हैं वे भारत की जनता के प्रस्ताव होते हैं। हमने पंचायती राज का यह अनुभव देशभर से एकत्र किया है, अच्छा अनुभव तथा बुरा अनुभव, कांग्रेस द्वारा चलाई जा रही सरकारों का अनुभव और अन्य दलों द्वारा

चलाई जा रही राज्य सरकारों का अनुभव हमारे पास है। इस अनुभव को एकत्र करके इसे मथ दिया गया है। इस मंथन से अमृत निकला है जो हम बांटना चाहते हैं।

हमारा प्रजातन्त्र उस अवस्था में पहुंच गया है जहां लोगों की पूर्ण भागीदारी में और अधिक देरी करना असहनीय है। हमारे ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि हम इस विधेयक को हड़बड़ी में में पारित कर रहे हैं। कोई हड़बड़ी नहीं है। कई वर्षों से हम पंचायती राज पर कई विभिन्न स्तरों पर सुप्रपारित विचार-विमर्श करते आ रहे हैं। इस देश के जन जीवन में कोई भी व्यक्ति हमारी मंशाओं से अनभिज्ञ नहीं है हमारे माननीय राष्ट्रपति जी ने संसद की दोनों सभाओं के समक्ष दिये अपने भाषण में इस विषय पर प्रमुख कानून बनाने का उल्लेख किया था जो सरकार आगे लाना चाहती थी। अब हमने वह वायदा पूरा किया है। जो लोग इसे चुनावी आडम्बर कह कर इसकी निन्दा करते हैं, वे ऐसे लोग है जिनके सामन्तवादी हित लोगों के पास सत्ता पहुंचने पर समाप्त हो जायेंगे। (व्यवधान) महोदय, मैं अब कभी सत्ता के दलालों और सामन्तवादी हितों की बात करता हूं तो इसे हमारे कुछ दोस्तों को गहरी चोट पहुंचती है और उसके लिए मैं उनसे क्षमा मांगता हूं परन्तु यह लड़ाई जनता को मजबूत बनाने के लिए है और विपक्ष द्वारा कही जाने वाली हर बात के बावजूद हम यह लड़ाई लड़ेंगे।

महोदय, हमें जनता पर भरोसा है। हमें जनता पर विश्वास है। जनता को अपने भाग्य तथा देश के भाग्य का निर्णय करना चाहिए। भारत की जनता के लिए हमें अधिक से अधिक प्रजातन्त्र तथा सत्ता का हस्तांतरण सुनिश्चित करना चाहिए। सत्ता के दलालों का खात्मा होना चाहिए। हमें जनता को सत्ता सौंपनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : महोदय विधेयक को पुरःस्थापित करते समय अपने माननीय प्रधान मंत्री को काफी लम्बा वक्तव्य देने की अनुमति दी है। महोदय, हमने यह नोटिस दिया है कि हम विधेयक को पुरःस्थापित करने का विरोध करेंगे। महोदय हमारे नोटिस आपके पास लम्बित पड़े हैं और मैं चाहता हूं कि आप हमें प्रधान मंत्री द्वारा व्यक्त किये गये विचारों पर बोलने की अनुमति दें। (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : महोदय, वाद-विवाद पर अनुमति देने के लिए हम सभा का सत्र कल तक के लिए बढ़ा सकते हैं और हम कल इस पर बहस कर सकते हैं।

हमनें जानबूझ कर इस सत्र में बहस नहीं करने का निर्णय लिया था क्योंकि हमने सोचा था कि मध्यवर्ती अवधि में विपक्ष के लिए बहस करने हेतु पर्याप्त समय होगा क्योंकि हम कांग्रेस दल के लोग इस पर दो वर्ष से चर्चा कर रहे हैं। विपक्ष ने जनता को अनदेखा कर दिया है। इसलिए हमने सोचा है कि हम अगले सत्र में इस पर बहस करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कई सदस्यों से नोटिस मिले हैं जो विधेयक की पुरःस्थापना का विरोध करना चाहते हैं और मैं प्रत्येक दल से एक सदस्य को बोलने की अनुमति दूंगा।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : नहीं, नहीं। कृपया नई परम्परा शुरू मत कीजिए। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, जब कभी किसी विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसा नहीं होता कि कोई दल पूर्णतया विरुद्ध होता है। कुछ उपबन्ध होते हैं जिनके बारे में कोई

ठोस सुझाव देना चाहता है तथा टिप्पणियां करना चाहता है ताकि विधेयक की वैधानिकता को खतरा न हो। इसलिए, वक्ताओं पर एक दल से एक वक्ता की पाबन्दी मत लगाइये। जो नाम दिये गये हैं आप उन्हें अपने सुझाव देने की अनुमति दीजिए और आप यह ध्यान में रखिए कि सभी 20 सदस्य संक्षेप में बोलें। एक ऐसा प्रजातान्त्रिक आदर्श है जिस पर विकेन्द्रीकरण तथा सत्ता के हस्तांतरण के सम्बन्ध में सभी एक मत हैं। परन्तु केवल कार्य प्रणाली के प्रश्न पर निर्णय किया जाना है।

श्री शान्ताराम नायक (पणजी) : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने नोटिस में सभा की विधायी सक्षमता को चुनौती दी है।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां, जी हां। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हां उन्होंने ऐसा किया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। अगर आप गर्म न हों तो सारा काम ठीक हो जाये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सुनिए। यदि विधेयक को पुरःस्थापित करने हेतु अनुमति के लिए कई सदस्यों द्वारा उस प्रस्ताव का विरोध करने की अनुमति मांगी जाती है तो अध्यक्षपीठ उन्हें अपने में से एक वक्ता चुनने के लिए कह सकती है जो विधेयक के प्रभारी सदस्य के वक्तव्य देने के बाद वक्तव्य दे सकता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपनी बात अभी पूरी नहीं की है। मैं केवल यही कह रहा हूं कि हमारे पास ऐसे 20 सदस्य हैं।

श्री सी० माधव रेड्डी : नियम का परन्तु का बहुत स्पष्ट है जब कभी इस आधार पर प्रस्ताव का विरोध किया जाता है कि विधेयक में सभा की सक्षमता से बाहर-कानून बनाने का उपक्रम किया गया है ··(व्यवधान)

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : यह पुरःस्थापित करने की अवस्था है। उनके वक्तव्य देने का प्रश्न उस समय उठेगा जब वे पुरःस्थापना का विरोध करेंगे।

श्री सी० माधव रेड्डी : हम पुरःस्थापना का ही विरोध कर रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे सम्भाल सकता हूं। आप क्या कह रहे थे ?

श्री सी० माधव रेड्डी : नियम 72 के परन्तुक में कहा गया है :

"परन्तु जब प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाये कि वह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो सभा की विधायिनी क्षमता से परे है, तो अध्यक्ष उस पर पूर्ण चर्चा की अनुज्ञा दे सकेगा।" (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पूर्ण चर्चा नहीं हो, सकती । परन्तु मेरे विचार में मैं कई लोगों को अनुमति दे सकता हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप हमेशा नाराज रहते हैं । मेरे साथ यही समस्या है । यदि आप चुप रहें तो हम इसका समाधान कर सकते हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि हम कई सदस्यों को अनुमति दे सकते हैं । मैं प्रत्येक दल में से दो सदस्यों को भी अनुमति दे सकता हूं·····

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय । मुझे नोटिस मिल चुके हैं ।

श्री राजीव गांधी महोदय, हम चाहते हैं कि सभा को यह ज्ञात हो कि विधेयक का विरोध करने वाले 20 लोगों के नाम क्या है ।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : आप उनसे हमारी संरक्षा कीजिए । हम कुछ मुद्दे उठायेंगे जिससे विधेयक को मजबूत किया जा सके । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उनकी बात सुन रहा था ।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : प्रधान मंत्री द्वारा उकसाये जाने वाला मैं अन्तिम व्यक्ति हूं । परन्तु मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कुछ संवैधानिक मुद्दे उठाये जाते हैं, वे पूरे देश के लिए, सरकार तथा विपक्ष के लिए सहायक होते हैं । उदाहरण के तौर पर राज्यपाल के बारे में प्रश्न था । मुझे खुशी है कि मेरी बात पर ध्यान दिया गया था और उस विचार को छोड दिया गया था । संघीयता पर बहस के दौरान आप पायेंगे कि बहुत से मुद्दे जो उठाये जायेंगे उनपर राष्ट्र स्तर पर चर्चा होगी और अन्ततः हम एक मत पर पहुंच जायेंगे । यही उद्देश्य है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर बहुत उदारता से विचार करूंगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए हमें कितने समय की जरूरत होगी ?

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : जो लोग बोलेंगे वे यह बात ध्यान में रखेंगे और यदि आप सदस्यों द्वारा कही गई बात सुनेंगे तो आप जान जायेंगे । हमें छिछोरे तर्क-वितर्कों में नहीं पड़ना चाहिए कि कौन जनता का समर्थक है और कौन जनता का विरोधी है ।

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री शिवराज वी० पाटिल): महोदय, यह

एक ऐसी अवस्था है जब विधेयक को पुर:स्थापित किया जाता है । इस समय यदि बहस होती है तो बहस केवल सभा की विधायिनी क्षमता पर ही हो सकती है और यदि माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि उन्हें इस विधेयक पर आपत्ति है तो हम उन लोगों के नाम जानना चाहते हैं जिन्हें इस पर आपत्ति है । (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं जवाब दे दूंगा ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : यह सिर्फ राजनीतिक दादागिरी है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बात आप, मुझ पर क्यों नहीं छोड़ सकते हैं ? मैं इसे सम्भाल सकता हूं ।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : ऐसा नहीं है कि ये 20 सदस्य दोषी हैं··· (व्यवधान)

श्री शंकरराव बी० पाटिल : मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे रूलिंग करने दीजिये···

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एस जयपाल रेड्डी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । (व्यवधान)

श्री शंकरराव बी० पाटिल : मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है । (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप क्या बोल रहे हैं । पहले इन्हें बोल लेने दीजिये, बाद में आप बोल लेना ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता हूं । आप इस बात की चिन्ता क्यों करते हैं ? मैं इसे सम्भाल लूंगा । मैं इसे रद्द कर दूंगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा । मैंने प्रो० मधुजी को अनुमति दी थी । मैं आपको अनुमति दूंगा ।

[हिन्दी]

पहले उनको बोल लेने दो।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अमल दत्ता : उन्हें नियम उद्धृत करने को कहिये। नियम क्या है? वे किस नियम के अन्तर्गत बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री शिवराज वी० पाटिल : इस समय केवल एक मुद्दे पर ही चर्चा की जा सकती है और वह यह है कि यह सभा विधायी रूप से सक्षम है अथवा नहीं। यदि बहुत से मुद्दों पर चर्चा की जायेगी और यदि उन्हें इस तरह से पेश किया जाता है कि गलत फहमी उत्पन्न हो सकती है और यदि इसका उत्तर नहीं दिया जाता है तो इससे गलतफहमी उत्पन्न होगी। मेरा निवेदन यह है कि वे सिर्फ एक मुद्दे पर बोल सकते हैं कि यह सभा विधायी रूप से सक्षम है अथवा नहीं। (व्यवधान) अब हम यह जानना चाहेंगे कि क्या वे इस विधायी सक्षमता का विरोध करते हैं या वे सैद्धान्तिक तौर पर ही इसका विरोध कर रहे हैं। यदि वे सैद्धान्तिक तौर पर विरोध कर रहे हैं तो यह एक अलग बात है। मुद्दा यही है कि क्या वे इस सभा के विधायी रूप से सक्षम होने का विरोध कर रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय। कृपया पहले मुझे इस विषय का निपटारा करने दीजिए जो उन्होंने उठाया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों ने कहा है कि यह विधेयक एक ऐसे विधान से संबंधित है जो सभा की विधायी सक्षमता से परे है। यही बात कही गयी है।

प्रो० मधु दंडवते। हम इस सभा की विधायी सक्षमता को चुनौती दे रहे हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जी ठीक है, ठीक है, तुम्हें क्या तकलीफ है।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : इस सभा में विधायी सक्षमता को चुनौती नहीं दी जा सकती है। यह उनकी समझ है! (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे पूछ लूंगा।

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी (गुवाहाटी) : महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। माननीय प्रधान मंत्री ने एक बात कही है। मैं उसका स्पष्टीकरण चाहूंगा। (व्यवधान)

इस विधेयक पर वे एक राष्ट्रीय बहस कराना चाहते हैं। साथ ही वे 20 सदस्यों के नामों का

भी जिक्र करते हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि इस विधेयक का किसी भी प्रकार का आलोचनात्मक परीक्षण करना राष्ट्र विरोधी बात है ? क्या उनका यही कहना है ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह कोई बात नहीं हुई।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय। मैंने इसे रद्द कर दिया है।

श्री दिनेश गोस्वामी : राष्ट्रीय बहस के दौरान हम इस विधेयक का आलोचनात्मक परीक्षण करेंगे। क्या इसका अर्थ राष्ट्र विरोधी होना है ?

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा)। वह 20 सदस्यों का क्यों नाम चाहते हैं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय। मैंने श्री काबुली को अनुमति दी है।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं कहना चाहूंगा..... (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी। महोदय, माननीय सदस्य ने मुझसे एक प्रश्न पूछा है। अतः यदि आप मुझे अवसर प्रदान करें तो मैं इसका उत्तर दूंगा। (व्यवधान)

महोदय, मुझे अभी-अभी लोक सभा संचिवालय (विधायी शाखा-I) से एक परिपत्र प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार विधेयक का विरोध करने वाले 20 सदस्य निम्नलिखित हैं; (1) श्री सी० माधव रेड्डी (2) प्रो० मधु दण्डवते (3) श्री दिनेश गोस्वामी (4) श्री एस० जयपाल रेड्डी (5) श्री बाजू बन रियान (6) श्रीमती विभा घोष गोस्वामी (7) श्री अजित कुमार साहा (8) श्री रेणुपद दास (9) श्री आनन्द पाठक··· (व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : (10) श्री जायनल अबेदिन (11) श्री मानिक सान्याल (12) श्री बी० एल० रेड्डी (13) श्री सैफुद्दीन चौधरी (14) श्री पूर्ण चन्द्र मलिक (15) श्री अनिल बसु (16) श्री अजय विश्वास (17) श्री बसुदेव आचार्य (18) श्री सोमनाथ चटर्जी (19) श्री हन्नान मोल्लाह और (20) श्री अमल दत्ता। इन लोगों ने इसका विरोध किया है। यह लोक सभा संचिवालय का परिपत्र है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वास्तव में मैं इस विवाद को नहीं समझ सकता हूं। कृपया व्यवस्था बनाये रखें।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते। महोदय, मुझे आपको यह बात अवश्य बता देनी चाहिए कि सभा में किसी

बात को बताने का यह तरीका नहीं है। (व्यवधान)

श्री अमल दत्ता : उन्हें परिपत्र प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। क्या आप मुझे उसकी एक प्रति देंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी व्याख्या करूंगा। मैं इसकी व्याख्या कर सकता हूं।

[हिन्दी]

अब मैं जवाब दूंगा। मैं आपको बताता हूं।

[अनुवाद]

श्री अमल दत्ता : अब नामों का जिक्र कर दिया गया है। यदि आप किसी व्यक्ति को बोलने की अनुमति देते हैं तो उनके नाम का पता चल जायेगा। जो हम कहना चाहते हैं वह भी मालूम होगा। इन नामों का पता क्यों चलने दिया गया? (व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको यही बता रहा हूं। आप सुनते क्यों नहीं हैं।

[अनुवाद]

मैं इसका उत्तर दे रहा हूं। आप जब मुझसे प्रश्न कर रहे हैं मैं आपको उत्तर दे रहा हूं।

[हिन्दी]

पाइंट आफ आर्डर बाद में करेंगे, पहले सुन तो लीजिए।

[अनुवाद]

यही बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। कृपया मेरी बात सुनें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सामान्य प्रक्रिया यह है कि जो मंत्री विधेयक प्रस्तुत करते हैं उन्हें यह दी जाती है। यही सामान्य प्रक्रिया है। ऐसा अचानक नहीं किया गया है। उन्हें इसकी जानकारी दी जाती है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप उनसे पूछ सकते हैं। यदि मैं गलत कह रहा हूं तो आप इसकी जांच कर सकते हैं। आप इसकी जांच कर सकते हैं। इसके अभिलेख भी मौजूद हैं। कोई भी व्यक्ति इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता है। आप यह बात मालूम कर सकते हैं। प्रत्येक मंत्री, जो कि विधेयक प्रस्तुत करता है, उसे यह दी जाती है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। कृपया बैठ जाइये। मैंने अभी आपकी बात समाप्त नहीं की है।

(व्यवधान)

श्री एम० पी० एम० शेखू (मद्रास उत्तर) : महोदय, मैंने भी एक नोटिस दिया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने सुन लिया है। अगर आपने लेट दिया है, तो मैं क्या करूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर आप इसे देर से देंगे तो मैं इसके लिए जिम्मेवार नहीं हूं। प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं खड़ा हुआ हूं। आप बैठ जाइए। आप उन्हें भी बैठाइए। बिना किसी कारण के आप यह क्या कर रहें ? मैंने उसके बारे में सुन लिया है। मैं केवल इतना ही कहता हूं कि कोई प्रश्न नहीं उठता जब मैं कह रहा हूं कि आपको बोलने की अनुमति दी जाएगी। ये उन्हें क्यों बोलना चाहिए। जब कोई बोलता है तब विदित हो जाएगा। समस्या क्या है ? मैं नहीं जानता कि हम इसके पीछे क्यों पड़ें ? हां, श्री माधव रेड्डी बोलें।

(व्यवधान)

श्री सी० माधव रेड्डी : इसे यहां पढ़ने की क्या आवश्यकता है ? (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने उन्हें नाम पढ़ने की अनुमति दी है ?....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : काबुली जी, आप क्या कह रहे हैं ?

श्री अबुल रशीद काबुली। संविधान के अनुच्छेद 370 में जम्मू-कश्मीर की आंतरिक स्वायत्तता के बारे में कहा गया है। यह इस प्रकार है :

"(क) अनुच्छेद 238 के उपबन्ध जम्मू-कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे;

(ख) उक्त राज्य के लिए विधि बनाने की संसद की शक्ति :

(एक) संघ सूची और समवर्ती सूची के उन विषयों तक सीमित होगी जिनको राष्ट्रपति, उस राज्य की सरकार से परामर्श करके, उन विषयों के तत्स्थानी विषय घोषित कर दे जो भारत डोमिनियन में उस राज्य के अधिमिलन को शासित करने वाले अधिमिलन पत्र में ऐसे विषयों के रूप में विनिर्दिष्ट हैं जिनके सम्बन्ध में डोमिनियन विधानमण्डल उस राज्य के लिऐ विधि बना सकता है; और

(दो) उक्त सूचियों के उन अन्य विषयों तक सीमित होगी जो राष्ट्रपति, उस राज्य की सरकार की सहमति से, आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।"

अध्यक्ष महोदय। आप इसका विरोध कर सकते हैं। इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री अबुल रशीद काबुली : मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं इसके पीछे छिपी भावना की प्रशंसा करता हूं। परन्तु प्रश्न स्वायत्तता का है। आप मुझे बताएं कि क्या जम्मू और कश्मीर की

स्वायत्तता का अतिक्रमण किया गया है। आप मुझे दिशा निर्देश दें। आप मेरी सहायता करें।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी सहायता की है। आप इसका विरोध कर सकते हैं।

श्री अबुल रशीद काबुली : मैं इसका विरोध नहीं करूंगा। मैं जानना चाहूंगा कि क्या जम्मू और कश्मीर के लिए इस कानून को लागू करने में कोई कठिनाई है। जब अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय और अन्य राज्यों के बारे में कहा गया है.....(व्यवधान) यह पीठासीन अधिकारी की जिम्मेदारी है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। मैं इसे नामंजूर करता हूं। कुछ नहीं। रेड्डी जी, आप बोलिए। आप इस विधेयक का विरोध कर सकते हैं।

श्री अबुल रशीद काबुली : मैं इस विधेयक का विरोध नहीं कर रहा हूं। आपकी हमारा मार्गदर्शन करना है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपना निर्णय दे दिया है। आपकी आपत्ति नामंजूर की जाती है। यही काफी है। बस काबुली जी, हर बात की एक सीमा होती है। अब बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री अबुल रशीद काबुली : महोदय, आप कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : बस, श्री माधव रेड्डी जी।

श्री सी० माधव रेड्डी : मैं इस आधार पर इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि कानून बनाना इस सभा के क्षेत्राधिकार से बाहर है। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो प्रक्रिया हमने अपनायी है वह असामान्य है। विधेयक पुर:स्थापित करते समय प्रधानमन्त्री जी को बोलने के लिए कहा गया था और वह बोले। विभिन्न विषयों से सम्बन्धित उन्होंने एक लम्बा भाषण दिया। विपक्ष को भी यह हक होना चाहिए कि वह उन संवैधानिक मुद्दों सहित, जो हम उठाने जा रहे हैं, उन पर टिप्पणियां कर सके।

मैं इस विधेयक के गुणों की बात नहीं करना चाहता। माननीय प्रधानमन्त्री जी ने इस विधेयक के विभिन्न खण्डों से सम्बन्धित विषयों का उल्लेख किया है। लेकिन मैं यहां पर यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब हम इस विधेयक का विरोध सभा की विधायी शक्ति के आधार पर कर रहे हैं, तो इसका अभिप्राय यह नहीं है कि हम विधेयक के सभी उपबन्धों का विरोध करते हैं। यह स्पष्टत: समझ लिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह यह स्पष्ट करें कि इस विधेयक को पारित किए बिना उसके उपबन्धों को कैसे कानूनी रूप दिया जा सकता है।

प्रो० मधु दण्डवते : आप पहले उनकी बात तो सुनिये। तभी आप समझ सकेंगे। उनकी बात सुने बिना ही आप समझना चाहते हैं। यह कैसे हो सकता है?

श्री राजीव गांधी : मैं उनका अनुसरण नहीं करना चाहता।

श्री सी० माधव रेड्डी : यदि आप उस बहस के मुद्दे को जिसे मैं उठा रहा हूं, नहीं सुनना चाहते तो बेहतर होगा कि आप कृपया इसे वापस ले लें।

संवैधानिक पहलुओं का उल्लेख करने से पहले मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा। जैसाकि मैंने पहले कहा, हम पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियां और अधिकार दिये जाने के विरुद्ध नहीं हैं।

हम जनता को और अधिक अधिकार दिये जाने के भी विरुद्ध नहीं हैं। हमारी पार्टी की सरकार ने पहले ही इस पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया है और प्रधान मन्त्री ने भी इसका उल्लेख किया है। हमने अनेक उन उपबन्धों को भी लागू कर रखा है जो इस विधेयक में किए गए हैं जैसे, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए आरक्षण और पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की है जिनके लिए आपने यहां किसी आरक्षण की घोषणा नहीं की है। ·· (व्यवधान) · और महिलाओं के लिए भी।

हमने यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की है कि ये पंचायती राज संस्थाएं ठीक ढंग से काम करें हमने कुछेक अधिकार और धन उन्हें दिए है। हमने न केवल पंचायतों के नियमित चुनाव करवाये हैं बल्कि हमने उनकी विभिन्न समितियों के नीचे चुनाव भी करवाए हैं ·····

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : लगता है कि वह इसका विरोध नहीं कर रहे हैं।

श्री सी० माधव रेड्डी : क्या विधि मंत्री के नाते वे मेरी बात सुनेंगे ? (व्यवधान) भारत सरकार ने मतदान के लिए जो 18 वर्ष की आयु निर्धारित की है हमने इसे काफी पहले ही लागू कर दिया था।

श्री बी० शंकरानन्द : क्या आप संविधान-संशोधक विधेयक का विरोध कर रहे हैं···· (व्यवधान) · हमें मालूम होना चाहिये कि आप किस आधार पर इसका विरोध कर रहे हैं।

श्री सी० माधव रेड्डी : मैं इस विधेयक के पुरःस्थापित किये जाने के विधायी अधिकार के आधार पर विरोध कर रहा हूं जिसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। (व्यवधान)

विपक्ष के शासन वाली बहुत-सी राज्य सरकारों ने काफी पहले से पंचायती-राज-प्रणाली लागू कर रखी है और जैसा कि प्रधानमन्त्री ने स्वयं कहा है, वह बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रही हैं। यहां मुद्दा यह नहीं है कि क्या यह पचायत राज व्यवस्था कुछ राज्यों में अच्छी प्रकार से और कुछेक राज्यों में इसके विपरीत कार्य कर रहा है। यहां मुद्दा यह है कि क्या इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का संवैधानिक परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है ? क्या पचायती राज व्यवस्था के कार्यकर्त्ता के लिए संविधान के ढांचे को प्रस्तावित ढंग से बदलने की जरूरत है। माननीय प्रधानमन्त्री ने संविधान के अनुच्छेद 40 का सहारा लिया है जिसमें उनके अनुसार संयुक्त उत्तरदायित्व की बात कही गई है।

श्री राजीव गांधी : मैंने अनुच्छेद 40 का जिक्र नहीं किया।

श्री सी० माधव रेड्डी : आपने तो नहीं कहा लेकिन आपके विधेयक में इसका उल्लेख है। महोदय, विधेयक में यह। उल्लेख किया है···(व्यवधान)····

श्री बी० शंकरानन्द : आप के विरोध का क्या आधार है····(व्यवधान)···

प्रो० मधु दंडवते : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। यहां बैठे हुए श्री शंकरानन्द ऐसे बोलते हैं जैसे कि हममें से कुछ वकता अधिवक्ता हों और वह न्यायाधीश है। हर बार वे यही प्रश्न कर रहे हैं कि 'आपत्ति क्या है ? उन्हें चुप बैठना चाहिये। वह सभा को अपने विचारों से अवगत करा देंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : उन्हें न्यायाधीश होना चाहिये।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : उन्हें बोफोर्स के मामले में का न्यायाधीश होना चाहिये ।

श्री सी० माधव रेड्डी : इस विधेयक में अनुच्छेद 40 के बारे में उल्लेख है और यह कहा गया है कि अनुच्छेद 40 में राज्यों और केन्द्र दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी हैं । यह पूर्ण रूप से गलत है क्योंकि केन्द्र और राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन से अनुच्छेद 40 का कोई सम्बन्ध नहीं है । अनुच्छेद 246 ही वास्तव में प्रासंगिक है, अनुच्छेद 40 नहीं । अनुच्छेद 40 में केवल पंचायतों के गठन के सम्बन्ध में राज्यों के लिए नीति निर्देश दिए गए हैं । अनुच्छेद 246 एक ऐसा अनुच्छेद है जिसकी सातवीं अनुसूचि में यह कहा गया है कि पंचायत राज केवल राज्यों क्षेत्राधिकार में है और केन्द्र का इस के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । वास्तव में पंचायत राज संस्थाओं पर केन्द्र का कोई अधिकार नहीं है चाहे वह संवैधानिक संशोधन करना हो या कानून पारित करना हो संवैधानिक संशोधन का सुझाव अशोक मेहता समिति तथा अनेक समितियों द्वारा किया गया है किन्तु यह चुनावों के नियमित संचालन तक ही सीमित रखा गया था और इस विधेयक में बताई गई अन्य बहुत सारी बातों के सम्बन्ध में नहीं क्योंकि पंचायत राज विधेयक की सम्पूर्ण योजना, जो अब पंचायत राज अधिकनियम, जिसे अब संविधान में सम्मिलित किये जाने का विचार व्यक्त किया गया हैं पूर्ण रूप से अनियमित और अनावश्यक है । संवैधानिक उपबन्ध और समर्थन के बिना भी पंचायत राज संस्थाओं का गठन किया जा सकता है पंचायत राज संस्थाओं को चलाया जा सकता है, जैसा कि ऐसे राज्यों में किया जा रहा हैं जहां विपक्ष सत्ता मे है । इसीलिए मैं इस विधेयक का विरोध इस आधार पर करता हूं कि संवैधानिक संशोधन आवश्यक नहीं है । यह अनुच्छेद 246 के उपबन्धों, अर्थात संविधान की सातवीं अनुसूचि के विरुद्ध है । इसीलिए इस सभा की इस बात की कोई वैधानिक सक्षमता नहीं है । (व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : आप जनता से बात करिए । (व्यवधान)

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नलगोंडा) : आप पिछड़े वर्गों के विरोधी हैं । (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं विधायी सक्षमता के आधार पर 64वें संशोधन विधेयक पुर:स्थापित करने का विरोध करता हूं ।

महोदय, श्री माधव रेड्डी द्वारा एक मुद्दा उठाया गया है कि इस संसद को पंचायती प्रणाली के सम्बन्ध में कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है । मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम जनता को अधिकार देने के खिलाफ नहीं हैं । हमने पश्चिम बंगाल की जनता को पहले ही अधिकार दे दिये हैं । पश्चिम बंगाल में पंचायती चुनाव 1978 से अर्थात् तब से निरन्तर नियमित रूप से होते रहे हैं जब से मार्क्सवादी साम्यवादी दल की सरकार सत्ता में आई है । (व्यवधान)

पश्चिम बंगाल में जब कांग्रेस (आई०) की सरकार थी तो 18 वर्ष तक कोई पंचायत चुनाव नहीं हुए । उन्होंने एक कानून पंचायत अधिनियम, 1983 बनाया था इसके बाद उन्होंने कभी इसको कार्यान्वित नहीं किया । जब वामपन्थी मोर्चे की सरकार सत्ता में आई, तो उन्होंने इसे लागू किया···· (व्यवधान) । जो लम्बी सूची यहां दी गई है, उसको ग्यारहवीं अनुसूचि के रूप में सम्मिलित किया जाएगा । यहां जिन बातों का उल्लेख किया गया है, वह पश्चिम बंगाल में पहले से ही हैं । किन्तु पंचायती राज के सफल कार्यान्वयन के लिए जिस महत्वपूर्ण बात की आवश्यकता है वह भूमि सुधार और भूमि जोतने वालों को भूमि देना है । यह सभी बातें पश्चिम बंगाल में हैं । — (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रधान मंत्री विधेयक के क्षेत्र से बहुत आगे निकल गए हैं । अब तो

आप को यह सुनना ही पड़ेगा।

श्री बसुदेव आचार्य : उन्होंने सहकारिता प्रणाली के सम्बन्ध में क्यों कहा था? इसका इस विधेयक से क्या सम्बन्ध है?

अध्यक्ष महोदय : आप केवल अपना मुद्दा बताइए आप किन मुद्दों पर विरोध कर रहे हैं?

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : प्रधान मंत्री ने प्रायः सभी बातों के सम्बन्ध में कहा है।

श्री बसुदेव आचार्य : यह सभी बातें गैर-कांग्रेस (आई०) राज्यों में पहले से ही हैं; पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश आदि में पंचायती राज प्रणाली ठीक प्रकार से काम कर रही है···

श्री सोमनाथ चटर्जी : अतः यह विधेयक किस लिए प्रस्तुत किया गया है?

श्री बसुदेव आचार्य : प्रधान मंत्री के वक्तव्य से सरकार का इरादा स्पष्ट है। यह कानून अब क्यों लाया जा रहा है? जब कांग्रेस (आई०) की सरकार त्रिपुरा में जब सत्ता में आई तो उसके द्वारा सभी पंचायतों का अतिक्रमण कर दिया गया था।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रकार की बातों की अनुमति नहीं दूंगा। आपको जो कुछ कहना है, ठीक-ठीक कहिए। आप क्या कर रहे हैं?

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, उन्हें पंचायती राज के सम्बन्ध में कोई कानून पारित करने का अधिकार नहीं है। इस कानून से संविधान का मूल ढांचा बिगड़ जाएगा। इससे राज्य सरकार के अधिकार कम होंगे; राज्य सरकारों को नजर अन्दाज करके वे यह कानून बनाना चाहते हैं। यदि वास्तविक मंशा नियमित रूप से चुनाव कराने की है, वस्तु स्थिति यही है कि ये चुनाव कांग्रेस (आई०) राज्यों मे नियमित रूप से नहीं हो रहे हैं गैर-कांग्रेस (आई०) राज्यों में तो नियमित रूप से होते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात बताइए।

श्री बसुदेव आचार्य : वहां नियमित रूप से चुनाव कराये जाते हैं। पश्चिम बंगाल में ग्राम पंचायत के 33 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के है और वहां इस संबंध में कोई आरक्षण भी नहीं है। एक कृषि श्रमिक भी भूस्वामी के खिलाफ चुनाव लड़ सकता है और जीत सकता है। आरक्षण के बिना भी पश्चिम बंगाल मे यह स्थिति है।

श्री राजीव गांधी : माननीय सदस्य इस संवैधानिक आधार पर विधेयक का विरोध करने उठे थे कि क्या हम कानून बनाने की क्षमता रखते हैं या नहीं। किन्तु मैंने कोई भी संवैधानिक तर्क नहीं सुना। मैंने विधेयक की विषय वस्तु पर केवल व्यक्ति परक और विस्तृत तर्क सुने हैं। स्पष्टतः जो तर्क यहां दिये गये हैं, वे कानूनी स्वरूप के नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे विधेयक के विषय पर आपत्ति कर रहे हैं। यह सक्षमता की दृष्टि से कानूनी तर्क नहीं है जिस पर वे आपत्ति कर रहे हैं। वे विषय-वस्तु पर आपत्ति कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : आपने क्या कहा था? आपने सभी असंगत बातें कही थीं।

श्री राजीव गांधी : विधेयक प्रस्तुत करते समय मुझे अपनी इच्छानुसार भाषण देने का अवसर

मिलता है। तकनीकी आधार पर किसी विधेयक में बाधा डालना अथवा विरोध करना........

प्रो० मधु दंडवते : आप इस बात को अध्यक्ष महोदय पर क्यों नहीं छोड़ देते ?

श्री राजीव गांधी : मैं इस बात को अध्यक्ष महोदय पर छोड़ता हूं।

प्रो० मधु दंडवत : संभवतः कुछ समय बाद आप अध्यक्ष बनें, आप उस समय ऐसा करना अभी नहीं।

अध्यक्ष महोदय : हमें विरोध नहीं करना चाहिए। श्री आचार्य आपको यह बात समझनी चाहिए। मैं इसे सुलझाना चाहता हूं ताकि हम इसे निपटा सके। मैंने आपको बोलने का अवसर दिया है। अतः उसका उचित उपयोग कीजिए। उसका दुरुपयोग मत कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : जब यह प्रणाली परिचालित थी....(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बीच में बोलकर सारा काम खराब करवाते हैं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय नया विधान बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पंचायत प्रणाली को प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित करने के लिए राजनैतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है। कुछ गैर-कांग्रेस-आई राज्यों में, लोगों को शक्ति का हस्तान्तरण सफलता पूर्वक किया गया है और अन्य राज्यों में भी ऐसा किया जा सकता है। केन्द्र जारी कर सकती है जिनमें पंचायत प्रणाली नहीं है। इस कार्य के लिए विधान की कोई आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

कृषि मन्त्री (श्री भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय ..

प्रो० मधु दंडवते : यह एग्रीकल्चर नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाओ।

एक माननीय सदस्य : यह कांस्टीट्यूशन का मामला है। ...(व्यवधान)...

श्री भजन लाल : मैं यह कहना चाहता हूं कि यह टेक्निकल बात है, इस पर कानूनी बात होनी चाहिए। ये बिल के बारे में चल रहे हैं और अपने प्रदेश की बात कह रहे हैं। यह कह रहे हैं कि बिल में यह होना चाहिए और हम ने यह कर दिया है। अगर डिटेल में बिल को डिस्कस करना है, तो हाउस का समय बढ़ा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए, कोई समय नहीं बढ़ाना है। ...(व्यवधान)

श्री भजन लाल : कान को इधर से पकड़ें या उधर से।....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये।

श्री भजन लाल : एक तरफ कहते हैं कि ठीक है और दूसरी तरफ अपोजीशन करते हैं।... (व्यवधान)...ये बिल की मुखालफत कर रहे है या हक में बोल रहे हैं। आप हाउस का समय बढ़ा दीजिए, जिससे इस पर बहस हो सके और इस देश के लोगों की यह [illegible] के लोग लड़े रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

प्रो० मधु दंडवते : भजन लाल जी, यह एग्रीकल्चर नहीं है, यह कांस्टीट्यूशन का मामला है।...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

वीरेन्द्र सिंह राव (महेन्द्रगढ़) : यहां केवल उन्हीं लोगों को बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए, जो पंचायती राज संस्थाओं में भाग ले चुके हैं जिन्हें गांव की परिस्थितियों की व्यक्तिगत और व्यावहारिक जानकारी और जो ग्राम पंचायतों में मतदान करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति इस मुद्दे पर बहस करने में सदन का समय क्यों बरबाद कर रहा है कि क्या यह विधेयक आवश्यक है अथवा नहीं।

एक माननीय सदस्य : तब प्रधान मन्त्री महोदय को अपना भाषण वापस लेना चाहिए। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : क्या आप मुझे अपनी बात कहने देंगे ? धन्यवाद

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पंचायत राज विधेयक प्रस्तुत करते समय अपने भाषण के दौरान प्रधान मन्त्री महोदय ने इस सदन में यह आश्वासन दिया है कि इस विधेयक को प्रस्तुत करने के बाद वे इस विषय पर एक राष्ट्रीय चर्चा कराने चाहेंगे ताकि इस सदन में विचार करने के लिए विधेयक के आने पर इसकी संवैधानिकता, वैधानिक सक्षमता और बहुत से अन्य मुद्दों के बारे में दिए गए विभिन्न सुझावों से सत्तारूढ़ दल को लाभ हो सके और सम्भवतः विधेयक पर विचार के समय इसे और अधिक मजबूत बनाया जा सके। महोदय, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कुछ व्यक्तियों द्वारा एक सार्वजनिक चर्चा के माध्यम से राज्यपाल की शक्ति के मुद्दे को उठाया है, मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार ने अपनी सीमाओं के बावजूद उन सुझावों के पक्ष में उत्तर दिया है और उन्होंने उस विशेष पहलू को छोड़ दिया है। अतः विधेयक की संवैधानिकता और कुछ ऐसे उपबन्धों के बारे में जिनके कारण संवैधानिकता मान्यता खतरे में पड़ सकती है प्रधान मन्त्री महोदय को हमारी बात सुननी चाहिए। केवल इस सदन में ही नहीं अपितु बाहर एक राष्ट्रीय चर्चा की इन सभी टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए यदि वे इस बारे में आवश्यक परिवर्तन करने में सफल हुए तो फिर मैं यह कह सकता हूं कि इस विषय पर हम सदन का विभाजन करना नहीं चाहेंगे।

कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में न केवल सर्वसम्मति है अपितु मतैक्य भी है। जहां तक लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की अवधारणा और केन्द्र से राज्यों और राज्यों से गांवों को शक्ति हस्तान्तरण का सम्बन्ध है इस बारे में देश में न केवल सर्वसम्मति है अपितु मतैक्य भी है और मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं। मुझे इस बात को दोहराना चाहता हूं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि न केवल इस सदन में अपितु सदन से बाहर भी प्रधान मन्त्री महोदय ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि कुछ कांग्रेसी और कुछ गैर-कांग्रेसी सरकारों ने भी शक्ति हस्तांतरण को कार्यान्वित किया है...

श्री सन्तोष मोहन देव : श्री वी० पी० सिंह ने यह कहा है कि यदि वे सत्ता में आते हैं तो वे इस विधेयक को रद्द कर देंगे। (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (इलाहाबाद) : महोदय मेरा उल्लेख नाम लेकर किया गया है... (व्यवधान)

श्री सन्तोष मोहन देव : आपने सदन को यह धमकी दी थी कि आप विधेयक को रद्द कर देंगे··· (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : विधेयक के जिस भाग का उल्लेख मैंने रद्द करने के लिए कहा था वह राज्य पाल की भंग करने की शक्ति के बारे मे था··· (व्यवधान)

श्री शान्ताराम नायक : उन्होंने सदन को सम्पूर्ण विधेयक को रद्द करने की धमकी दी है। (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : क्या मैं यह कह सकता हूं कि मैंने क्या कहा था ? आपने उस भाग को रद्द कर दिया है। आपको आज सदन में आने का साहस नहीं था और आपके विधेयक प्रस्तुत करने से पहले ही मैंने इसे हासिल कर लिया है। अतः विरोधी दलों के मिले-जुले प्रयासों से जो कुछ मैं चाहता था उसे हासिल कर लिया गया है।

श्री राजीव गांधी : क्या मैं इसका उत्तर दे सकता हूं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं यह कह रहा हूं कि अब आपमें उन उपबन्धों को सामने लाने का साहस नहीं है। जहां तक विकेन्द्रीकरण का सम्बन्ध है हम सभी लोग विकेन्द्रीकरण का समर्थन करते हैं। विरोधी पक्ष ही इसमें सहयोग दे रहा और इसका अनुपालन कर रहा है।

प्रो० मधु दंडवते : मैं यह समझ रहा था कि प्रधान मन्त्री महोदय उन उन उपबन्धों को निकाल देंगे लेकिन चुनाव से पहले नहीं।

श्री राजीव गांधी : विरोधी पक्ष के जिस माननीय सदस्य ने अभी-अभी भाषण दिया है वे वास्तव में अपनी ही छोटी सी दुनिया में रहते हैं। यदि माननीय सदस्य ऐसा सोचते हैं कि किसी समाचार पत्र द्वारा कुछ लिखने अथवा विरोधी पक्ष के सदस्यों के कुछ कहने से हमने अपने विधेयकों को बदल दिया तो वे पूर्णतया गलत फहमी में हैं। समाचार पत्र में जो······

एक माननीय सदस्य : आप इस मुद्दे को स्पष्ट कीजिए।

श्री राजीव गांधी : मैं भाषण दे रहा हूं। यदि आप सुनेंगे तो आपको मेरी बात सुनाई देगी। समाचार पत्र ने जिस मुद्दे को उठाया था उसे हम पहले ही रद्दी की टोकरी में फेंक चुके हैं और कूड़ेदान में रहने वाले लोगों को ही यह पता चलता है कि कूड़ेदान में क्या फेंका गया था। कूड़ेदान में जो कुछ फेंका गया था, मैं इसे पढ़ूंगा। मैं इसे पढ़कर सुना रहा हूं।

महोदय, जिसे कूड़ेदान में फेंका गया था उसे मैं यहां उद्धृत कर रहा हूं : यदि किसी राज्य का राज्यपाल किसी भी समय इस बात से सन्तुष्ट है कि राज्य का विधान मण्डल कानून के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है अथवा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है अथवा जन हित के विरुद्ध कार्य कर रहा है तो वह आदेश द्वारा विधान मण्डल को स्थगित अथवा भंग कर सकता है और विधान मण्डल में निहित शक्तियों का उपयोग करने के लिए एक प्रशासक को नियुक्त कर सकता है।" परन्तु जिस मुद्दे को हमने कूड़ेदान में फेंका है उसे हमने उत्पन्न नहीं किया था। इसे वर्ष 1978 में जनता शासन के दौरान प्रस्तुत किया गया था। जिस पैराग्राफ को मैंने पढ़ा है उस पर बहुत से लोगों ने हस्ताक्षर किये हैं। जिनमें श्री एम० एम० जोशी, श्रीमती मृणाल गोरे, नानाजी देश मुख, श्री इन्दु भाई पटेल श्री ₹र सेजियान, श्री आर० के० हेगड़े—जो कि इन माननीय सदस्य से घनिष्ठ मित्र और सहयोगी हैं; श्री ई० एम० एस० नम्बूदरीपाद तथा लगभग 20 अन्य लोग सम्मि-

लित है। वे ऐसा करना चाहते थे और हमने इसे रद्द कर दिया है।

प्रो० मधु दंडवते : क्या मैं उसी मुद्दे पर आ सकता हूं। जिसका मैं उल्लेख कर रहा था।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : अब वे अपने मुद्दे को वापस ले लेंगे।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय मैं सदन में यह उल्लेख कर रहा था कि आज भी प्रधान मन्त्री महोदय ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि ऐसे कांग्रेसी तथा गैर कांग्रेसी राज्य हैं जिनमें पंचायत व्यवस्था प्रभावी रूप से चल रही है।

अब, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के प्रति हमारी वचनबद्धता को देखते हुए हमें कुछ सन्देह हैं कुछ कठिनाइयां हैं। कुछ संवैधानिक कठिनाईयां उत्पन्न हो सकती हैं। यदि हम इन कठिनाईयों के प्रति सुरक्षा करें और उन्हें समाप्त कर दें तथा इस विशेष विधेयक में उचित संशोधन करें तो उस स्थिति में हो सकता है कि इस विधेयक की अच्छाइयां बरकरार न रह सकें इसलिए मैं ठोस सुझाव देना चाहूंगा तथा इस बारे में टिप्पणियां भी करूंगा। (व्यवधान)

संदेह का प्रश्न ही नहीं है।

पहले तो हमें इस तथ्य पर गौर करना चाहिए कि संविधान का अनुच्छेद 368 हमें दोनों सभाओं में उपस्थित तथा मतदान कर रहे सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है।

1.00 म० प०

इस सम्बन्ध में काफी मतभेद था; मामले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई और अन्ततः जो स्थिति आज विद्यमान है वह केशवानन्द भारती केस का फैसला है। केशवानन्द भारती केस में उच्चतम न्यायालय के फैसले ने संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने के संसद के अधिकार को बरकरार रखा है (व्यवधान)

गृह मंत्री (सरदार बूटासिंह) : फिर कठिनाइयां क्या हैं ?

प्रो० मधु दंडवते : कृपया मेरी बात सुनें। श्रीमान् मुझे सुने···क्षमा कीजिए, श्रीमान नहीं बल्कि माननीय सदस्य। वे परस्पर अलग नहीं हैं।

मैं यही कह रहा हूं कि केशवानन्द भारती के फैसले में कहा गया था कि अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत संविधान के किसी भाग में तब्दीली या संशोधन किया जा सकता है; लेकिन संविधान को संशोधित करना एक बात है और संविधान का स्वरूप बिगाड़ना दूसरी बात है; और इसलिए उन्होंने यही सीमा रखी कि आप अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत संविधान में संशोधन कर सकते हैं लेकिन आप संविधान के मूल स्वरूप को नहीं बदल सकते। (व्यवधान)

श्री शान्ताराम नाइक : इससे मूल ढांचे को मजबूती मिलेगी।

प्रो० मधु दंडवते : कृपया मेरी बात सुनें।

महोदय, क्या आप माननीय सदस्य को रोकेंगे ? मेरे हर वाक्य पर वे व्यवधान डाल रहे हैं··· इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं (व्यवधान)

श्री हरुभाई मेहता (अहमदाबाद) : *(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है।

प्रो॰ मधु दंडवते : इसी सभा में विधि मंत्री ने बार-बार कहा है कि आज केशवानन्द भारती केरल का फैसला देश का कानून है, यद्यपि हम इससे सहमत होने को तैयार नहीं हैं। मिनर्वा केस में इस बारे में एक पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी। यहां ये सभी पहलू हैं।

अतः मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जहां न्यायाधीशों ने संविधान के मौलिक स्वरूप में परिवर्तन करने की अनुमति देने से इन्कार किया है वहां उन्होंने वास्तव में यह व्याख्या भी की है कि मौलिक स्वरूप क्या है; उन्होंने पांचवीं विशेषता के अन्तर्गत संविधान का संघीय स्वरूप कहा है। इसलिए मैं प्रधान मंत्री से आग्रह करता हूं कि संविधान विशेषज्ञों से परामर्श करके इस विशेष पहलू की जांच करें और यह पता लगाने का प्रयास करें कि क्या इस विधेयक से संविधान के मौलिक स्वरूप में विकृति नहीं आई है। (व्यवधान)

श्री शांताराम नायक : आप क्या समझते हैं ?

प्रो॰ मधु दंडवते : मुझे लगता है कि इस पर असर पड़ा है। दुर्भाग्य से आपने मेरे पहले वाक्य को नहीं सुना। यही कठिनाई है। मेरे भाषण को पूर्णतया सुनिए। (व्यवधान) मैं व्यर्थ बातें नहीं कर रहा। (व्यवधान) इसलिए मैं संविधान की संघीय विशेषता पर गौर करके यह सुनिश्चित करना चाहूंगा कि इस विधेयक की संरचना इस तरह से हो कि यह स्वरूप प्रभावित न हो और केन्द्र से राज्यों और राज्य से गांवों को लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के प्रशंसनीय कार्य में विकृति उत्पन्न न हो। मेरा यही मुद्दा है। इस संबंध में मैं सभा और विशेषकर प्रधान मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह मामला सरकारिया आयोग के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत था। सरकारिया आयोग ने इस मुद्दे का अध्ययन किया था। उन्होंने इस बारे में विचार किया था कि पंचायती राज और शक्तियां देने के लिए क्या किया जाना है। उन्होंने इस संबंध में कुछ संवैधानिक कठिनाइयों का अनुमान लगाया था और इसलिए अत्यन्त स्पष्ट रूप से सरकारिया आयोग के प्रतिवेदन में उन्होंने कहा कि इसके लिए तीन विकल्प हैं। एक विकल्प तो यह है कि अन्तः राज्य परिषद् में सर्वसम्मति के आधार पर राज्यों द्वारा विधान बनाना यह परिषद् अब कार्य नहीं कर रही है। उन्होंने दूसरे विकल्प के अन्तर्गत राज्यों की सहमति से केन्द्रीय विधान की परिकल्पना की थी और तीसरा विकल्प यह था कि संवैधानिक संशोधन करके केन्द्रीय विधान लाया जाए। उन्होंने सावधानी के रूप में यह स्पष्ट कहा कि "हम तीसरे विकल्प के हक में नहीं हैं।" लेकिन वे पहले विकल्पों की संभावनाओं का पता लगाने के पक्ष में हैं ताकि नया सुधारक विधेयक अपने लिए संवैधानिक अड़चन नहीं बने। मैं चाहूंगा कि सरकारिया आयोग द्वारा जोर देकर कहे गए इस विशेष पहलू को ध्यान में रखा जाए।

अब मैं संविधान के निदेशक सिद्धान्तों का उल्लेख करना चाहूंगा। ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में संविधान के अनुच्छेद 40 में निम्नलिखित उपबन्ध है :

> "राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों।"

ऐसा राज्य करेगा। यहां मुद्दा यह है कि राज्य की विभिन्न रूपों में व्याख्या की जा रही है। इसकी परिभाषा के संबंध में अनुच्छेद 36 में निम्नलिखित कहा गया है :

"इस भाग में (अर्थात् राज्य की नीति के निदेशक तत्वों संबंधी भाग 4) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "राज्य" का वही अर्थ है जो भाग 3 में है।

अब भाग 3 में क्या कहा गया है ? अब 'राज्य' की परिभाषा संबंधी अनुच्छेद 1.2 में निम्नलिखित उपबन्ध है :

"इस भाग में, (अर्थात् मूल अधिकारों के बारे में भाग 3) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "राज्य" के अन्तर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधान मण्डल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं।"

इसे वास्तविकता तथा संविधान को वास्तव में लागू करने के परिपेक्ष्य में पढ़ा जाना चाहिए। यह कहा गया है वहां संसद, राज्य विधान मण्डल तथा अन्य निकाय हैं। लेकिन इसके साथ ही यदि यह अधिकार देने वाला खण्ड है तब भी जहां तक कुछ शक्तियों का संबंध है, संविधान में ऐसे अनुच्छेद हैं जो प्रभावशीयता को स्पष्ट रूप से एक विशेष स्तर तक रखते हैं। उदाहरण के लिए आप अनुच्छेद 51 को ही लीजिए, इसमें अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के बारे में उल्लेख है। यह राज्य का मामला है। आप कह सकते हैं कि राज्य का अभिप्राय राज्य स्तर तथा केन्द्र स्तर दोनों ही से है। लेकिन इस अनुच्छेद 51 में इस तरह से व्याख्या की जाती है कि अन्तर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा देने का कार्य केन्द्र द्वारा ही होता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस विशिष्ट मद्दे को ध्यान में रखा जाए। इसलिए अनुच्छेद 40,36 तथा 12 को एक दूसरे के साथ पढ़ा जाए। स्थानीय शासन के बारे में मैं सातवीं अनुसूची का उल्लेख करना चाहूंगा। इसमें बड़े स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य सूची क्या है। इसके बारे में सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 5 में अत्यन्त स्पष्ट रूप से कहा गया है। मुझे इसे पुन: पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आप सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 5 की जांच करें तो इसमें अत्यन्त स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि स्थानीय शासन पूर्णतया राज्य का विषय है। (व्यवधान) इसे बिल्कुल स्पष्ट किया गया है। मैं चाहता हूं कि प्रधान मन्त्री इस ओर ध्यान दें और विशेषज्ञों से परामर्श करने का प्रयत्न करें। वह श्री एच०के०एल० भगत और सरदार बूटासिंह जैसे संवैधानिक विशेषज्ञों से सलाह करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी पहलुओं का ठीक प्रकार से अध्ययन हो ताकि जहां तक संवैधानिक मामलों का संबंध है बाद में कोई परेशानी न हो। संघीयता की रक्षा करनी होगी। खतरा केवल यही है कि तमाम व्यवस्था में एकात्मक विशेषताएं शामिल की जा रही हैं। मैं एक और उदाहरण दे सकता हूं। उदाहरण के लिए निर्वाचन आयोग को ही लें। मैं निर्वाचन आयोग की आलोचना नहीं करना चाहता। किन्तु सच्चाई यह है कि यदि आप निर्वाचन आयुक्त की भूमिका की समीक्षा करेंगे तो पाएंगे कि उन्होंने इतने साक्षात्कार दिए हैं (इस विधेयक के संबंध में नहीं) जिनमें बार-बार यही कहा गया है कि निर्वाचन आयोग का बोझ बहुत बढ़ रहा है। अब यदि आप केन्द्र में निर्वाचन आयुक्त पर पंचायतों के चुनावों सहित इन सभी चुनावों का भारी बोझ डालते हैं तो यह केन्द्रीयकरण के साथ-साथ विकेन्द्रीकरण है—मुझे डर है कि यह जो प्रक्रिया आरम्भ की जाती है इसके द्वारा केन्द्र, राज्यों के अधिकार और शक्तियों में हस्तक्षेप कर रहा है, राज्यों की अवहेलना करके केन्द्र सीधा गांवों में पहुंच रहा है। मैं यह चाहता हूं कि केन्द्र से राज्यों को शक्तियों का हस्तांतरण हो और इसी प्रकार राज्यों से ग्रामों को शक्तियों का अन्तरण हो। इसके साथ-साथ जहां तक वित्तीय संसाधनों का संबंध है, केन्द्र से राज्यों और राज्यों से गांवों को इसका अन्तरण होना

चाहिए केवल तभी लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का प्रयोग सफल होगा जिसके लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं।

मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि हमें दो रवैयों के बीच एक सीमा रेखा खींचनी होगी, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की परिकल्पना का सीधा विरोध और संविधानिकता के आधार पर कुछ सीमा तक विरोध। मुझे अत्यन्त खेद हुआ जब प्रधान मन्त्री ने यह कहा कि 'जब हम महिलाओं और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की बात कर रहे हैं तो सामन्तवाद के अवशेषों को परेशानी हो रही है" यदि कोई ऐसा मामला है जिस पर सम्पूर्ण देश और सदन एक है तो प्रधान मन्त्री जी मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का मुद्दा है हम अपनी आखिरी सांस तक इसकी रक्षा करेंगे—हम कभी इसका विरोध नहीं करेंगे। इसका विरोध करने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए, यह कह कर हमारा उपहास न करें कि हम वे सामन्तवादी तत्व हैं जो आरक्षण से खुश नहीं हैं। इस लिए यह कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि (व्यवधान) कुछ राज्यों में एक और प्रश्न उठा है (व्यवधान)

श्री शांता राम नायक : राजाओं और महाराजाओं के बारे में आप क्या कहते है ?

प्रो० मधु दंडवते : राजा और महाराजा लोग अपना ध्यान खुद रख लेंगे। हम स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान उनके खिलाफ लड़े है।

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : 1979 में जब बाबू जगजीवन राम प्रधान मन्त्री पद के प्रत्याशी थे तो आपने किस सूची पर हस्ताक्षर किए थे ? (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : एक और कठिनाई की भी सम्भावना है। मेरे कुछ सहयोगियों ने इस बात का जिक्र किया है, श्री माधव रेड्डी ने इस बात का जिक्र किया तथा श्री किशोर देव ने भी इस बात का जिक्र किया। महोदय, जैसे कि हमने अभी अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जन जातियों तथा महिलाओं के लिए आरक्षण किया है। मैं महिलाओं के लिए आरक्षण का कट्टर समर्थक हूं उनके समर्थन के बिना मैं घर नहीं जा सकता) किन्तु एक और पहलू है जिसकी ओर शायद हमने ध्यान नहीं दिया। कुछ राज्यों में ऐसे कानून थे जिनके अन्तर्गत पिछड़े वर्गों के लिए सांविधिक रूप से आरक्षण होता था। यह मामला अदालत में गया और इसमें कुछ संविधानिक और कानूनी कठिनाइयां आई। हम नहीं चाहते कि वह कठिनाई फिर से उठे। इसलिए, न केवल अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए अपितु पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण होना चाहिए। मण्डल आयोग की रिपोर्ट के बाद हमने अभी तक ऐसा नहीं किया है। इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा। हम सरकार का ध्यान इन सभी सांविधिक पहलुओं की ओर दिलाना चाहते हैं, ताकि एक राष्ट्रीय बहस के पश्चात् जब यह विधेयक विचार के लिए वापस आए, वह एक समृद्ध विधेयक हो, एक बेहतर विधेयक हो, एक सम्पूर्ण विधेयक हो जिसे बिना किन्हीं संवैधानिक अड़चनों के एकमत से पारित किया जा सके। इसी प्रयोजन से मैंने सभा के समक्ष अपने विचार रखे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री दिनेश गोस्वामी

[हिंदी]

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : मैं दिनेश जी से थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा प्रधान मन्त्री जी से भी कहना चाहता हूं. मैंने तीन भाषण सुने हैं। मैं मधु भैया का भाषण बड़े आदर और गौर से सुनता हूं। वे काफी पढ़े-लिखे हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि यह जो सारा सिलसिला चल है इसके बारे में मुझे तो यही सूझ रहा है कि "यह बंदा बिलकुल नई है वाह-री दीवानगी अक्ल लड़ाने के लिए यह पीठ किए बैठे हैं।"

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी (गुवाहाटी) : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके राजनैतिक पहलू में नहीं जाऊंगा क्योंकि इस विधेयक को पुरस्थापित किए जाने का विरोध करते हुए मैं केवल इसके संवैधानिक और कानूनी पहलुओं का ही जिक्र करूंगा। मुझे प्रधान मन्त्री जी की एक टिप्पणी से गहरा धक्का लगा है। पहली बार उन्होंने यह कहा कि यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है और वह इस पर राष्ट्रीय बहस कराने चाहते हैं। किन्तु बाद में उन्होंने कहा "मैं उन बीस लोगों के नाम जानना चाहता हूं जिन्होंने विधेयक का विरोध किया है" मानो जिस किसी ने इसका विरोध किया है वह राष्ट्र-विरोधी है।

महोदय, बहस का मतलब है आलोचनात्मक छानबीन। बहस में इसका विरोध भी शामिल है। इसलिए, जब तक प्रधान मन्त्री इसकी आलोचनात्मक विवेचना और इसका विरोध सुनने को तैयार नहीं, और यदि वह केवल यह महसूस करते हैं कि जो इस विधेयक का समर्थन करते हैं केवल उन्हीं की बात सुनी जानी चाहिए, तो मेरे विचार से राष्ट्रीय बहस की कोई सम्भावना नहीं है। मैं आशा करता हूं कि यह उनका आशय नहीं है।

मैं इस विधेयक का विरोध क्यों कर रहा हूं ? मैं इस विधेयक का संवैधानिक आधार पर विरोध कर रहा हूं जिसका कि प्रो० मधु दण्डवते ने कुछ सीमा तक जिक्र किया है। महोदय, पंचायतों का विषय राज्य विधान मण्डलों के अधीन है क्योंकि यह राज्य सूची की मद संख्या 5 में है। राज्य सूची की मद 5 में कहा गया है कि स्थानीय सरकार अर्थात् नगर निगमों की सांविधिक शक्तियां, आदि राज्यों का विषय होगा। आज संसद उन क्षेत्रों में भी कानून बना रही है जहां कानून बनाने का पूरा अधिकार राज्यों को है।

महोदय मैं इस तथ्य से पूरी तरह वाकिफ हूं कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। मैं इस शक्ति को चुनौती नहीं दे रहा हूं। किन्तु स्थिति यह है कि हमने ऐसी सांविधिक शक्ति का प्रयोग किया है जिसके द्वारा संसद एक ऐसे क्षेत्र में कानून बना रही है जो राज्य विधान मण्डलों के लिए आरक्षित है।

सातवीं अनुसूची के अन्तर्गत हम यह कह रहे है कि पंचायतों से सम्बन्धित सभी मामले संघीय सूची के विषय नहीं हैं। यह संसद के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। इस विषय में कानून बनाना राज्य विधान मण्डलों का अधिकार है। किन्तु एक संवैधानिक संशोधन के द्वारा हम उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं जो हमने राज्य विधान मण्डलों को दी है। इसमें सांविधानिक विरोधाभास है। और कोई भी संविधान जो इस प्रकार के विरोधाभासों को स्वीकार करता है, अपनी शक्ति को कम करता है। मेरी मौलिक आपत्ति यही है। सरकारिया आयोग द्वारा इस बात का ध्यान रखा गया था

सरकारिया आयोग ने तीन विकल्प सुझाए थे। पहला विकल्प था : अन्तर्राज्यीय परिषद् के मंच पर सहमति के आधार पर तैयार किए गए एक आदर्श विधेयक के आधार पर कानून बनाया जाना चाहिए।" दूसरा विकल्प था राज्य विधान मण्डलों की सहमति से अनुच्छेद में 252 के अन्तर्गत संसद द्वारा इन विषयों पर बनाए गए कानून द्वारा और तीसरा था सम्पूर्ण भारत में समान रूप से लागू होने वाले संसदीय कानून द्वारा। किन्तु सरकारिया आयोग अत्यन्त स्पष्ट था और उसने यह कहा है कि यदि आप तीसरा कानून बनाना चाहते है तो आपको सातवीं अनुसूची संशोधित करनी होगी और मद 5 को राज्य विधान मण्डल के अधिकार क्षेत्र से बाहर ले जाना होगा। पहले और दूसरे विकल्प को अपनाने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। किन्तु तीसरा विकल्प अपनाने के लिए निर्धारित शर्त के रूप में, मामले के वे पहलू जो अनुच्छेद 170 और 174 के अनुरूप हैं, प्रविष्टि 5 सूची 2 के दायरे से निकालने होंगे और इसलिए सूची 3 में एक पृथक मद है। इसलिए सरकारिया आयोग ने यह सुझाव दिया है कि इसे सूची 2 के दायरे से निकाल कर सूची 3 में डाला जाए। सरकारिया आयोग को इस बात की पूरी जानकारी थी कि इससे राज्यों की स्वायत्ता पर असर पड़ेगा और सिफारिश की कि इसे अन्तिम उपाय के रूप में तभी अपनाया जाए जब पहले दो विकल्प असफल रहे। और सरकार के विरुद्ध मेरी शिकायत यह है कि माननीय प्रधान मन्त्री ने पहला और दूसरा विकल्प अपनाने का प्रयत्न ही नहीं किया। क्योंकि यदि उन्होंने पहला और दूसरा विकल्प अपनाया होता और अन्तर राज्यीय परिषद में या राष्ट्रीय विकास परिषद में एक आदर्श विधेयक तैयार कराया होता या राज्य विधान मण्डलों की सहमति भी होती तो राज्यों की स्वायत्ता प्रभावित नहीं होती। इस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा, एक अप्रत्यक्ष प्रक्रिया द्वारा हम राज्यों की स्वायत्ता को प्रभावित कर रहे हैं। मेरा निवेदन यह है कि जब हम पंचायतों को शक्तियों के अन्तरण की बात करते हैं तो यह तब तक नहीं हो सकता जब तक राज्य सरकारों को शक्तियों का अन्तरण न किया जाए।

यदि हम यह समझते हैं कि हम एक की शक्ति कम करके दूसरे को मजबूत बना सकते हैं तो यह हमारी मूर्खता है। हम राज्यों की शक्ति कम करने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसा करते समय हम यह कह रहे हैं कि हम बहुत अधिक विकेन्द्रीकरण करने जा रहे हैं। इस सांविधानिक कानून के परिणामस्वरूप अधिक केन्द्रीकरण होता है। इसीलिए, मैं इस पर आपत्ति कर रहा हूं।

दूसरी बात यह है कि संचालन में भी छानबीन की शक्ति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को दी गई है। मुझे सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति और लोक लेखा समिति में रहकर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यों को देखने का विशेष अवसर मिला है। हम जानते हैं कि किन कारणों से भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को अपनी रिपोर्ट पेश करने में विलम्ब होता है और वह कितनी रिपोर्टें दे सकते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तो सरकार के कुल कार्यों के 1/1000 वें अंश की भी जांच नहीं कर सकते। मैं नहीं जानता कि प्रधान मंत्री यह कैसे सोचते हैं कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सभी पंचायतों की जांच कर पाएंगे मैं चुनाव आयोग की बात नहीं कर रहा हूं। अभी तक तो बोफोर्स के संबंध में भी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट सभा पटल पर नहीं रखी गई है। मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री इसकी जांच करें और इस बारे में गंभीरता से विचार करें। इस समय भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पर सार्वजनिक निगमों और विभिन्न विभागों की जांच के लिए कार्य का इतना

अधिक दबाव है कि उन्हें रिपोर्ट देने में 6 वर्ष लग जाते हैं और उस समय तक यह रिपोर्ट निरर्थक हो जाएगी।

तीसरे, वित्तीय ज्ञापन पर मुझे आपत्ति है। नियम प्रक्रिया के नियम 69 (1) के अन्तर्गत, मुझे वित्तीय ज्ञापन पर आपत्ति है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय। सांविधानिक आधार पर इसका विरोध कीजिए।

श्री दिनेश गोस्वामी : वह भी एक सांविधानिक आधार ही है कि वे एक ऐसे सांविधानिक अधिकारी की मदद ले रहे हैं जिसके पास लेखों की जांच का समय ही नहीं है···

श्री राजीव गांधी : मैं चाहता हूं कि श्री दिनेश गोस्वामी मुझे राज्यों के महालेखाकारों के बारे में कुछ बताएं···(व्यवधान)

"ऐसे अधिकारी भी हैं जो राज्यों के महालेखाकारों से अलग हैं।" आपने यही कहा है····· (व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी : राज्यों में महालेखाकार हैं।

श्री राजीव गांधी : आपने राज्य के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में कहा। कृपया मुझे उस बारे में बताइए···(व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी : मुझे आशा है कि आप को इस बात की संतुष्टि है कि राज्य के महालेखाकारों को यह अधिकार दिया जाना चाहिए···(व्यवधान)

मुझे आपत्ति वित्तीय ज्ञापन के बारे में है। प्रक्रिया संबंधी नियमों के नियम 69 (1) में कहा गया है।—

"जिस विधेयक में व्यय अन्तर्ग्रस्त हो, उसके साथ एक वित्तीय ज्ञापन होगा जिसमें व्यय अन्तर्ग्रस्त होने वाले खंडों की ओर विशेषतया ध्यान दिलाया जाएगा और उसमें उस आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय का भी प्राक्कलन दिया जाएगा ·····।

वित्तीय ज्ञापन में क्या कहा गया है।

"अनुच्छेद 243 ब पंचायत के लेखाओं की ऐसी रीति से संपरीक्षा करने के लिए उपबन्ध करता है जो भारत का नियंत्रक-महालेखा परीक्षक ठीक समझे। इसी प्रकार अनुच्छेद 243 झ पंचायतों के निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित करने का उपबन्ध करता है। इन उपबन्धों के कारण नियंत्रक-महालेखा परीक्षक और निर्वाचन आयोग के कार्य में वृद्धि होने की संभावना है और उनके कर्मचारिवृन्द की संख्या में वृद्धि करना आवश्यक हो जाएगा। तथापि, नियंत्रक-महालेखा परीक्षक और निर्वाचन आयोग दोनों ने यह संकेत दिया है कि इस समय इसके लिए कर्मचारिवृन्द में संभावित वृद्धि का तथा इससे होने वाले अतिरिक्त कार्य के विस्तृत अध्ययन के बिना, पारिणामिक वित्तीय व्यय का परिकलन करना कठिन होगा।"

इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि कितना व्यय बढ़ने की संभावना है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात को सांविधानिक आपत्ति तक ही सीमित रखिए।

(व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं यह कहना चाहता हूं कि सदस्यों को यह अधिकार भी है कि वह वित्तीय ज्ञापन की अपर्याप्तता के आधार पर भी विधेयक के पुरःस्थापित किए जाने का विरोध कर सकते हैं और मैं उसी अधिकार का प्रयोग कर रहा हूं। ऐसा हमेशा किया गया है। आप पूर्वोदाहरण देख सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता। कृपया सांविधानिक आधार पर ऐसा कीजिए।

[हिन्दी]

लैजिस्लेटिव कम्पीटेंस में बात करनी है, आप वही करें।

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी : मेरा निवेदन इस तथ्य से है कि विधेयक बिना इस कार्यवाही के लाया गया है, यह पता चलता है कि सरकार ने वास्तव में विधेयक के सभी पहलुओं पर गहराई से विचार किए बिना यह विधेयक पुरःस्थापित किया है। मैं उस पार्टी के सदस्यों में से एक हूं जो अधिक प्रादेशिक स्वायत्तता दिए जाने में विश्वास करती है, जिसका विश्वास यह है कि शक्ति का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए, लेकिन इस समय, वे अधिक शक्तियां से वंचित करेंगे। आप राज्यों को अधिक वित्तीय शक्तियां नहीं देंगे। आप केवल शक्तियों के हस्तांतरण की बात ही करते हैं किन्तु आप राज्यों के अधिकार छीनते जा रहे हैं। भारत सरकार जो कुछ कह रही है, उसकी कथनी और करनी में फर्क है और इसीलिए मैंने इस विधेयक का विरोध किया है। वास्तव में मेरा अनुरोध यह है कि इस रूप में इस विधेयक से केन्द्र की शक्तियां ही बढ़ेंगी और जो प्रयास किया गया है, वह पूरा नहीं होगा और इसी कारण मैं इस विधेयक के पुरःस्थापित किए जाने का विरोध कर रहा हूं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय प्रधान मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पंचायती राज संस्थानों के संबंध में गैर-कांग्रेस (आई) शासित राज्यों के बहुत अच्छे और उज्ज्वल रिकार्ड की प्रशंसा की है।

प्रो० मधु दंडवते : इतनी अधिक प्रशंसा मत दीजिए अन्यथा वह अपने शब्द वापिस ले लेंगे····

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : मैंने जो कुछ कहा है, उसे वापिस नहीं लूंगा।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारे प्रधान मंत्री, जो 4½ वर्षों से कुम्भकरण की भांति सो रहे थे, पंचायती राज संस्थानों के मामले में चुनावों के समय पर जाग गए हैं·····(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है···(व्यवधान) महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। कृपया मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुनिएं···(व्यवधान) महोदय, आपने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि इस

चरण में उनकी टिप्पणियां केवल विधायी सक्षमता के आधार पर होनी चाहिएं अन्य किसी आधार पर नहीं···(व्यवधान) लेकिन वह ऐसा नहीं कर रहे हैं···(व्यवधान) हमने देखा है कि उन बेंचों पर बैठे कई लोगों ने विभिन्न सुधारों का विरोध किया है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान जयपाल रेड्डी, हमेशा की तरह मेरा आपसे अनुरोध है कि आप विषय तक ही सीमित रहें। ये सब नाम लेने की क्या जरूरत है ? आप अनावश्यक रूप से सदन का समय नष्ट कर रहे हैं। इससे हमेशा हानि हुई है, आप देखिए···

(व्यवधान)

श्री एच०के०एल० भगत : हमने देखा है कि उन्होंने प्रिवी पर्स के उन्मूलन का बैंकों के राष्ट्रीयकरण का विधायी सक्षमता के आधार पर विरोध किया है। हमने उन्हें विपक्ष में बैठे होने कारण विरोध करते देखा है। यदि आप विरोध करना चाहते हैं, तो इसका विरोध करने का साहस भी रखिए। विधायी सक्षमता का सहारा मत लीजिए। इसलिए उन्हें अपनी बात विधायी सक्षमता तक ही सीमित रखनी चाहिए अन्यथा नहीं। हम जानते हैं कि क्या हो रहा है। इनमें से बहुत से सदस्यों ने विधायी सक्षमता के संदर्भ में इन क्रांतिकारी उपायों का विरोध किया है और आज भी उन्हें इसका खेद है क्योंकि उन्हें अपने भाग्य का पता है। अतः महोदय, उन्हें कहिए कि वह अपनी बात केवल इस विधेयक की विधायी सक्षमता तक ही सीमित रखें।

[हिन्दी]

प्रो० मधु दंडवते : ओबसीन भी नहीं है, अन-पार्लियामेंटरी भी नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अपनी बात को वैधानिक क्षमता तक ही सीमित रखिए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, मैं अब आपकी सलाह मानूंगा। खैर, मुझे खुशी है कि वह पंचायती राज्य संस्थाओं में रुचि ले रहे हैं यद्यपि यह ऐसा लगता है जैसे शैतान के मुंह से उपदेश। मैं इस विधेयक पर बोलना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि यह विधेयक लाया जाए। मैं चाहता हूं कि विधेयक में और बहुत कुछ जोड़ा जाए (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : फिर आप इसका विरोध क्यों करते हैं। इसमें संशोधन कीजिए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी। अब मैं यह कह रहा हूं कि मैं विधेयक का समर्थन करता हूं, मैं विधेयक के उद्देश्य, विधेयक की विशेषताओं, विधेयक के उद्देश्य को सुदृढ़ किए जाने, इसकी विशेषताएं और बढ़ाए जाने का समर्थन करता हूं··· (व्यवधान)

श्री आशुतोष लाहा (डमडम) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। महोदय, क्या वह नियम 72 के अधीन विरोध कर रहे हैं ? यदि वह नियम 72 के अधीन विरोध कर रहे हैं तो वह ये सब बातें नहीं कह सकते।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय। आपने कुछ आपेक्ष करना है तो बता दीजिए, नहीं तो छोड़ते हैं।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : किन्तु महोदय, मुझे इस 64 वें संशोधन विधेयक की सांविधानिक वैधता के बारे सन्देह है। महोदय, मैं चाहता हूं कि प्रधान मन्त्री संविधान में कोई एक अनुच्छेद के बारे में बताएं जिसमें केवल राज्य सूची के लिए आरक्षित किसी मामले पर विधान बनाने के लिए संसद को अधिकार दिया गया हो। मुझे संविधान की प्रस्तावना का उल्लेख करने दीजिए। महोदय, हमारा राज्यों का एक संघ है। यह राज्यों, पंचायतों और नगर पालिकाओं का संघ नहीं है। इसीलिए राज्यों को अलग इकाइयों के रूप में मान्यता दी गई है। महोदय···(व्यवधान) में हमेशा प्रधान मन्त्री से नहीं बल्कि श्री मधु दंडवते से सीखकर प्रसन्न होता हूं। महोदय, जब प्रधान मंत्री यह स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस-शासित राज्यों का रिकार्ड ठीक नहीं है, अनुच्छेद 252 के अन्तर्गत कांग्रेस (ई०) सहित विधान सभाएं एक प्रस्ताव स्वीकार करके पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में, विधेयक शुरू करने के लिए भारत सरकार से कह सकती है, यह सुझाव सरकारिया आयोग ने दिया था। महोदय, इससे पहले, शहरी भूमि अधिकतम सीमा कानून जिसकी अनुपालन की बजाए अवमानता अधिक की गई है, उसी प्रकार का उपाय स्वीकार किया गया था और राज्य विधान सभाओं ने एक प्रस्ताव पारित किया था। अतः यदि हमें सर्वधानिक वैधता के प्रश्न पर काबू पाना है, उसके लिए संविधान में तरीका और उपाय सुझाया गया है। कृपया अनुच्छेद 252 का सहारा लीजिए और गैर-कांग्रेस (ई०) राज्य का आपसे सहयोग करेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण विधेयक को, जिस पर इस सभा में विचारों के बारे में कोई मतभेद नहीं है, संवैधानिक अवैधता के आरोप के कारण परित्याग कर दिया जाए।

महोदय, इस सभा को इस पर महान्यायवादी के परामर्श से भी फायदा हो सकता है। जब इस सभा को इस विधेयक की संवैधानिक वैधता के बारे में सन्देह है, यह सभा इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए और इस पर स्पष्टीकरण देने के लिए महान्यायवादी से अनुरोध कर सकती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

महोदय, इस विधेयक के पीछे छिपी भावनाओं की ओर आते हुए मैं यह बताना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री ने 9 दिसम्बर, 1986 को 'दी हिन्दु' में दिए गए वक्तव्य में कहा था "यदि राज्यों के साथ हमारे सम्बन्धों में महत्वपूर्ण परिवर्तन करना है, तो केन्द्र को सूची-2 के संबंध में सीधे कार्यवाही करनी होगी।" महोदय, मैं यहां उल्लेख करना चाहता हूं कि सूची 2 में राज्यों के लिए आरक्षित विषयों के बारे में बताया गया है। अतः वह पंचायतों राज्य संस्थाओं को मजबूत करने के बहाने वास्तव में सूची-2 में रद्दोबदल करने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार वह राज्यों के अधिकारों पर अनाधिकार हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं प्रधान मंत्री का हवाला दे रहा हूं। अतः इस विधेयक के घोषित उद्देश्य प्रशंसनीय है लेकिन अघोषित की गई धारणा पवित्र नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं तत्काल संवैधानिक पहलू की ओर आता हूं। लेकिन शुरू में, मैं इस बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम नियमित रूप से चुनाव कराये जाने तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने जैसे इस विधेयक के कुछ उपबन्धों के सिद्धान्तों के विरुद्ध नहीं हैं। लेकिन हम इसके लिए अपनाए गए तरीके के विरुद्ध है जोकि कुछ प्राप्त करने के लिए अपनाया गया है जिसके बारे में देश भर में कोई विवाद नहीं होना चाहिए और इसके लिए सर्वसम्मति होनी चाहिए।

महोदय, संविधान के तीन उपबन्ध हैं जोकि बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है। एक है संविधान का अनुच्छेद 40 जोकि नीति निर्देशक सिद्धान्त है जिसमें गांव की पंचायतें स्थापित करना तथा उन्हें आवश्यक अधिकार प्रदान करने की व्यवस्था है। दूसरा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में, सातवीं अनुसूची में, विभिन्न सूचियों के सम्बन्ध में विधायी अधिकार दिए गए हैं, संघ सूची और राज्य सूची के सम्बन्ध में मामलों के बारे में क्रमश संसद तथा राज्य विधान मण्डल को विधि बना सकते हैं। और अन्तिम महत्वपूर्ण भाग संविधान की सातवीं अनुसूची-2 की प्रविष्ट 5 की व्यवस्था के संबंध में, जिसमें केवल राज्य विधानमण्डलों के क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया है, जैसा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने निर्णय किया था, और राज्य विधान मण्डल ही केवल पंचायतों के लिए विधि बना सकते हैं।

प्रो. एन. जी. रंगा (गुंटूर) : 'केवल' नहीं। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : 'केवल' शब्द वहां है। एक संस्थापक सदस्य के नाते आपने उसे लिखा है। (व्यवधान)।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, जब श्री के० संथानम द्वारा संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 40 जोड़ा गया था जोकि संविधान मसौदे में अनुच्छेद 31-क था—वह संशोधन जोकि प्रारूप संविधान में नहीं था। उसे डा० बी० आर० अम्बेदकर द्वारा स्वीकृत किया गया था। महोदय, मैं आपकी अनुमति से दोबारा उसका उल्लेख कर रहा हूं, जो कि श्री संथानम ने इस सभा में कहा था। यह संवैधानिक अथवा विधायी क्षमता से सम्बन्धित है :

"ग्राम पंचायत को क्या अधिकार दिए जाने चाहिएं, इसके क्षेत्र क्या होने चाहिएं और इसके कार्य क्षेत्र क्या होने चाहिए, वे एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त और एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग-अलग होंगे और यह वांछनीय नहीं है कि इसके लिए संविधान में कोई निश्चित मार्ग-निर्देश दिए जाएं। मेरे विचार में इन्हें प्रान्तीय विधान मण्डलों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। स्पष्ट रूप से ऐसा ही किया गया था। श्री अम्बेदकर ने संविधान सभा में संविधान मसौदे को स्वीकार करने के लिए प्रस्ताव रखते हुए यह कहा था :

"संघवाद का बुनियादी सिद्धान्त है कि इसमें विधायी और कार्यकारी अधिकारों का विभाजन केन्द्र द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा नहीं, बल्कि स्वयं संविधान द्वारा किया गया है। यही बात संविधान ने की है। हमारे संविधान के अन्तर्गत राज्य अपने विधायी और कार्यकारी अधिकार के लिए किसी भी प्रकार से केन्द्र पर निर्भर नहीं है। केन्द्र और राज्य इस मामले में समतुल्य हैं।"- संघवाद का मुख्य चिन्ह संविधान द्वारा केन्द्र और राज्यों के बीच विधायी और कार्यकारी अधिकार के विभाजन पर निर्भर करता है। यह सिद्धान्त हमारे संविधान में सम्मिलित है। इसके बारे में कोई गलती नहीं हो सकती। इसीलिए यह कहना गलत है कि राज्यों को केन्द्र के आधीन रखा गया है : केन्द्र अपनी इच्छा से उस विभाजन में परिवर्तन नहीं कर सकता और न ही न्यायपालिका ऐसा कर सकती है।"

प्रो० एन० जी० रंगा : यह उनका भाषण है (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : जी हां, यह हमारे संविधान की मसौदा समिति के चेयरमैन का भाषण है।

प्रो० मधु दण्डवते : पंडित नेहरू ने भी उसका समर्थन किया था।

प्रो० एन० जी० रंगा : 'केवल' शब्द उसमें वहां नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते। यह शब्द वहां है। पंडित नेहरू ने भी उसका समर्थन किया था (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं प्रो० रंगा का आदर करता हूं। क्या आपके पास संविधान की प्रति है ? अनुच्छेद 246(3) में, खण्ड 1 और खण्ड 2 के अधीन रहते हुए, यह बताया गया है कि, किसी राज्य के विधान मंडल को सातवीं अनुसूची में, सूची-2 में प्रगणित किसी भी विषय के संबंध में ऐसे राज्यों अथवा उनके किसी भाग के लिए विधी बनाने की अनन्य शक्ति है और खण्ड 1 और खंड 2 का दूसरी अनुसूची की सूची-2 से कोई सम्बन्ध नहीं है। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : उस पुस्तक को सी० पी० एम० ने प्रकाशित नहीं किया है। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी। महोदय, अतः मेरा निवेदन यह है कि किसी विधि को, जिसे संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करके, संविधान में संशोधन करके बनाती है, वह केन्द्रीय विधान-मण्डलों पर किसी अधिकार को लागू नहीं कर सकती, जब तक कि आप सूची दो में संशोधन नहीं करते, जिसके लिए सरकारिया आयोग ने कहा है (व्यवधान)

महोदय, प्रधान मन्त्री ने ऐसा कहा, बताते हैं····(व्यवधान)

क्या आप इसकी ओर कोई ध्यान दे रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : समस्या यह है कि आप मिठाई को गन्दे डिब्बे में रख कर दे रहे हैं (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : अभी हाल ही में, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मेलन में—मैंने समाचारपत्रों में देखा—प्रधान मंत्री ने कहा है कि पंचायती राज को सफल बनाने में केन्द्र और राज्यों की बराबर की जिम्मेदारी है और पंचायती राज के लिए संवैधानिक ढांचा तैयार करना केन्द्र की प्राथमिक जिम्मेदारी है। यह बात उन्होंने कही है। यह और कुछ नहीं बल्कि इस देश में संवैधानिक उपबन्धों की विडम्बना है। संविधान जैसा कि आज है, यहां तक कि उस संशोधन विधेयक को स्वीकार कर लिये जाने के बाद, केन्द्र का पंचायतों के बारे में कोई अधिकार नहीं है क्योंकि केवल मात्र और पूर्ण रूप से राज्य विधान मण्डल के अनन्य अधिकार के अन्तर्गत रही हैं। तब इस विधेयक का उद्देश्य क्या है ? आप संविधान के बुनियादी ढांचे को नष्ट कर रहे हैं और उसमें रद्दोबदल कर रहे हैं जिसमें यह निहित है कि संघवाद हमारे संविधान का बुनियादी ढांचा है जैसा कि केशवानन्द भारती ने कहा है। यही आपका पूर्ण उद्देश्य है।

प्रो० मधु दण्डवते : यह केशवानन्द भारती अभी तक है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : न केवल जीवित हैं बल्कि उच्चतम न्यायालय द्वारा मिनर्वा मिल्स मामले के अन्तिम निर्णय में इसे बार-बार दोहराया गया है। मैं दो बातें जानना चाहता हूं क्या संघवाद संविधान का आधारभूत ढांचा है या नहीं क्या राज्य को पंचायतों और स्थानीय सरकारों के सम्बन्ध में कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है या नहीं, इस सरकार के मुताबिक और यदि ऐसा है तो फिर इस संसद को उस संविधानिक शक्ति को उपबन्ध बनाने में कैसे इस्तेमाल किया जायेगा जोकि संविधान के संघीय ढांचे पर ही प्रहार करती है। क्षमता के प्रश्न का पूरा उत्तर देने से पहले इसका उत्तर दिया जाना चाहिए।

प्रो० मधु दंडवते : इसका उत्तर देने से पहले इसे पढ़ा जाना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे लगता है कि मेरे अच्छे मित्र श्री शिव शंकर कुछ नोट कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि वह क्या नोट कर रहे हैं। लेकिन क्या वह इसे नोट करेंगे ? (व्यवधान) श्री शिव शंकर कृपया, अपने संविधान के प्रति वफादार रहें न कि अपने नेता के प्रति।

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : क्या वह यह कह रहे हैं कि ऐसे मामलों में संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त नहीं है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी भले ही यह विधेयक पारित हो जाए, तो भी संसद के पास पंचायत के सम्बन्ध में कानून बनाने की शक्ति नहीं होगी। मैं पुनः दोहराता हूं कि भले ही यह विधेयक पारित हो जाए, तो भी केन्द्रीय सरकार के पास पंचायतों के सम्बन्ध में कानून बनाने का कोई प्राधिकार नहीं होगा। मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या किया जा रहा है ? अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं माननीय प्रधान मंत्री से उत्तर देने का अनुरोध करता हूं। विधेयक में नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह कतिपय मार्ग दर्शक सिद्धांत दिये गये हैं। कृपया विधेयक पर गौर करें। इसमें कहा गया है कि राज्य विधान मण्डल कतिपय बातों वाले इस कानून को पारित कर सकता है। ये कतिपय बातें कुछ भी नहीं हो सकती हैं बल्कि मार्ग दर्शक या नीति निर्देशक सिद्धान्त है। माना कि आपकी एक राज्य सरकार इस कानून को पारित नहीं करती है। तो आप क्या कर सकते हैं ? मेरा यह प्रश्न है। केन्द्रीय विधान मण्डल यह तब तक नहीं कर सकता है जब तक कि राज्य सूची की प्रविष्टि पांच बरकरार रहती हैं। मैं सवैधानिक मुद्दे की बात कर रहा हूं। न्यायालय, (परमादेश द्वारा) एक राज्य विधान मण्डल को कानून को बनाने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है। इस संविधान संशोधन का उद्देश्य क्या है जिसका विभिन्न राज्यों के विधान मण्डलों पर कोई प्रभाव नहीं हो सकता है जब तक कि विधान मण्डल उचित कानून पारित नहीं कर लें ? इसी वजह से मैं कहता हूं कि यह वह कानून है जो शक्ति का विकेन्द्रीकरण करने के लिए नहीं लाया जा रहा है। यह तो जनता को दिखाने के लिए है तथा और कुछ नहीं बल्कि एक चुनावी धोखा और चुनावी चालबाजी है। यही वजह है कि उन्होंने इसे इस सत्र में भी पारित नहीं किया है। उन्हें तो इसे बजट सत्र में ही पारित कर देना चाहिए था। वे इस विधेयक को मुख्य मंत्रियों के समक्ष नहीं लाये। विधेयक, पिछले मुख्य मंत्री सम्मेलन के दौरान मुख्य मंत्रियों को नहीं दिखाया गया। यहां तक कि विधेयक की शर्तों पर मुख्य मंत्रियों के साथ कोई चर्चा नहीं हुई। उद्देश्य विकेन्द्रीकरण का नहीं है। प्रधान मंत्री ने लोगों में अपने विश्वास की बात कही है।

हम भी लोगों में विश्वास रखते हैं····(व्यवधान) हमारा दृढ़ विचार है कि लोगों को इस सरकार का राज्यों की शक्तियां ले लेने के वास्तविक इरादे का पता लग जायेगा। लोग अपना फैसला देंगे और वे अपना फैसला, इस सरकार को हटाने का ही देंगे।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) अध्यक्ष महोदय।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, क्या वह इसका विरोध कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह आपके तर्क का विरोध कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह कैसे बोल सकते हैं ?

श्री पी० शिव शंकर : अकेले उनका ही कोई विशेषाधिकार नहीं हो सकता है। (व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरी जानकारी के मुताबिक अब विधेयक पर विचार हो रहा हो तो मंत्री हस्तक्षेप कर सकते हैं। हम अब शुरूआत के दौर में हैं। हमें गुणवगुणों पर गौर करने की अनुमति नहीं दी गई थी। हमें संविधानिक मुद्दे पर बने रहने के लिए मजबूर किया गया था। अतः वह मंत्री जो विधेयक पुरःस्थापित करते हैं केवल उन्हें ही हमें प्रत्युत्तर देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप ठीक नहीं कह रहे हैं। इस बात को निरस्त किया जाता है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : संसद के इतिहास में इसका कोई पूर्वोदाहरण नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया नियम 72 पढ़ें। अब अच्छा वाद-विवाद हो रहा है।

श्री पी० शिव शंकर : अध्यक्ष महोदय, मुद्दा बहुत साधारण है। लेकिन दूसरा पक्ष काफी भ्रम पदा करना चाहता है क्योंकि लगता है कि इसमें विधायी क्षमता की, धारणा पर, प्रक्रिया संबंधी नियमों के नियम 72 के परन्तुक में प्रयोग की गयी भाषा पर, पूरी तरह से गलतफहमी है। कानून बनाने की क्षमता से तात्पर्य है कि क्या संसद को किसी एक मामले में स्वयं संविधानिक संशोधन या स्वयं कानून के अधिनियमन करने की शक्ति है।

प्रो० मधु दंडवते : हममें से अधिकांश ने संविधानिक वैधता का प्रयोग किया है।

श्री पी० शिव शंकर : मैं उस मुद्दे पर आऊंगा। संविधानिक वैधता एक भिन्न प्रश्न है। संविधानिक वैधता विधायी क्षमता से भिन्न है। ये दो अलग चीजें हैं। मैं उस मुद्दे पर आऊंगा। जहां तक एक साधारण कानून की बात है अनुच्छेद 246 विधायी क्षमता वाले भाग का ध्यान रखता है। संविधान के अनुच्छेद 246 की वजह से सातवीं अनुसूचि की प्रविष्ठियों में सूची एक दो तीन में कहा गया है कि या तो कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है या राज्य विधान मंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है। यहाँ आप कहेंगे कि क्या संसद के पास कानून बनाने की शक्ति है और यहीं विधायी क्षमता का प्रश्न भी उठ खड़ा होता है। जब संविधान संशोधन की बात आती है तो न तो अनुच्छेद 246 लागू होता है। नहीं कोई और अन्य अनुच्छेद जिसके आधार पर इस तर्क को आगे बढ़ाया गया है···

प्रो० मधु दंडवते : संविधान का अनुच्छेद 368 वहां लागू होता है।

श्री पी० शिव शंकर : आपको संविधान के अनुच्छेद 368 पर गौर करना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमें इसकी जानकारी है। हमने इन अनुच्छेदों का जिक्र यह दिखाने के लिए किया कि संविधान का आधार भूत ढांचा क्या है।

श्री पी० शिव शंकर : क्या मैं कहूं कि, उच्चतम न्यायालय के एक वरिष्ठ वकील की हैसियत से आपका अनुच्छेद 368 का जिक्र नहीं करना ही अनुचित है?

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने कभी भी अनुच्छेद 368 के बारे में सवाल नहीं किया है।

श्री पी० शिव शंकर : आपने गुमराह करने की कोशिश की है। मैं आपको, सही बात समझाने की कोशिश करना चाहता हूं।

प्रो० मधु दंडवते : जब अनुच्छेद 368 की बात आती है तो आप अनुच्छेद 246 का जिक्र करते हैं और जब अनुच्छेद 246 का जिक्र आता है तो आप अनुच्छेद 368 की बात करते हैं। (व्यवधान)]

श्री पी० शिव शंकर । मैंने यह पाया कि मैं उनसे कतिपय स्तर की आशा कर रहा था। मैं अन्य लोगों से इसकी आशा नहीं करता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या मैंने आपको गुमराह किया था ?

श्री पी० शिव शंकर । आपने अनुच्छेद 368 का जिक्र नहीं किय था। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या मैं यह मान लूं कि आप में से कोई अनुच्छेद 368 के बारे में नहीं जानता है। (व्यवधान)

श्री पी० शिव शंकर : जब तक आप यह नहीं कहते हैं कि आप अनुच्छेद 368 अनभिज्ञ हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या मैंने केशवानन्द भारती मामले का जिक नहीं किया था ? (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : श्री शिवशंकर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने केशवानन्द भारती मामले का जिक्र किया था। और उन्होंने आगे कहा था कि मिनर्वा मामले में अनुच्छेद 368 के बारे में इसकी पुष्टि की गयी थी।

श्री पी० शिव शंकर : केशवानन्द भारती मामला पूरी तरह से भिन्न है। यह संविधानिक वैधता का प्रश्न है। मैं विधायी क्षमता की बात कर रहा हूं और इसी के संबंध में माननीय सदस्य ने अनुच्छेद 246 का जिक्र किया है। या तो वह अनुच्छेद 368 से अनभिज्ञ हैं या वह जानबूझ कर कुछ नहीं कहना चाहते हैं। यही मैं कह रहा हूं। यहीं पर उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की है। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : चूंकि आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं अतः क्या आप एक मिनट के लिए मेरी बात मानेंगे ? (व्यवधान)

श्री पी० शिव शंकर : मैं केवल उसी आधार पर कह रहा हूं जो उन्होंने कहा था। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह आरोप क्या है ? (व्यवधान)

श्री पी० शिव शंकर : आरोप यह है कि आपने कभी भी अनुच्छेद का जिक्र नहीं किया है। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : संसद संविधान के उस संशोधन को पारित कर चुकी है। यह किस तरह का संशोधन है ?

श्री पी० शिव शंकर : मैं इसकी बात करूंगा। यह मैं कहने जा रहा हूं। आप कृपया बैठ जायें। (व्यवधान)

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : आप ज्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रहे हैं (व्यवधान)

श्री पी० शिव शंकर यह विधेयक संविधान संशोधन विधेयक है और अनुच्छेद 368 की शुरूआत "इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी" शब्दों से होती है। यह अतिव्याप्त उपबन्ध है। यह अनुच्छेद 246 से भी ऊपर है, जो अन्य सभी उपबन्धों को रद्द कर देता है। इसमें कहा गया है;

"इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबन्ध का परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन इस अनुच्छेद में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगी।"

मैं केवल विधायी क्षमता के संबंध की बात कर रहा हूं। संविधानिक वैधता के प्रश्न पर मैं बाद में आऊंगा। यद्यपि इस स्थिति पर इस पर तर्क नहीं करना चाहिए फिर भी यह बात उठाई गयी है और मैं प्रश्न का उत्तर भी दूंगा। निवेदन यह है कि संविधान संशोधन के लिए आप अनुच्छेद 246 का बिल्कुल भी सहारा नहीं ले सकते हैं। यहीं वे कह रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : निःसंदेह आप ऐसा कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह एक आधारभूत विशेषता है।]

श्री पी० शिव शंकर : आधारभूत विशेषता एक अलग मुद्दा है। वह सवैधानिक वैधता है। यह विधायी क्षमता का प्रश्न है। अब निवेदन यह है कि अनुच्छेद 246 सामान्य कानून बनाने का अधिकार देता है। सामान्य कानून। जब अनुच्छेद 246 के अन्तर्गत एक सामान्य कानून बनाया जाता है, हम पंचायतों पर कानून नहीं बनाते। मैं इस बात से सहमत हूं।(व्यवधान)

श्री एम० रघुमा रेड्डी : वे विपक्ष को बदनाम कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री पी० शिव शंकर : पंचायतें सातवीं अनुसूची की सूची दो में आती है। अनुच्छेद 246 के अन्तर्गत सामान्य कानून केवल राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाया जा सकता था। (व्यवधान) कृपया एक मिनट रुकिए। चूंकि यह एक संविधान संशोधन है इसलिए यह अनुच्छेद 246 के प्रावधानों से ऊपर है। और अनुच्छेद 246 (व्यवधान) आप इस पर हंस सकते हैं। आपको इस पर हंसने का अधिकार है। यदि आप इस सम्बन्ध में अज्ञानी हैं तो मुझ इस पर खेद है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह अनुच्छेद 245 के अर्थ से मेल खाने वाला संविधान का प्रावधान होगा। क्या यह दूसरी अनुसूची की प्रविष्ट पांच में परिवर्तन करता है?

श्री पी० शिव शंकर : अनुसूची दो की प्रविष्ट 5, जैसाकि मैं पहले ही कह चुका हूं, इस पर यदि एक सामान्य कानून बनाया जाता है तो केवल राज्य ही वह कानून बना सकता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या इस विधेयक में इसका कोई उल्लेख किया गया है?

श्री पी० शिव शंकर। विधेयक में इसका उल्लेख किया गया है और इसलिए यह संविधान संशोधन है। कृपया यह मत भूलिए कि जब 'शिक्षा' विषय को समवर्ती सूची में लाया गया था तो इस संविधान संशोधन के जरिये ही लाया गया था। यदि यह संविधान संशोधन नहीं होता तो इसे कैसे लाया जा सकता था? क्या आप उस समय यह कह सकते थे कि शिक्षा पर चूंकि अनुच्छेद 246 के अन्तर्गत कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार के पास ही था, इसलिए संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती और इसे समवर्ती सूची में नहीं ला सकती? क्या आप ऐसा कह सकते थे? आप ऐसा नहीं कह सकते थे। इसलिए यह अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत संशोधन है। अनुच्छेद 368 में इस संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन किया जा सकता है।

प्रो० मधु दण्डवते : आप इसे बहुत अधिक विस्तार में ले जा रहे हैं। उन्होंने केवल संविधान के संघीय ढांचे तथा सघीय विशेषता स्पष्ट करने के लिए ही अनुच्छेद 246 को उद्धृत किया था।

श्री पी० शिव शंकर : मैं इसके इस पहलू पर भी आऊंगा। परन्तु मैं उनकी बात का उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे उनकी बात का जवाब अवश्य देना चाहिए। अब मैं यह निवेदन करता हूं कि अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत.....

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं सोचता हूं कि संवैधानिक शक्ति द्वारा इसमें संशोधन किया जा सकता है। क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि इस संशोधन द्वारा आप पंचायतों को समवर्ती सूची में ले आये हैं ?

श्री पी० शिव शंकर : मैं इसे मानने को तैयार नहीं हूं। कतई नहीं। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि कतई नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : बहुत अच्छा, मैं यही बात पूछ रहा था।

प्रो० मधु दण्डवते : इस तर्क पर अडिग रहिए।

श्री पी० शिव शंकर : जी हां, मैं इस पर अडिग हूं।

संसद द्वारा अनुच्छेद 246 के अन्तर्गत कानून बनाने के उद्देश्य से इसे समवर्ती सूची में नहीं लाया जा रहा है। मैं इस बारे में स्पष्ट रूप से कह रहा हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसे प्रविष्टि 5 के साथ पढ़िए।

श्री पी० शिव शंकर : यदि इसे प्रविष्ट 5 के साथ पढ़ा जाना है तो शिक्षा भी राज्य सूची में थी। वहां इसे समवर्ती सूची में लाया गया था। (व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी : इसलिए, आपने शिक्षा के बारे जो उदाहरण दिया है वह सही नहीं है कि शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया था।

श्री पी० शिव शंकर : कृपया तर्क के अनुरूप चलिए। यदि आप इसके अनुसार नहीं चलते और आपत्तियां नहीं उठाते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं यह कह रहा हूं कि इसके बावजूद भी अनुच्छेद 246 के अन्तर्गत सामान्य कानून के लिए विषय राज्य सूची में ही रहता है।

एक मात्र बात जिसकी व्याख्या की जानी है वह यह है कि अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत होने वाले किसी भी संशोधन जो अनुच्छेद 246 की भावना के विरुद्ध हो सकता है—यह न्याय संगत है क्योंकि यह संसद संवैधानिक शक्ति का प्रयोग कर सकती है, जो इससे ऊपर है, ये शब्द ही ऐसे हैं कि यह अतिव्याप्त करने वाली शक्ति है—एक बार जब संसद संविधान में संशोधन करती है, एक मात्र कसौटी जो वे कहना चाह रहे हैं जिसका उत्तर दिया जाना चाहिए, यह है कि क्या ऐसे संशोधन से संविधान की मूलभूत विशेषताओं अथवा आधार भूत ढांचे को ठेस पहुंचती है :

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मूलभूत ढांचे का यह सिद्धान्त संशोधन कानून पर लागू नहीं होता है, यह केवल संविधान संशोधन पर लागू होता है। एक माननीय सदस्य यह कहना चाह रहे थे कि संविधान संशोधन पंचायती राज के सम्बन्ध में है और अनुच्छेद 246 को ध्यान में रखते हुये केन्द्र सरकार द्वारा नहीं किया जा सकता और अनुच्छेद 40 का सहारा लिया गया। मैं पहले ही इसका जवाब दे चुका हूं और मुझे उठाये गये प्रत्येक मुद्दे पर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने सोचा कि मुझे मोटे तौर पर व्याख्या करनी चाहिए।

बात यह है कि जहां तक केन्द्र का सम्बन्ध है, क्या एक राज्य—मैं इसे ऐसे कहूंगा—अनुच्छेद

40 को देखते हुये कार्य नहीं कर सकता और फिर भी केन्द्र चुप रह सकता है ? मैं एक आधारभूत मुद्दा उठा रहा हूं।

2.00 म०प०

उन्होंने अनुच्छेद 40 को पढ़कर सुनाया है। एक माननीय सदस्य ने अनुच्छेद 36 को भी पढ़ा है और यह कहने की कोशिश की है कि राज्य की परिभाषा वही है जो भाग तीन में यानि अनुच्छेद 12 में है। कृपया अनुच्छेद 37 को भी पढ़िए। इस भाग में दिये गए प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, परन्तु जो सिद्धान्त, उसमें दिये गये हैं वे देश के शासन चलाने में फिर भी मूलभूत हैं और कानून बनाने में इन सिद्धान्तों को लागू करना राज्य सरकार का कर्तव्य होगा। हम एक ऐसा मामला लेते हैं जिसमें एक राज्य सरकार संविधान के भाग चार में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धान्तों का पालन नहीं करती। क्या केन्द्र सरकार चुप रहेगी ? केन्द्र सरकार के पास शक्ति है, ऐसे मामलों में केन्द्र सरकार के पास पथ प्रदर्शन करने यह अंकुश लगाने की शक्ति है कि राज्य सरकार संविधान का पालन करे।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : किस अनुच्छेद के अधीन है ?

श्री पी० शिव शंकर : यदि नहीं पालन करती है तो इसे संविधान के अनुच्छेद 356 के परिणाम भुगतान कीजिए (व्यवधान) जो हां, निश्चित रूप से। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यही किया गया था।

इसके द्वारा राज्यों के अधिकार छीन लिए जायेंगे। सरकार की कोशिश संविधान के अनुच्छेद 356 में संशोधन करने की है और इस प्रक्रिया द्वारा राज्यों के अधिकार छीन लेने की है। (व्यवधान)

श्री पी० शिव शंकर : आप सुनते क्यों नहीं हैं ? मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं क्योंकि आपने यह मुद्दा उठाया है। (व्यवधान) यदि आपको इसका सामना करना पड़ेगा तो आपको इसका सामना करना ही पड़ेगा। मान लीजिए संविधान में कुछ करने की जरूरत है और राज्य सरकार संविधान का पालन नहीं करना चाहती है और वह संविधान की आज्ञा का उल्लंघन करती है, उस समय राज्य में सरकार नहीं चलती, संविधान के अनुसार और अनुच्छेद 365 के अन्तर्गत हमें कार्यवाही करने का अधिकार है और हम कार्यवाही करेंगे। यदि आप दुर्व्यवहार करते हैं तो हम कार्यवाही करेंगे। इसकी परवाह मत करिए। आप केवल यह कहने की कोशिश कर रहे थे कि; मैंने सोचा कि मुझे आपके ध्यान में यह बात लानी चाहिए। (व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी : ऐसे राज्य हैं जहां कार्यपालिका और न्यायपालिका का भेद खत्म कर दिया गया था। आपने क्या कदम उठाये। (व्यवधान)

श्री पी० शिव शंकर : इसे बाध्य करने के लिए न्यायालय है और यदि न्यायालय इसे बाध्य नहीं कर सकते तो न्यायालय को कुछ निश्चित मामलों में परमादेश देने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि वे परमादेश जारी नहीं कर सकते हैं। (व्यवधान) यदि न्यायालय निर्देश नहीं दे सकता है तो केन्द्र का कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि हर राज्य संविधान के अनुसार कार्य करता है। यदि आप संविधान के अनुसार कार्य नहीं करना चाहते हैं तो आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मैं इन्हें बताने की आवश्यकता नहीं समझता हूं। (व्यवधान)

यदि आप संविधान के विपरीत स्वयं शक्तियों का प्रयोग करते है, अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, तो आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे।

प्रो० मधु दंडवते : अब प्रयोजन यह है कि आप अनुच्छेद 356 में संवैधानिक संशोधन करना चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य : अभिप्रेरणा का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री पी० शिव शंकर : आपका प्रयोजन स्पष्ट है कि आप संविधान का उल्लंघन करना चाहते हैं। यही बात है।

अनेक माननीय सदस्य : जी नहीं नहीं (व्यवधान)

श्री पी० शिव शंकर : आपको संविधान के प्रति तो निष्ठा रखनी ही होगी। यदि आप संविधान का पालन नहीं करते हैं तो हम आपको संविधान का पालन करने के लिए मजबूर करेंगे। हम आपको संविधान का पालन करने के लिए मजबूर करेंगे। दूसरी बात यह है कि····(व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी : आप विकेन्द्रीकरण की बात कर रहे हैं। आप इस तरह क्यों कर रहे हैं ?

प्रो० मधु दंडवते : यह तो स्पष्ट है: अनुच्छेद 356 को लागू करने के लिए वे संविधान में संशोधन करना चाहते हैं।

श्री पी० शिव शंकर : यदि आप संविधान के प्रावधानों का जबरदस्ती उल्लंघन करेंगे तो यह अनुच्छेद 356 के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आएगा। मैं इस विषय में बिल्कुल निश्चिन्त हूं और मैं स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूं। यदि आप संविधान का पालन नहीं करते है तो आप वहां बने रहने के लिए अनुपयुक्त है और यहां बने रहने के लिए भी अनुपयुक्त हैं। हमें इसके बारे में पूरी तरह स्पष्ट हो जाना चाहिए····(व्यवधान)

संघवाद के बारे में प्रश्न उठाया गया है। इसके बारे में बहुत अधिक भ्रांतियां थी और मेरे मित्र संघवाद की अवधारणा को समझने में पूर्ण रूप से उलझ हुए लगते हैं इस देश में संयुक्त राष्ट्र की तरह का संघवाद नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : उनका संघवाद अपनी तरह का अलग है।

श्री पी० शिव शंकर : अब आप यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि संघवाद संविधान का आधारभूत ढांचा है इसलिए मुझे स्थिति स्पष्ट करनी है। प्रश्न यह है कि वहां अनेक राज्यों ने मिल कर संघीय सरकार को कतिपय शक्तियां दी थी अधिकांश शक्तियों को अपने पास ही रखा था। हमारे संविधान में, जो कि स्वयं में पूर्ण दस्तावेज है, शक्तियां स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है। सातवीं अनुसूची और इसके अधीन की गई विभिन्न प्रविष्टियों में राज्यों और केन्द्र की शक्तियां स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई हैं। यदि आप संविधान का गहराई से अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि संघीय पक्ष के सम्बन्ध में संविधान का सार यह है कि शक्तियों का सीमांकन मजबूत केन्द्र को ध्यान में रख कर किया गया है। यह स्पष्ट हो जाना चाहिए। मैं तो केवल इसकी व्याख्या करने का प्रयास कर रहा हूं····

श्री सोमनाथ चटर्जी : भारत में ।

श्री पी० शिव शंकर : जी हां, मैं किसी अन्य देश की बात नहीं कर रहा हूं मैं केवल भारतीय संविधान के वर्तमान स्वरूप की बात कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि संविधान के इस संशोधन से संघीय स्वरूप में परिवर्तन कैसे आया है ?

इस विषय में किसी ने भी कोई बात नहीं कही । यदि वे यह कहते कि इस संविधान से संघीय ढांचे में परिवर्तन हुआ है और परिणाम स्वरूप इससे संविधान का आधारभूत ढांचा प्रभावित हुआ है, तब तो बात समझ में आ सकती है । मेरे मित्र सामान्य रूप से अपने तर्क दे रहे हैं । किसका सामान्य रूप ? सामान्य रूप से यह कहा जा रहा है कि पंचायत सातवीं अनुसूची की सूची-II की 5 वीं प्रविष्टि में है और चूंकि अब हम उस विषय पर कानून बना रहे हैं अत: स्वभावत: इसके द्वारा संघीय स्वरूप को कम किया जा रहा है, परन्तु यह कहना बिल्कुल गलत है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप इसे गलत कहते हैं, मैं इसे गलत नहीं मानता हूं ।

श्री पी० शिव शंकर : यह बिल्कुल ठीक है । इसका निर्णय करना तो न्यायालय का काम है । यहां तक तो ठीक है । यह तो विधायी सक्षमता के प्रश्न से दूर हटना हुआ । यह तो संवैधानिक वैधता है । मैं यह निवेदन करता हूं ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया है और मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है, सातवीं अनुसूची में राज्य और केन्द्र को दी गई शक्तियों को कम करने का कोई प्रश्न नहीं है । यदि आपकी यह धारणा है कि इससे आधारभूत ढांचे में परिवर्तन होता है तो हमें पहले आधारभूत ढांचे को समझना चाहिए । उच्चतम न्यायालय ने भी आधारभूत ढांचे को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया है । उच्चतम न्यायालय ने कुछ उदाहरण दिए है । इसमें कोई संदेह नहीं है कि उच्चतम न्यायालय ने कुछ दृष्टान्त दिए हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : संघीय स्वरूप भी उनमें से एक है ।

श्री पी० शिव शंकर : यह बिल्कुल ठीक है । मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि उच्चतम न्यायालय ने भी एक विशिष्ट मामले में आधारभूत ढांचे के प्रश्न पर दृष्टान्तों का ही सहारा लिया है जबकि उन्होंने कुछ दृष्टान्त मदों का उल्लेख किया था । किसी भी पक्ष द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया है ।

प्रो० मधु दण्डवते : इसका अर्थ यह हुआ कि वे इन दृष्टान्तों से भी ऊपर जा सकते हैं ।

श्री पी० शिव शंकर : जी हां, यह पूर्ण नहीं है । इसीलिए मैंने यह कहा कि यह न्यायाधिकारी पर निर्भर करता है । यदि मैं न्यायधीश की हैसियत से यह कहता हूं कि यह आधारभूत ढांचा है, तो यह आधारभूत ढांचा है । और आधारभूत ढांचे के सिद्धांत में हमारा विश्वास नहीं है । मुझे विश्वास है कि विपक्ष में बैठे मेरे मित्रों का भी इसमें विश्वास नहीं है । किन्तु जब तक केशवानन्द भारती का मामले रहता है, यह हमारे लिए बाध्यकारी है और हम इसका पालन करेंगे । हम सब उच्चतम न्यायालय का निर्णय मानने के लिए बाध्य हैं । यह एक अलग भावना है किन्तु प्रश्न यह है कि इस मामले में, इस संवधानिक संशोधन में जिसे अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत लाया जा रहा है, जो संविधान में संशोधन करने के लिए सवटित शक्ति है—यह नहीं बताया गया है कि इससे संविधान के आधारभूत ढांचे का किस प्रकार उल्लंघन होता है । वास्तव में इस संशोधन द्वारा आधारभूत ढांचे का किसी तरह भी उल्लंघन नहीं होता है । इससे संघवाद प्रभावित नहीं होता है ।

मैंने पहले जो कुछ कहा है उसे ही दोहराता हूं ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके, चूंकि यह मामला सूची-2 के अन्तर्गत है—उसे समवर्ती सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है—और इसलिये उसके सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार राज्य विधान मंडल को है। इसलिये इस संशोधन में भी यह व्यवस्था है कि कानून राज्य बनायेगा। मैं आपको अनुच्छेद 243 (ङ) के बारे में बताता हूं जो मुख्य खण्ड है :

"इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य का विधान मंडल, विधि द्वारा, पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो वह उन्हें स्वायत्तशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिये आवश्यक समझे और ऐसी विधि में पंचायत को, उपयुक्त स्तर पर, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, निम्नलिखित के सम्बन्ध में शक्तियां और उत्तरदायित्व-यामत करने के लिये उपबन्ध किये जा सकेंगे।"

इस प्रकार पूरा विवरण दिया गया है। इसमें ग्यारहवीं अनुसूची की प्रविष्टि का उल्लेख किया गया है। इसका केवल अनुच्छेद 243 (ङ) में ही उल्लेख है।

इसलिये, स्थिति यह है कि ऐसा नहीं है कि कानून केन्द्र बनायेगा। यदि केन्द्र द्वारा कानून बनाया जायेगा तो ऐसी स्थिति उसे लागू करने के सम्बन्ध में ही होगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह कानून नहीं बना सकता।

श्री पी० शिव शंकर : मैं भी यही कह रहा हूं। इसलिये, जहां तक संवैधानिक संशोधन का सम्बन्ध है, मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारा संविधान भी एकात्मक नहीं है। संविधान निर्माताओं को समाज की विभिन्नताओं की जानकारी थी। इसलिये संविधान का निर्माण करते समय उन्होंने चाहा कि संविधान को देश के विभिन्न लोगों की आशाओं और महत्वाकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना चाहिए।

महोदय, मैं एक पहलू के सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि हमारे एक माननीय साथी ने अनुच्छेद 1 के बारे में प्रश्न उठाया है। मैं नहीं जानता कि ऐसा किस प्रकार किया गया है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है :

"कि (1) भारत अर्थात् इण्डिया राज्यों का संघ होगा।

(2) राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली सूची में विनिर्दिष्ट हैं।

(3) भारत के राज्य क्षेत्र में—

(क) राज्यों के राज्य क्षेत्र;

(ख) पहली सूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र; और

(ग) ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किये जायें, समाविष्ट होंगे।"

मैं यह नहीं समझ सकता कि उन्होंने पंचायतों को इसमें कैसे सम्मिलित कर लिया तब भी क्षेत्र वही रहेंगे। मैं समझता हूं कि पंचायतें राज्यों का एक भाग हैं इसलिये क्षेत्रों के लिये.....

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैंने प्रस्तावना का उल्लेख किया है जिसमें द्वि-स्तरीय ढांचे की व्यवस्था है आप अप्रत्यक्ष ढंग से एक नया स्तर जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं जिसको का आपको अधिकार नहीं है।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय) : आपने तीन वाक्यों में जो कुछ कहा है, उसके लिये मैं आपको बधाई देता हूं। यह प्रमाणिक है कि हमारे संविधान का स्वरूप अमेरिका के संविधान के विपरीत एकात्मक है। इसकी यह विशेषता है कि शेष शक्तियां केन्द्र को प्राप्त हैं, इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 368 में की गयी है। मैं इसको इसी प्रकार समझता हूं।

श्री पी० शिव शंकर : मैंने जान-बूझ कर "केन्द्र के प्रति अत्यधिक झुकाव" शब्दों का प्रयोग किया था है। इसलिये मैं शेष शक्तियों के सम्बन्ध में 'एकात्मक' शब्द का प्रयोग नहीं किया क्योंकि यह दूसरी तरफ बैठे साथियों के लिये अत्यधिक आपत्तिजनक होता। मैं बड़ी सावधानी से शब्दों का प्रयोग कर रहा था। (व्यवधान)

मैं इसे अत्यधिक पवित्र दस्तावेज मानता हूं मैं इस दस्तावेज की शपथ के प्रतिवचनबद्ध हूं। मैं इसका समर्थन करता हूं। यही मेरा कहना है। (व्यवधान)

जहां तक राज्यों के सच का सम्बन्ध है, इसकी बारीकी से जांच किये बिना कोई तर्क नहीं दिया जा सकता क्योंकि इसका कारण यह है कि उसमें कुछ नहीं है।

इसलिये इसे विधायी सामर्थ्य प्राप्त है, और यह मूल ढांचे की अवधारणा के अनुरूप है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अगर आप चुप रहें तो दो मिनट में मामला समाप्त हो जाएं।

[अनुवाद]

प्रो० एम० जी० रंगा : अध्यक्ष महोदय, हम मध्याह्न भोजन के लिये कार्यवाही स्थगित क्यों नहीं कर दें ?

[हिन्दी]!

अध्यक्ष महोदय : इस वक्त महफिल जमी हुई है। अच्छा लग रहा है।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मैं वहां से बात शुरू करता हूं जहां पर श्री सोमनाथ चटर्जी ने छोड़ी थी। उन्होंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है कि इस कानून के बनने या इस विधेयक के पारित होने के बाद भी यदि राज्य सरकार इस विधेयक में उल्लिखित निर्देशों का पालन न करे तो केन्द्र सरकार क्या करेगी ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाये रखिये। यदि आप व्यवधान डालेंगेतो इसमें समय अधिक लगेगा। यदि आप अपने पर काबू रखे तो अच्छा होगा (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : जब इस प्रश्न को उठाया गया था तो मैंने देखा था कि कुछ मंत्री अन्दर ही अन्दर में हंस रहे थे तथा यह चाहते हैं कि इस प्रश्न को देश के अनेक भागों में उठाया जाए ताकि वे यह सुझाव दे सकें कि ऐसी परिस्थिति में उन्हें पंचायतों को समवर्ती सूची में सम्मिलित करने के लिये दूसरा संशोधन लाना चाहिये। इसलिये मैं इस कानून के उपलब्धों का समर्थन नहीं करता हूं

क्योंकि मैं सोचता हूं कि यह पंचायतों को समवर्ती सूची में सम्मिलित करने का एक साधन है। यही वास्तविक उद्देश्य है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री चार्ल्स, यदि आप पांच मिनट चुप रहेंगे तो यह समाप्त हो जायेगा अन्यथा पन्द्रह मिनट और लग जायेंगे। बात सीधी-सी है। वह अन्तिम वक्ता हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यदि मुझे इस सरकार की ईमानदारी समझनी है तो मुझे इस प्रश्न के सम्बन्ध में एक स्पष्टीकरण मांगता है। संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायत के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा उठाये जाने वाले कदमों का उल्लेख किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सरकार ने और इस सरकार को चलाने वाले दल ने विशेषत: उन राज्यों में जहां वे सरकार चला रहे हैं—यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की है कि पचायत के चुनावों के लिये जनता को प्रोत्साहित किया जाये। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सत्ताधारी पार्टी की राजनैतिक इच्छा क्या है। यही बात है। केन्द्र में कांग्रेस पार्टी की राजनैतिक इच्छा का अभाव····

अध्यक्ष महोदय : विधायी सामर्थ्य···

श्री सैफुद्दीन चौधरी : में सामर्थ्य की बात कर रहा हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, वह उनकी असामर्थ्य के बारे में बता रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया, अपनी बात समाप्त करें।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हम नहीं चाहते कि सरकार चलाने वाली राजनैतिक पार्टी की राजनैतिक इच्छा के अभाव का प्रयोग संविधान की मूल विशेषतायें बिगाड़ने में किया जाए। अब भण्डा फूट गया है। वे एकाधिकारिक किस्म का प्रशासन चाहते हैं···(व्यवधान) आप ऐसा करेंगे।

अभी श्री शिव शंकर ने कहा है कि इस विधेयक के पारित होने के बाद निर्देशों के अनुसार यदि समय से चुनाव नहीं कराये जायेंगे तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है····कृपया बात समाप्त करें।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मेरी बात सुनिये। इस विधेयक के खण्ड 2 में, 243-1 के अन्तर्गत, पाशिये टिप्पण में कहा गया है "पचायतों के निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियत्रण चुनाव आयोग में निहित होगा।"

केन्द्रीय सरकार चुनाव आयोग पर चुनाव न कराने के लिये दबाव डालती रही है······ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चुनाव आयोग पर आरोप मत लगाइये अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : कृपया, इसे समझिये। अब राज्य सरकार एक निश्चित तरीका निर्धारित कर सकती है जिसके द्वारा चुनाव कराये जायेंगे तथा चुनाव आयोग यह कह सकता है : कि 'यह हमें स्वीकार्य नहीं है।' यदि ऐसा टकराव पैदा होगा तो क्या जायेगा ? वे कहते हैं कि यदि चुनाव नहीं कराये जायें तो इस आधार पर अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जायेगा। उस स्थिति में क्या होगा ?

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह केवल कानून बनाने तक ही सीमित है। उससे अधिक नहीं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : टकराव पैदा किये जा सकते हैं, तो उस स्थिति में यह अर्थात् चुनावों का आयोजन पूर्णतः राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाना चाहिये, अधीक्षण, नियंत्रण तथा निदेशन निर्वाचन आयोग के हाथों में नहीं होना चाहिए। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : वह सरकार की सामर्थ्य के बारे में तर्क कर रहे हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं यह मानता हूं कि यह सुनिश्चित करने में कोई असहमति नहीं हो सकती कि पंचायतों को मजबूत बनाया जाए, निचले स्तर पर वे प्रभावी ढंग से कार्य करें तथा महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण दिया जाए। परन्तु यह असली मुद्दा नहीं है; असली मुद्दा यह है कि वे पंचायतों को समवर्ती सूची में सम्मिलित करने के लिये इसको साधन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं जिससे राज्य सरकारों की उपेक्षा की जा सके तथा संविधान के संघीय ढांचे को विकृत किया जा सके।

इसी कारण हम सरकार के नापाक इरादे का विरोध करते हैं जो बड़े आराम से अपने शासन काल के अन्तिम साल के दौरान इसे करना चाहती है।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रधान मन्त्री बोलेंगे।

श्री एन०वी०एन० सोमू (मद्रास उत्तर) : खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमू, मुझे आपके दल की सूची बाद में मिली थी।

(व्यवधान)

श्री एन०वी०एन० सोमू : महोदय, मुझे अपने दल की शिकायतों को सामने रखने दें। मुझे दो मिनट का समय चाहिए (व्यवधान)

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : मैं भी बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं उन्हें स्वीकृति दे सकता हूं ?

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : आप केवल दो मिनट का समय लेंगे।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : यद्यपि मैंने आपको इसकी सूचना देर से दी थी फिर भी आपने मुझे अपनी बातें कहने का अवसर प्रदान किया है जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सर्व प्रथम तो मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा की मैंने और मेरे दल ने हमेशा सत्ता के हस्तांतरण और विकेन्द्रीकरण का समर्थन किया है। जहां तक विकेन्द्रीकरण और हस्तांतरण का प्रश्न है, तो इसमें किसी भी प्रकार के दो मत नहीं है। मेरे मन में मात्र कुछ आशंकाएं हैं। विधेयक में कई गई बहुत सारी चीजें पहले से ही अनेक राज्यों द्वारा क्रियान्वित की जा चुकी हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि इस संविधान संशोधन के द्वारा कांग्रेस-ई शासित राज्यों में कुछ ऐसी बातें क्रियान्वित की जाएंगी जो बहुत से राज्यों द्वारा पहले ही लागू की जा चुकी हैं। माननीय मंत्री महोदय श्री पी० शिव शंकर एक कानूनविद हैं। मैं संवैधानिक विशेषज्ञ नहीं हूं। लेकिन ऐसे अनेक मामले हैं जहां उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन पर रोक लगाई है; संविधान की संघीय विशेषता संविधान का मूल भाग है। आप जो विधेयक ला रहे हैं, क्या उससे अनुच्छेद 246 को और अधिक कड़ा किया

जा सकता है ? इस विधान को लागू करने के उपरांत, क्या केन्द्र सरकार राज्य विधान सभाओं से पंचायतों के सम्बन्ध में अब कानून पारित करवा सकती है ? अगर इस विधेयक को कल किसी न्यायालय द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया जाता है कि यह संविधान के मूल ढांचे के अनुरूप नहीं है तो यह बहुत दुःख की बात होगी, क्योंकि हम पंचायतों को या लोगों को ऐसी कुछ भी चीज नहीं देना चाहते हैं जिसे कल न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया जाय। क्या यह कानून की दृष्टि से ठीक होगा ? अतः मैं माननीय प्रधान मंत्री से आग्रह करता हूं कि हम लोगों के साथ और कानून के अन्य ज्ञाता जो उनकी बगल में बैठे हैं, उनसे विचार-विमर्श कर हमें इस बारे में जानकारी दें। मैं कहना चाहूंगा कि मात्र इस आधार पर इस विधेयक को, जो अनावश्यक रूप से आज प्रस्तुत किया जा रहा है, खारिज नहीं किया जाना चाहिए।

श्री एन०वी०एन०सोमू (मद्रास उत्तर) : मैं अपने डी० एम० के० दल की ओर से कुछ शब्द कहना चाहता हूं। नांच ना जान, आगन टेढ़ा। की तरह स्वतंत्रता के 40 वर्ष के उपरांत भी अगर हम पूछते हैं कि भारत के गांवों ने तरक्की क्यों नहीं की तो सत्ताधारी दल कहता है कि पंचायती व्यवस्था में तरक्की नहीं हुई थी। वास्तव में, 10 साल पहले वे 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने के पश्चात भारत के लोगों के रहन-सहन के स्तर में सुधार होगा ! लेकिन वह पूर्णतया असफल रहा। अब वे पचायती व्यवस्था को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं।

यह विधेयक संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है; यह सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 5 में हस्तक्षेप करता है। इस विधेयक के द्वारा राज्य सरकार की सभी शक्तियां ले ली गयी है। यह भारत के मूल संघीय ढांचे में भी हस्तक्षेप करता है। अब पंचायत को ज्यादा शक्ति देने की आड में एक एकल व्यवस्था वाली सरकार को लागू किया जा रहा है। केन्द्र सरकार राज्य सरकार से सब शक्तियां छीन लेना चाहती है।

तमिलनाडु में, जिला न्यायालयों को हमारे महान नेता श्री कामराज द्वारा समाप्त कर दिया गया था। उन्होंने ही तमिलनाडु में यह पंचायत व्यवस्था शुरू की थी। कामराज द्वारा स्थापित पंचायती व्यवस्था की मूल अवधारणा को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए।

डा० अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान के निर्माण में केन्द्र राज्य सरकारों, दोनों का योगदान है; कोई एक दूसरे से कम नहीं है। लेकिन इस वर्तमान विधेयक द्वारा धीरे-धीरे राज्य सरकारों के सब अधिकार छीने जा रहे हैं। अतः हम इस विधेयक का विरोध करते हैं।

विधेयक की ग्यारहवीं अनुसूची के अन्तर्गत, राज्य सरकारों के सब अधिकार केन्द्र सरकार द्वारा ले लिये गये हैं कृषि भूमि सुधार लघु सिंचाई, पशु-चिकित्सा, मछली पालन, सामाजिक वानिकी। मैं श्री हनुमनतैया द्वारा संविधान सभा में कहे गए शब्दों को उद्धृत करना चाहता हूं :

"स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में हम कुछेक ऐसे सिद्धान्तों और विचारधाराओं के प्रति बद्ध थे जिनकी शिक्षा हमें महात्मा गांधी ने दी थी। अपनी भाषा में सबसे पहले और प्रमुख परामर्श उन्होंने यह दिया था कि इस देश के संविधान का ढांचा पिरामिड के समान बहुत आधार का होना चाहिए। इसका निर्माण नीचे से आरम्भ होना चाहिए और ऊपर पहुंचते-पहुंचते शंकु के आकार में कम होते हुए समाप्त होना चाहिए। लेकिन यहां इससे उलटा किया गया है। प्रान्तों और राज्यों

द्वारा जो कार्य शुरू किए जाने चाहिए थे, वह वहां से आरम्भ करके सारी शक्तियां केन्द्र के पास इकट्ठी कर दी गयी है। निश्चय ही महात्मा गांधी ने इस प्रकार के संविधान की परिकल्पना नहीं की थी।"

इस विधेयक का यही उद्देश्य है। मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री राजीव गांधी : महोदय, मैं माननीय सदस्यों के वक्तव्यों को सुन रहा था और एक या दो सदस्यों को छोड़कर, जिन्होंने बहुत ही कुशल प्रतिरक्षात्मक तरीके से इसकी विधायी सक्षमता के बारे में कहा, ज्यादातर सदस्यों ने इस मुद्दे के बारे में कहने का प्रयास भी नहीं किया। और इस बात में मुझे कुछ हद तक सोचने पर मजबूर किया है। वे—उनमें से अनेक—जबकि सूची में 20 है और श्री गोस्वामी ने यह क्यों पूछा था कि मैं उन बीसों का नाम क्यों जानना चाहता हूं, जब कि यह एक प्रजातांत्रिक समाज है और हम यहां चर्चा कराना चाहते हैं। निःसन्देह हम इस पर बहस कराना चाहते हैं। लेकिन हम यह चर्चा खुले में कराना चाहेंगे, पर्दे के पीछे और बुर्की के अन्दर नहीं। अगर आप बोलना चाहते हैं तो अवश्य बोलें, अपने आप को छुपाए नहीं। आप छुपना क्यों चाहते हैं ? अगर आप कहना चाहते हैं तो आप अपना नाम क्यों छिपाना चाहते हैं ?(व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी : नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।

श्री राजीव गांधी : गोस्वामी जी, मुझे कृपया अपनी बात समाप्त करने दें। मैंने आपके वक्तव्य के दौरान व्यवधान नहीं डाला था।

प्रो० मधु दण्डवते : अब हम लोग बोलते, तो हम गुमनाम नहीं रह सकते थे। तब आपको हमारे नामों का पता चल जाता। (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : तब आप इतने परेशान क्यों थे ? (व्यवधान)

श्री सी० माधव रेड्डी : आप अपनी बात को सही सिद्ध करने की कोशिश कर रहे थे और हमने उसका विरोध किया था। (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : महोदय, वास्तविकता यह है कि सदस्यों ने अपने हस्तक्षेप द्वारा स्पष्ट रूप से यह दर्शा दिया है कि वे सभा के विधायी रूप से सक्षम होने में रुचि नहीं रखते हैं बल्कि वे सभा की विधायी समर्थता में नहीं बल्कि इस विधेयक पारित होने में ही रुचि रखते हैं। हम इसी बात पर ही चर्चा कर रहे हैं।

क्या आन्ध्र प्रदेश के माननीय सदस्य ने विधायी सक्षमता के सम्बन्ध में एक शब्द भी कहा ? वे सदस्य जो बाद में पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में बोले, उन्होंने भी राजनीतिक इच्छा शक्ति के संबंध में बात की, वह विधायी सक्षमता के सम्बन्ध में नहीं बोले। और त्रिपुरा में राजनीतिक इच्छा शक्ति कहां गई तथा केरल में राजनीतिक इच्छा शक्ति कहां गई ? यह राजनीतिक दल अथवा राजनीति इच्छा शक्ति का प्रश्न नहीं है। वास्तविकता यह है·····(व्यवधान)

मैंने अपने पहले वक्तव्य में कहा था (व्यवधान)

मैंने अपने पहले वक्तव्य में कहा था कि यह राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रश्न नहीं है, यह राजनीतिक दल का प्रश्न नहीं है। यह कांग्रेस अथवा गैर-कांग्रेस का प्रश्न नहीं है। ऐसे राज्य भी हैं जहां कांग्रेस का शासन ठीक ढंग से चल रहा है और ऐसे राज्य भी है जहां कांग्रेस का शासन ठीक

नहीं है। फिर ऐसे राज्य भी हैं जहां विपक्ष का शासन ठीक ढंग से चल रहा है और ऐसे राज्य भी हैं जहां विपक्ष का शासन प्रबन्ध ठीक नहीं है। भिन्न-भिन्न राज्यों में विपक्ष की भूमिका भिन्न-भिन्न रही है। अत: स्पष्टत: दलों से परे भी कुछ बातें हैं। और यही कारण है कि हम इस सभा में संवैधानिक संशोधन पेश कर रहे हैं। (व्यवधान)

जम्मू और कश्मीर के एक सदस्य ने, मैं नहीं जानता हूं कि क्या आपने उन्हें बोलने की अनुमति दी थी लेकिन मैंने इस बात का अन्दाजा लगा लिया कि वे क्या पूछना चाहते थे। यह विधेयक अनुच्छेद 370 का अतिक्रमण नहीं करता और यह कश्मीर पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि कश्मीर का विधान मण्डल इसकी स्वीकृति नहीं देता है, जिसके सम्बन्ध में हम यह आशा करते हैं कि वे स्वीकृति प्रदान करेंगे।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : जम्मू और कश्मीर के लोग इस विधेयक का स्वागत करते हैं।

श्री राजीव गांधी : बहुत-बहुत धन्यवाद। संक्षेप में मैं यह बात कहने की चेष्टा कर रहा था कि इस विधेयक को ला कर हम अनुच्छेद 370 का अतिक्रमण करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसे वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार ही किया जायेगा।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मैं इस तरह के संवैधानिक उपबंधों का समर्थन करना चाहूंगा। (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : धन्यवाद महोदय, बहुत ही कम वैधानिक तर्क दिये गये और जो भी तर्क दिये गये वे उस मुद्दे से सम्बन्धित नहीं थे। मेरे माननीय सहयोगी द्वारा विधायी सक्षमता का ठीक जवाब दे दिया गया है। और मंत्री द्वारा उत्तर दिये जाने के पश्चात एक सदस्य ने स्वयं यह बात कही कि वह सक्षम नहीं है और मैं उनसे पूर्णत: सहमत हूं कि वे इस सम्बन्ध में टिप्पणी करने में सक्षम नहीं है। अत: उन्होंने जो भी कहा है मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा···(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : कृपया हमारी बातों को गलत ढंग से व्याख्या न करें।···(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : शायद श्री गोस्वामी ने यह पूछा था कि इस विधेयक को हम ने मुख्य मंत्रियों के समक्ष क्यों नहीं रखा। महोदय, जिस विधेयक को हम सभा में पेश करने जा रहे हों उसे इस सभा से बाहर कहीं भी पेश करने का अर्थ इस सभा के विशेषाधिकार को भंग करना होगा और ऐसा करने का हमारा कोई इरादा नहीं है; और न ही आपके द्वारा बिछाये गये जाल में ही फंसने का हमारा कोई इरादा है—(व्यवधान)

महोदय, अनेक सदस्यों ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सम्बन्ध में चर्चा की और कहा कि हम इस मूल संरचना को भंग कर रहे हैं। एक सदस्य ने विशेष रूप से इस सम्बन्ध में पूछा है, और संविधान के सम्बन्ध में उस सदस्य के दल का बहुत ही संदिग्ध रिकार्ड है, उन्होंने इसे जला डाला है, इसे फाड़ डाला है, इसे फेंक दिया है—मैं नहीं जानता हूं कि उन्होंने इसके साथ और क्या-क्या किया है। मुझे आश्चर्य होता है कि वह किस आधारभूत ढांचे की बात कर रहे हैं····(व्यवधान)महोदय, मैंने अपनी बात समाप्त नहीं की है। मैं व्यवधान उत्पन्न किया जाना पसंद नहीं करूंगा। करीब तीस

घंटे तक हमने उन सब की बातें सुनी हैं····(व्यवधान) महोदय, मैंने किसी सदस्य अथवा दल का नाम नहीं लिया है मुझे खुशी है कि माननीय सदस्य ने अपनी आस्था प्रकट कर दी है।

महोदय, किसी भी प्रकार से यह विधेयक संविधान के मूल संरचना में परिवर्तन नहीं करता है, मैं इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। लेकिन यह विपक्ष के मूल संरचना में परिवर्तन ला सकता है, महोदय, क्योंकि जैसा कि हमने देखा है कि जनता दल के अध्यक्ष यहां आये, उन्होंने एक संक्षिप्त वक्तव्य दिया, फिर जब मैंने उन्हें उत्तर दिया तो वे डर गये और बैठ गये। अब वह दिखायी नहीं देते हैं। वह यहां भी उपस्थित नहीं हैं। वह भागे हुए हैं···(व्यवधान) आपको उनका बचाव नहीं करना है (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : अधिकांश चर्चाओं में वे सभा में उपस्थित नहीं रहते हैं। उन्हें जाने की स्वतन्त्रता है···(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : आप सामन्तवादी दल क्यों अपना रहे हैं····(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : आप तो चर्चाओं में कदाचित ही उपस्थित रहते हैं।···(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : महोदय, अनेक दलों ने इस विधेयक का विरोध किया है। और मैं कहता हूं 'इस विधेयक का विरोध कीजिए, किन्तु इस सभा के विधायी रूप से सक्षम होने का विरोध मत कीजिए' क्योंकि किसी ने भी ऐसा नहीं किया है। इन दलों में तेलगु देशम, लोक दल, असम गण परिषद, डी० एम० के० शामिल हैं! मुझे आश्चर्य नहीं है कि इन दलों ने इसका विरोध किया है क्योंकि हम इन दलों की पृष्ठ भूमि जानते हैं। लेकिन जिस बात ने मुझे आश्चर्यचकित किया है वह यह है कि सी०पी०एम० सी०पी०आई०, फारवर्ड ब्लाक जैसे अधिक प्रगतिशील दलों के कुछ सदस्यों ने भी इस विधेयक का विरोध किया है और यह आश्चर्यजनक बात है। मैं आशा करता हूं कि ये दल वास्तविकता समझेंगे और अन्य विपक्षी दलों के बहकावे में नहीं आएंगे।····(व्यवधान)

महोदय, स्पष्टतः इस विधेयक का विरोध जैसा कि आज हमने देखा है, विधायी सक्षमता के कारण नहीं है। विरोध किसी अन्य बात पर, किसी अन्य महत्वपूर्ण बात पर, किसी अन्य ऐसी बात पर जो अत्यधिक रुकावट उत्पन्न कर रहा है, उसके प्रति है और यह बात स्पष्ट हो रही है।

महोदय, इसका विरोध स्पष्ट रूप से विपक्ष के सदस्यों द्वारा रचा गया षड्यंत्र है और यह षड्यंत्र इसलिये रचा गया है कि वे सत्ता के दलालों की रक्षा कर सकें; यह षड्यंत्र सामन्तवादियों के लिये संघर्ष हेतु रचा गया है··(व्यवधान) महोदय, विपक्ष के सदस्य इसमें निहित स्वार्थ का समर्थन कर रहे हैं ताकि इन स्तरों पर भ्रष्टाचार बना रहे। यह एक शर्मनाक बात है कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर इस सभा में हमारा मत एक नहीं है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि दूसरों और बैठे हुए सदस्यों द्वारा विकासशील विधेयकों का विरोध न किया गया हो। महोदय, 'प्रिवी पर्स' का उन्मूलन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, भूमि सुधार तथा इस सभा द्वारा पारित अन्य बहुत से ऐतिहासिक तथा क्रान्तिकारी विधेयकों का भी उन लोगों द्वारा विरोध किया गया जो उधर बैठे हुए हैं·· (व्यवधान) जब-जब उन लोगों ने ऐसा किया है, इस देश की जनता ने उन लोगों की उपेक्षा कर दी है और वे उपेक्षित हो रहेंगे। उनके द्वारा इस विधेयक के विरोध ने इस देश के लोगों को इस बात का प्रमाण दे दिया है कि इस ऐतिहासिक विधेयक के पारित करने में वे इस देश की जनता के साथ नहीं हैं।

जो तर्क दिये गये हैं वह हमने सुने हैं। हमने उन सब तर्कों को अस्वीकार कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है;

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वे कृपया 'हां' कहें।

अनेक माननीय सदस्य : 'हां।'

अध्यक्ष महोदय। जो सदस्य इसके विरोध में है वे कृपया 'नहीं' कहें।

कुछ माननीय सदस्य : 'नहीं'।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में निर्णय 'हां' वालों के पक्ष में हुआ।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं वालों के पक्ष में।

अध्यक्ष महोदय : दीर्घायें खाली कर दी जायें।

अब दीर्घायें खाली हो गयी हैं।

प्रश्न यह है;

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वे कृपया 'हां' कहें!

अनेक माननीय सदस्य : हां।

अध्यक्ष महोदय : जो सदस्य इसके विरोध में हैं वे कृपया 'नहीं' कहें।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

अध्यक्ष महोदय। मेरे विचार में निर्णय 'हां' वालों के पक्ष में हुआ।

कुछ माननीय सदस्य। निर्णय नहीं वालों के पक्ष में हुआ।

कुछ माननीय सदस्य : महोदय, हम इस पर मत विभाजन चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं मत विभाजन करा देता हूं। प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ

2.49 म.प.

मत विभाजन संख्या : 7

पक्ष में

अंजैया, श्रीमती मनेम्मा	अग्रवाल, श्री जय प्रकाश
अंसारी, श्री अब्दुल हन्नान	अब्दुल गफूर, श्री
अख्तर हसन, श्री	अरुणाचलम, श्री एम०

अलराम, श्री
अवस्थी, श्री जगदीश
अहमद, श्रीमती आबिदा
आजाद, श्री गुलाम नबी
उरांव, श्रीमती सुमति
ऐंगती, श्री बीरेन सिंह
ओडेयर, श्री चनैया
कमल नाथ, श्री
कमला कुमारी, कुमारी
कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम
काबुली, श्री अब्दुल रशीद
कामत, श्री गुरुदास
किदवई, श्रीमती मोहसिना
किन्दर लाल, श्री
किस्कू, श्री पृथ्वी चन्द
कुंवर राम, श्री
कुजूर, श्री मौरिस
कुप्पु स्वामी, श्री सी०के०
कुमार मंगलम, श्री पी० आर०
कुरैशी, श्री अजीज
कुलनदईवेलू, श्री पी०
केयूर भूषण, श्री
कौल, श्रीमती शीला
कृष्ण सिंह, श्री
खीर सागर, श्रीमती केसरबाई
खत्री, श्री निर्मल
खां, श्री मोहम्मद अयूब (झुन्झुनू)
खां, श्री मोहम्मद अयूब (उधमपुर)
खिरहर, श्री राम श्रेष्ठ
गंगा राम, श्री
गहलोत, श्री अशोक
गाडगिल, श्री वी०एन०
गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव
गुप्त, श्री जनक राज
गुहा, डा फूलरेणु
गोमांगो, श्री गिरिधर
घोलप, श्री एस० जी०
घोष, श्री तरुण कान्ति
घोष, श्री विमल कान्ति
चतुर्वेदी, श्री नरेश चन्द्र
चन्द्रशेखर, श्रीमती एम०
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी०वी०
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल
चालई श्री ए०
चौधरी, श्री नन्दलाल
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जनार्दनन, श्री कादम्बुर
जांगडे, श्री खेलन राम
जाटव, श्री कम्मोदीलाल
जाफर शरीफ, श्री सी०के०
जितेन्द्र प्रसाद, श्री
जितेन्द्र सिंह, श्री
जीवरत्नम, श्री आर०
जुझार सिंह, श्री
जेना, श्री चिन्तामणि
जैन, श्री लाल चन्द्र
जैन, श्री निहाल सिंह
जैन, श्री बुद्धि चन्द्र
जैनुल बशर, श्री
टाइटलर, श्री जगदीश
डामर, श्री सोमवी बाई

डिगाल, श्री राधाकांत
डेनिस, श्री एम०
ढिल्लों, डा०जी०एस०
तपेश्वर सिंह, श्री
तम्बि दुराई, श्री एम०
तारिक अनवर, श्री
तिग्गा, श्री साइमन
त्रिपाठी, डा० चन्द्र शेखर
थुंगन, श्री पी०के०
दलबीर सिंह, श्री
दाभी, श्री अजीत सिंह
दास मुंशी, श्री प्रिय रंजन
दास, श्री सुदर्शन
दिग्विजय सिंह, डा०
दिघे, श्री शरद
दिनेश सिंह, श्री
दीक्षित, श्रीमती शीला
देव, श्री सन्तोष मोहन
धारीवाल, श्री शांति
नामग्याल, श्री पी०
नायक, श्री शांताराम
नायकर, श्री डी०के०
नेगी, श्री चन्द्र मोहन सिंह
पंत, श्री कृष्ण चन्द्र
पटनायक, श्री जगन्नाथ
पराशर, प्रो० नारायण चन्द
पांडे, श्री मदन
पांडे, श्री मनोज
पायलट, श्री राजेश
पाटिल, श्री उत्तमराव
पाटिल, श्री एच०बी०
पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पाटिल, श्री शिवराज वी०
पाठक, श्री चन्द्र किशोर
पुजारी, श्री जनार्दन
पुरोहित, श्री बनवारी लाल
पुष्पा देवी, कुमारी
पूरन चन्द्र, श्री
पेरुमल, डा० पी० वल्लल
पोतदुखे, श्री शांताराम
प्रधान, श्री के०एन०
प्रधानी, श्री के०
फर्नान्डीज, श्री ओस्कर
फैलीरो, श्री एडुआर्डो
बनर्जी, कुमारी ममता
बासवराजू, श्री जी० एस०
बोरबल श्री
बीरेन्द्र सिंह श्री
बीरेन्द्र सिंह, राव
बुधानिया, श्री नरेन्द्र
बूटा सिंह, सरदार
बैरागी, श्री बालकवि
भगत, श्री एच० के० एल०
भरत सिंह, श्री
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल
भूमिज, श्री हरेन
मोहले, श्री प्रतापराव बी०
मलिक, श्री लक्ष्मण
महन्ती, श्री बृजमोहन
महाजन, श्री वाई० एस०
महावीर प्रसाद, श्री
माने, श्री सुरेशचंद्र

मिश्र, श्री उमाकान्त
मिश्र, श्री गार्गी शंकर
मिश्र, श्री नित्यानन्द
मिश्र डा० प्रभात कुमार
मीरा कुमार, श्रीमती
मुस्तेमवार, श्री विनायक
मुरमू, श्री सिद्धलाल
मोतीलाल सिंह, श्री
यादव, श्री डी० पी०
यादव, श्री श्यामलाल
योगेश, श्री योगेश्वर प्रसाद
रंगनाथ, श्री के०एच०
रंगा० प्रो० एन० जी०
रणवीर सिंह, श्री
रथ, श्री सोमनाथ
राज करन सिंह, श्री
राजहंस, डा० गौरी शंकर
राजेश्वरन, डा०वी०
राठौड़, श्री उत्तम
राम, श्री रामस्वरूप
राम अवध प्रसाद, श्री
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली
राम सिंह, श्री
राम प्रकाश, चौधरी
राव, श्री जे० बेंगल
राव, श्री डी० कृष्ण
रावत, श्री हरीश
लच्छी राम, श्री
लाहा, श्री आशुतोष
वन, श्री दीप नारायण
वनकर, श्री पूनम चन्द भोठा भाई
वर्मा, डा० सी०एस०
वासनिक, श्री मुकुल
व्यास, श्री गिरधारी लाल
शंकरानन्द, श्री बी०
शक्तावत, डा० विमला कुमारी
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शास्त्री, श्री हरि कृष्ण
शाह, श्री अनूप चन्द
शाही, श्री ललितेश्वर
शैलेश, डा०वी०एस०
श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी०
संकटा प्रसाद, डा०
संखवार, श्री आशकरण
संगमा, श्री विलियमसन्
सकरगयेन, श्री कालीचरण
सत्येन्द्र चन्द्र, श्री
साठे, श्री वसंत
साहो, श्रीमती कृष्णा
सिगरावडीवेज, श्री एस०
सिंह, श्री कमला प्रसाद
सिंह, श्री कृष्ण प्रताप
सिंह, श्री चन्द्र प्रताप नारायण
सिंह, श्री डी०जी०
सिंह, श्री भानु प्रताप
सिंह, श्री लाला विजय प्रताप
सिंह श्री एस०डी०
सिंहदेव, श्री के०पी०
सिदनाल, श्री एस०बी०
सिद्दीक, श्री हाफिज मोहम्मद
सुन्दर सिंह, चौधरी

सुख राम, श्री
सुखबन्स कौर, श्रीमती
सुन्दरराज, श्री एन०
सुरेन्द्र पाल सिंह, श्री
सूर्यवंशी, श्री नरसिंह
सुल्तानपुरी, श्री के०डी०
सेठी, श्री अनन्त प्रसाद
सोज, प्रो० सैफुद्दीन
सोरन, श्री हरिहर
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
स्वैरो, श्री आर०एस०
स्वेल, श्री जी०जी०
षण्मुख, श्री पी०

विपक्ष में

ककाडे, श्री संभाजीराव
कल्पना देवी डा०टी०
घोष गोस्वामी, श्रीमती विभा
झांसी लक्ष्मी, श्रीमती एन०पी०
तुलसीराम, श्री वी०

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है---

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, हमने मतविभाजन की मांग नहीं की थी। तब मशीन ने काम करना कैसे शुरू कर दिया ? ....(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मत विभाजन की मांग किसने की ? हमने आपको बता दिया था कि हम मत विभाजन पर जोर नहीं दे रहें है। मशीन ने काम करना कैसे शुरू कर दिया ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कई लोगों ने इसकी मांग की थी

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : यह रिकार्ड में दर्ज किया जाना चाहिए कि सत्तापक्ष की ओर से किसी ने यह मांग की है। हमने यह मांग नहीं की।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न एक है। मत विभाजन की मांग की गई थी दीर्घाएं खाली कर दी गई थी और तब वे अपनी-अपनी सीटों पर चले गए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पहले किसी ने इस ओर से मांग की थी, अब किसी ने उस ओर से मांग की है। आपने इसकी मांग नहीं की...

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : हमारी स्थिति स्पष्ट है सारे विपक्ष की स्थिति स्पष्ट है। हम सदन का विभाजन नहीं चाहते थे। मैं जानना चाहता हूं किसने सदन के विभाजन की मांग की। हमने आपको स्पष्ट कर दिया था कि हम विभाजन नहीं चाहते हैं। हमने यह आपको स्पष्ट कर दिया था....
(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ लोगों ने इसकी मांग की थी।

प्रो० मधु दण्डवते : हम आपके पास गये थे और आपको बता दिया था कि हम मत विभाजन नहीं चाहते। हम जानना चाहते हैं कि किसने मत-विभाजन की मांग की।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जब तक आपने नहीं कहा मशीन ने काम करना कैसे आरम्भ कर दिया ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको समझा देता हूं। मत विभाजन की मांग करने का अधिकार प्रत्येक सदस्य को है उसकी बात जब मैंने पहले प्रश्न रखा तब इस तरफ से कुछ लोगों ने मत-विभाजन की मांग की थी। तब मैंने दीर्घाओं को खाली करने को कहा था। फिर मैंने दुबारा पक्ष में और विपक्ष में कहा और फिर सदन के उस तरफ के कुछ सदस्यों ने विभाजन की मांग की—

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : यह रिकार्ड में दर्ज होना चाहिए महोदय, कि विपक्ष ने मत-विभाजन की मांग नहीं की··· (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : महोदय, यदि विपक्ष के माननीय सदस्य महसूस करते हैं कि उनकी बिना तैयारी के मत-विभाजन हुआ है तो हम एक बार फिर मत विभाजन के लिए तैयार हैं (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय हमने स्पष्ट रूप से आपको यह बता दिया था कि हम मत-विभाजन के लिए जोर नहीं दे रहे हैं। हम सदन का विभाजन नहीं चाहते। हमने आपको यह बता दिया था और आपने 'जी, हां' कहा था (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपने मशीन को चलाने के लिए कभी नहीं कहा (व्यवधान)

श्री एच० के० एल० भगत : महोदय, वे फिर दोगली बातें कर रहे हैं।···(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय यह रिकार्ड में दर्ज किया जाना चाहिए कि हमने मत-विभाजन की मांग नहीं की।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बता दिया है कि उस ओर से किसी ने इसकी मांग की थी····

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी है····

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, हमने कभी मत-विभाजन की मांग नहीं की जब तक हम मत-विभाजन की मांग न करें आप मशीन कैसे चालू कर सकते हैं ? आप मत-विभाजन के लिए कैसे कह सकते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उस ओर से उन्होंने मत-विभाजन की मांग की थी।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, आदेश किसने दिये ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे मत विभाजन के लिए कहा गया था इसी मैंने मत-विभाजन के लिए कहा।

(व्यवधान)

श्री वसंत साठे : आपने मत विभाजन की मांग की थी···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस सदन में कोई भी मत-विभाजन की मांग कर सकता है और किसी ने उस तरफ से विभाजन की मांग की, मत विभाजन की मांग पर जोर दिया। तभी मैंने दीर्घाएं खाली करने को कहा। दुबारा जब मैंने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा तब किसी ने मत-विभाजन की मांग की थी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने ऐसा नहीं कहा कि आपने कहा है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब शुद्धि के अध्यधीन* मत विभाजन का परिणाम यह है।

पक्ष में : 205

विपक्ष में : 5

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

2.52 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 3.45 म.प. तक के लिए स्थागित हुई।

श्री राजीव गांधी, श्री ब्रह्म दत्त, श्री जे० चोक्का राव, श्री राम रतन राम, श्री राम भगत पासवान, डा० कृपा सिन्धु भोई, श्री रामसिंह यादव, श्री नटवर सिंह सोलंकी, श्री एन० टोम्बी सिंह, श्री शंकरलाल, श्री मानकू राम सोडी।

3.45 म.प.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 3.45 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राजेश पायलट

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : मैंने इण्डियन एक्सप्रेस के विरुद्ध विशेषा-

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी पक्ष में मतदान किया।

विशेषाधिकार का नोटिस दिया है। ....(व्यवधान) समाचार पत्र ने चारा मशीनों के बारे में लेख लिखे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे देखूंगा और फिर आपको बताऊंगा।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : अध्यक्ष महोदय ने मुझे आश्वासन दिया था। मैंने विशेषाधिकार का नोटिस दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ विशेषाधिकार के बारे में आपने दिया है। मैं उस पर विचार करूंगा।

श्री वी० किशोर चंद्र एस० देव : आज संसद का अन्तिम दिन है। ..(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसका अध्ययन करूंगा। मैं आपको बता दूंगा।

(व्यवधान)

3.46 म.प.

दिल्ली मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक*

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली मोटर यान कराधान अधिनियम, 1962 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली मोटर यान कराधान अधिनियम, 1962 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राजेश पायलट : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।**

3.47 म. प.

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) में सहजनवां से बोहरीघाट तक नई रेल लाईन बिछाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मदन पाण्डे (गोरखपुर) : भारतीय रेल आज पूरी तरह आत्म निर्भर है। इसमें भी कोई

---

*दिनांक 15.5.89 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

शक नहीं है कि रेल प्रशासन का आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ है। पिछले चार वर्षों में उसने हर क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य से अधिक काम किया है। सातवीं योजना में बल आधुनिकीकरण और रेल प्रणाली के रुग्ण या कमजोर हिस्सों के पुनरुद्धार का था और इस उद्देश्य में काफी सफलता मिली। हमें इस बात की भी खुशी है कि रैलवे बोर्ड ने अपनी व्यवस्था को 21 वीं शताब्दी की जरूरतें पूरी करने में सक्षम बनाने के लिए सन 1985 से 2001 ई० के लिए वृहद्योजना तैयार की है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रेलों के विस्तार का एक व्यापक कार्यक्रम बनाया है। जिसका सम्बन्ध आधारभूत संरचना से लेकर तेज रफ्तार गाड़ियों के इन्जन बनाने तथा अधिक माल और सवारी गाड़ियों के चलने योग्य पटरियों निर्माण से है। मुझे आश्चर्य है कि इस प्रकार हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाला रेल प्रशासन नई रेल लाइनों के निर्माण की ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। आजादी मिलने के बाद के 42 वर्षों में रेलों के ढांचों में विस्तार चाहे जितना हुआ हो, नई लाइनों का निर्माण बहुत कम हुआ है।

अतः मैं रेल मन्त्री जी से यह मांग करता हूं कि नई रेल लाइनों के निर्माण की भी कोई वृहद्योजना तैयार की जाये और उसमें उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में स्थित गोरखपुर जनपद में सहजनवां से दोहरीघाट तक नई रेल लाइन बनाने का कार्यक्रम सम्मिलित किया जाये ताकि इस पिछड़े भू-भाग का भी सम्बन्ध देश के अन्य विकसित स्थानों से जोड़ा जा सके और यहां के निवासियों की प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो सके।

(दो) औषध कम्पनियों द्वारा जनता से ली गई अधिक धनराशि की उनसे वसूली किये जाने के लिए तुरन्त कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री राजकुमार राय (घोसी) : उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में जो दायर किये गये शपथ-पत्र पर आधारित था, यह पाया कि मैसर्स हैक्स्ट ने बरालगन कीटोन के 1810 रु० प्रति किलोग्राम की स्वीकृत मूल्य दर के विरुद्ध 24,735,58 रुपये प्रति बरालगन की गोलियां और अन्य औषधियों का मूल्य 1979 में निश्चित किया गया था लेकिन कम्पनी से वसूली 8019 रु० प्रति किलोग्राम और 1810 रुपये 20 पैसे (8019:00 रु० से 1810 रुपये 20 पैसे घटाकर 6208 रुपये 80 पैसे प्रति किलोग्राम) की गई। 8019 रु० प्रति किलोग्राम की राशि 1977 में वसूल की गई थी और यह 1978 के रिकार्ड में कहीं नहीं है। उन औषधियों की कीमतें जो 1970 में थी वही जारी रहीं। 24735 रुपये 58 पैसे की दर से आज तक कम्पनी ने, 1980 और 1983 के अंतराल में जब कीमत 1810 रुपये 20 पैसे निर्धारित की गई थी, 6400 किलोग्राम बरालगन किटोन का उत्पादन और खपत हुई। 24735 रुपये 58 पैसे—1810 रुपये 20 पैसे अर्थात् 22925 रुपये 38 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से, उन्हें दवाइयों की कीमतों में समानता के खाते में 14.67 करोड़ रुपए देने चाहिए थे लेकिन एक कमेटी की सिफारिशों के अनुसार राशि घटाकर 3 करोड़ 25 लाख रुपये कर दी गई। 1983 के बाद की वसूली के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। इसी तरह कम्पनी अपनी मुख्य कम्पनी से बेरालगन ईस्टर बीबक में मूल्य बढ़ा हुआ दिखाकर 22000 रुपए पर आयात कर रही है। और यह तथ्य या तो जानकारी में नहीं आया है या फिर इसे अनदेखा कर दिया गया है। रिफेमपीसिन वेनटामाईसिन, ट्रीसमीथोपीरम, सलफायेयक्सोल, डोक्सीसाईक्लीन आदि के मामले मूल

चाट रहे हैं। और इन मामलों में यहां तक कि स्मरण-पत्र भी जारी नहीं किये गये हैं मैं आग्रह करता हूं कि इन मामलों को वसूली के लिए वित्त मन्त्रालय को सौंप दिया जाना चाहिए।

(तीन) मछुआरों को आयकर से छूट दिये जाने की आवश्यकता

श्री एस० जी० घोलप (ठाणे) : महोदय, यह सच्चाई है कि भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत कृषि से आय कर मुक्त है यह विशेषकर इसलिए की गई है क्योंकि साधारणतया कृषि ज्यादा लाभ का व्यवसाय नहीं है। उसकी ओर, ज्यादातर कृषक अपने खाते नहीं रख पाते हैं।

यह भी सच्चाई है कि मछली पकड़ना भी कृषि जैसा ही कार्य है और इसी तरह सभी कार्यों के लिए मछलीपालन को कृषि के समान माना जाता है और यह कृषि मन्त्रालय का एक भाग है। इसलिए मछुआरे इस ख्याल में थे कि उन्हें आयकर से छूट मिली हुई है लेकिन अब ऐसा समझा जाता है कि आयकर अधिनियम की धारा 131 के अन्तर्गत मछुआरों की सहकारी सोसाइटी और मछुआरों को सम्मन जारी किये गये हैं कि वे अपनी आय का विवरण दें और आयकर चुकायें।

यह एक सच्चाई है कि मछली पकड़ने का व्यवसाय मछुआरों के दल द्वारा नाव द्वारा किया जाता है। ये मछुआरे बहुत ही गरीब, अशिक्षित, और पिछड़े हुए हैं और इनकी आर्थिक स्थिति भी उतनी ही खराब है जितनी कृषकों की और वे खाते भी नहीं रख पाते हैं और इसलिए उन्होंने वित्त मन्त्री से निवेदन किया है कि मछुआरों को भी आयकर अधिनियम 1951 की धारा 10 या 80 के अन्तर्गत छूट दी जाये।

इन स्थितियों में मैं निवेदन करूंगा कि आयकर से मछुआरों को मुक्त करने की ओर शीघ्र विचार किया जायें जिससे कि मछुआरों को आयकर से मुक्त किया जाये।

(चार) हिमाचल प्रदेश के लिए एक स्वतंत्र डाक सर्किल और रेल डाक सेवा डिविजन का गठन किये जाने की आवश्यकता

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : महोदय, हिमाचल प्रदेश के लिए अलग से एक आर. एम. एस. डिविजन की मंजूरी वित्त मंत्रालय और संचार मन्त्रालय में दो वर्षों से अधिक समय से विचाराधीन है। हिमाचल प्रदेश में 55,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में डाक घरों का जाल फैला हुआ है. जो पंजाब या हरियाणा से अधिक बड़ा है और इसका अपना स्वतन्त्र डाक सर्किल है और इसके लिए अलग से एक आर. एम. एस. डिविजन खोले जाने की आवश्यकता है जैसा कि जम्मू और कश्मीर में है जहां कार्य भार कम होने पर भी अलग से सोर्टिंग विभाग है। इसलिए, मैं वित्त मन्त्री को अविलम्ब विशेष मामले के रूप में डिवीजन खोलने का अनुरोध करता हूं।

(पांच) मेट्रो रेल को टॉलीगंज से गारिया तक बढ़ाये जाने की आवश्यकता।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : महोदय, मैं भूमिगत रेलवे परियोजना को टॉलीगंज से गारिया तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी क्योंकि इन दोनों के बीच केवल छः किलोमीटर की दूरी है। यह अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है और यहां

यातायात के समुचित साधन उपलब्ध नहीं है। अगर सरकार भूमिगत रेलवे परियोजना में जैसा कि ऊपर कहा गया है, विस्तार करती है तो इससे उस क्षेत्र के लोगों को काफी राहत मिलेगी। मैं समझती हूं कि यू. एस. एस. आर. ने सहायता देना स्वीकार किया है और भूमिगत रेलवे परियोजना और देश में कुछेक नई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अपना सहयोग देने की इच्छा व्यक्त की है। मुझे विश्वास है कि टालीगंज से गारिया तक भूमिगत रेलवे के निर्माण, जिसकी दूरी केवल 60 किलो मीटर है, पर सरकार का अधिक खर्चा नहीं आयेगा और परियोजना पूरी होने से रेलवे को भी इस क्षेत्र से फायदा होगा। मैं सरकार से इस योजना को पूरी करने का अनुरोध करती हूं।

4·00 म०पू०

(छः) तालकटोरा मार्ग और संसद मार्ग को जोड़ने वाले चौराहे पर श्रीमती इन्दिरा गांधी की प्रतिमा स्थापित किये जाने की आवश्यकता

श्री के० आर० नटराजन (डिंडिगुल) : श्रीमती इन्दिरा गांधी पंडित मोतीलाल नेहरू की पोती और पंडित जवाहर लाल नेहरू की पुत्री थीं। श्रीमती इन्दिरा गांधी समाजवाद के मार्ग पर चलीं और उन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और उन्होंने बैंकों को गरीबों तथा दलितों के कल्याण के लिए कार्य करने योग्य बनाया। उन्होंने भारत को प्रभुसत्ता सम्पन्न, समाजवाद, धर्म निरपेक्ष, और लोक तन्त्रिक गणतन्त्र बनाने के लिए संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया। गुट-निरपेक्ष देशों ने उन्हें अपना नेता चुना था। उन्होंने अपनी योग्यता सिद्ध कर दी। प्रति क्रियावादी ताकतें भारत में तथा बाहर विश्व में इस महान नेता को समाप्त करने के लिए एक हो गई। गुमराह कर्मचारियों ने गोली मार कर उनकी हत्या कर दी। इन्दिरा जी ने 1978 में कहा था "मैं ईमानदारी से यह कहना चाहती हूं कि मैं सहर्ष अपने का जीवन बलिदान करूंगी, अगर ऐसा करके मेरा देश उन्नति कर सकता है।" ऐसा उन्होंने मरते दम तक कहा। वह अपने जीवन की समाप्ति को भली प्रकार जानती थीं, उन्होंने स्वयं को शेरे पंजाब की तरह तथा भय से निपटने के लिए जैसे इब्राहीम लिंकन ने किया था तैयार किया था। यह हमारा कर्त्तव्य है कि भारत का सिर ऊंचा रखने के लिए तथा साहस और बलिदान की भावना को आगे भावी पीढ़ी तक बढ़ाने के लिए हमें तालकटोरा रोड पार्लियामेंट स्ट्रीट चौराहे पर, संसद भवन के द्वारा संख्या एक के सामने इन्दिरा जी की एक प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए।

(सात) नरसिंहपुर में छतरपुर होते हुए खजुराहो तक रेल लाइन बिछाये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री नन्द लाल चौधरी (सागर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के निम्नलिखित सूचना देना चाहता हूं—

रेलवे का इतिहास 100 वर्ष पूर्ण कर चुका है किन्तु मध्य प्रदेश का विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो अभी तक रेलवे लाइन से वंचित है। इसी महत्वपूर्ण स्थान के आस-पास के अन्य प्रसिद्ध नगरों ने भी रेल लाइन उनके यहां से या उनके पास से डाले जाने की आशा संजो रखी है। बुन्देलखण्ड के प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक सागर नगर को रेलवे का जंक्शन बनाने हेतु नरसिंहपुर से करेली, देवपो,

गोरखामर रहली, गढ़ाकोटा, सागर कर्रापुर बंडा, बसपतपुर, शाहगढ़, हीरापुर और छतरपुर से होकर खजुराहो तक नई रेल लाइन डाली, जानी अत्यन्त आवश्यक है। इस नई रेल लाइन डाले जाने हेतु पहले सर्वे भी हुआ है। इस विशाल क्षेत्र को प्रगति की धारा से जोड़ना बहुत आवश्यक है क्योंकि यह क्षेत्र रेल लाइन न होने के कारण विकसित नहीं हो पाया है। इस क्षेत्र की विशाल खनिज सम्पदा का दोहन भी रेलवे लाइन के अभाव के कारण नहीं हो सका है। कोई बड़े उद्योग का न होना भी रेल लाइन न होने का विशेष कारण है।

अतएव भारत सरकार के माध्यम से द्वारा रेल मंत्रालय से यह पुरजोर निवेदन है कि कृपया नरसिंहपुर से सागर को रेलवे का जंक्शन बनाते हुए छतरपुर होकर विश्व प्रसिद्ध खजुराहो तक नई रेल लाइन बिछाए जाने हेतु वह शीघ्र ही तत्पर हो।"

(आठ) उड़ीसा को उठाऊ सिंचाई परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दिये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर)। उड़ीसा राज्य में 10,363 उठाऊ सिंचाई परियोजनाएं है जिनकी 2,32,839 हेक्टयर भूमि में सिंचाई करने की क्षमता है। खरीफ मौसम 1988-89 के दौरान 27,967 हेक्टयर के लिए 5,248 पावइंट चालू किये गये और वर्तमान रबी मौसम में 89,260 हेक्टयर क्षेत्र की सिंचाई के लिए 8,840 परियोजनाओं का कार्यक्रम बनाया गया। लेकिन उड़ीसा राज्य के अधीन उड़ीसा उठाऊ सिंचाई निगम को धन की कमी के कारण विद्यमान परियोजनओं के रखरखाव और चलाने के लिए और इन परियोजनाओं की वितरण प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए, वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

वित्तीय वर्ष 1988-89 के दौरान, योजना और गैर-योजना दोनों के अन्तर्गत 2,158.60 लाख रुपये की राशि दी गई थी जो नहरों के निर्माण और मरम्मत आदि के कार्य, जो पूरी तरह से श्रम पर आधारित कार्य है, के लिए अपेक्षित कुल आवश्यकता का एक चौथाई भी नहीं हैं। इन कार्यों को करने के लिए पर्याप्त धन की कमी के कारण वर्तमान रबी मौसम के लिए बनाये गये कार्यक्रम को तब तक क्रियान्वित नहीं किया जा सकता जब तक केन्द्र सरकार राज्य को अधिक सहायता नहीं करे।

(नौ) रोसड़ा, बिहार में एक दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राम भगत पासवान (रोसड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, रोसड़ा उत्तर बिहार में अनुमण्डलीय शहर है। व्यवसाय के साथ-साथ यहां सरकार के हर विभाग हैं। यह इलाका घनी जनसंख्या का है। रोसड़ा उत्तर बिहार का केन्द्र स्थल है। यह शहर उद्योग व व्यापार की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सरकार के सभी कार्यालय अनेकों विद्यालय, महाविद्यालय, तथा सरकारी अस्पताल यहां पर हैं। अतः भारत सरकार अविलम्ब एक टी०वी० रिले केन्द्र की स्थापना रोसड़ा में करने की कृपा करें।

(दस) तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में हैजे को फैलने से रोके जाने हेतु तुरन्त कदम उठाये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री कावम्बुर जनार्दनन (तिरुनेलवली) : तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में हैजा फैला हुआ है। इस जिले के हारूर तालुक की रामायण हल्ली, वाबुधपट्टी और उथुपल्लम बस्तियों में तीन लोगों की मृत्यु हो चुकी है। छः बस्तियों अर्थात् उथुपल्लम, ए वेलामपती, रामायण हल्ली, वाबुधपट्टी संदेईपट्टी, दंडाकुप्पम को हैजे के प्रकोप वाले क्षेत्र स्वीकार किया गया है। सोलह रोगियों का हैजे के उपचार और निगरानी के लिए हारूर के सरकारी अस्पताल में दाखिल किया गया है। तथापि, इस सरकारी अस्पताल में बढ़ते हुए हैजे के मामलों का उपचार करने की सुविधाएं नहीं हैं।

धर्मपुरी एक बहुत पिछड़ा जिला है। वहां गम्भीर सूखे तथा पीने के पानी की कमी तथा वहां के लोगों की बहुत खराब आर्थिक स्थिति और शिक्षा की कमी के कारण, इस जिले के कई हिस्सों में बीमारी फैलने का डर है। वहां पर लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने की तुरन्त आवश्यकता है और हैजे के निरोधात्मक उपाय करने के लिए टीके लगाने की बहुत आवश्यकता है। यद्यपि सरकारी तन्त्र कार्य कर रहा है, इस समस्या से तब तक निपटा नहीं जा सकता जब तक केन्द्र सरकार सहायता सम्बन्धी उपाय नहीं करेगी। मैं केन्द्र से शीघ्र ही आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने और इस बीमारी को रोकने के लिए राज्य सरकार को धन उपलब्ध कराने का अनुरोध करता हूं।

(ग्यारह) मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर किये जाने हेतु वहां उद्योग स्थापित किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री डाल चन्द्र जैन (दमोह) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के बुन्देलखंड के दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ जिन का मुख्यालय सागर है, 21 वीं सदी की दहलीज पर नहीं 19वीं सदी में जी रहे हैं। पूरे बुन्देलखंड में घोर गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, कुपोषण, अशिक्षा व बीमारी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, सिंचाई आदि क्षेत्रों में घोर पिछड़ापन है। बड़े और छोटे उद्योगों की स्थापना कर बुन्देलखंड की बेरोजगारी दूर की जाये जिससे डाकू समस्या का सही ढंग से उन्मूलन हो सके तथा लोगों व शिक्षित बेरोजगारों को काम मिल सके।

(बारह) काली कुमाऊं (उत्तर प्रदेश) के एक स्वतन्त्रता सेनानी, कालू महर की स्मृति में उनके नाम पर एक डाक टिकट जारी किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, 1857 में प्रथम भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के कई योद्धाओं को राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हो चुकी है। परन्तु कुछ ऐसे व्यक्ति आज भी हैं जिन्हें आवश्यक राष्ट्रीय मान्यता आज भी नहीं मिल पाई है। इनमें से एक व्यक्तित्व उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जनपद के काली कुमाऊं के महान वीर स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी कालू महर जी हैं। श्री कालू महर ने

1857 में इस क्षेत्र में तत्कालीन कम्पनी बहादुर की सरकार के विरुद्ध हुई बगावत को संगठित किया तथा लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए परन्तु सरकार ने अभी तक "कालू महर" के सम्मान में उनकी यादगार को जीवित करने के लिये कोई कदम नहीं उठाया है।

मैं आग्रह करता हूं कि श्री कालू महर के नाम पर डाक टिकट जारी कर उनके नाम व योगदान के प्रति सरकार आभार व्यक्त करे।

(तेरह) "अपर सकरी जलाशय परियोजना" को शीघ्र पूरा किये जाने की आवश्यकता

श्री कुंवर राम (नवादा) : उपाध्यक्ष महोदय, 123.82 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की "अपर सकरी जलाशय परियोजना" पर 24 सितम्बर, 1984 को सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृति करने के पश्चात बिहार के तत्कालीन मुख्य मन्त्री स्व० श्री चन्द्रशेखर सिंह ने शिलान्यास किया और उन्होंने नवादा संसदीय क्षेत्र में आम सभा में घोषणा की थी कि सातवीं योजना में शामिल कर कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

अत्यन्त खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि सातवीं योजना में उक्त परियोजना को शामिल नहीं किए जाने के कारण जनाक्रोश तीव्र गति से हो रहा है जिसकी जानकारी मैंने तत्कालीन सिंचाई मंत्री को दी जिन्होंने पत्र द्वारा मुझे सूचित किया कि योजना का प्रारम्भिक कार्य 1986-87 में शुरू कर दिया जायेगा। परन्तु वैसा भी नहीं किया गया।

अतः आग्रह है कि भारत सरकार बिहार सरकार को निदेश दे कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में उक्त स्वीकृत परियोजना को शामिल करे ताकि जनविश्वास मजबूत बन सके।

(चौदह) बम्बई में रेल विभाग की भूमि से हटाए गये परिवारों का पुनर्वास किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अनूपचन्द शाह (बम्बई उत्तर) : मैं बम्बई में रेलवे अधिकारियों द्वारा रेलवे की भूमि से झुग्गी झोपड़ियों को हटाये जाने के बारे में माननीय मंत्री का ध्यान दिलाना चाहूंगा। यह राज्य सरकार की नीति है कि 1985 से पूर्व की झुग्गी झोंपड़ियों को गिराया नहीं जाये। बम्बई में 1985 या उससे पूर्व रेलवे की भूमि पर लाखों लोग झुग्गी-झोपड़ियां में रह रहे थे।

केन्द्र सरकार और रेलवे की यह जिम्मेदारी है कि जिन लोगों को बम्बई में रेलवे की भूमि से हटाया जाये उनके रहने के लिए व्यवस्था की जाये। रेलवे की भूमि पर बनी गन्दी बस्तियों में रहने वालों में बहुत तनाव है। मैं माननीय रेल मंत्री से इस मामले को राज्य सरकार से चर्चा करने और उन्हें बिल्डर आवास उपलब्ध कराने का अनुरोध करता हूं। अगर रेल अधिकारी उस भूमि का विकास करना चाहते हैं तो उन्हें झोपड़ियों को 30 फुट दूर हटा देना चाहिए और रेलवे उनके चारों ओर सुरक्षा के लिए एक दीवार भी बना दे।

(पन्द्रह) दुग्ध उत्पादन बढ़ाए जाने हेतु राजस्थान के अलवर जिले में डेरी विकास संबंधी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशन की एक इकाई स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री राव सिंह यादव (अलवर) : हमारे देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या आज भी कृषि, वान-

वानी, मछली पालन, रेशम, पशु पालन और दुग्ध उत्पादन से होने वाली आय पर निर्भर है। बहुत बड़ी संख्या में किसान लघु और सीमांत कृषकों की श्रेणी में आते हैं जिनके पास 4 हैक्टयर से भी कम कृषि भूमि है। ऐसे किसान समूचे देश से हैं। इन श्रेणियों के किसानों को पशु-पालन और दुग्ध उत्पादन से अतिरिक्त आय होती है। यहां तक कि भूमि-हीन कृषकों के पास भी हर परिवार में एक या दो दुधारू पशु होते हैं और दुग्ध उत्पादन तथा पशु-पालन से ही वे लोग अपनी आजीविका कमाते हैं। वे कृषक और खेतिहर मजदूर अपनी आय के लिए वैकल्पिक व्यवसाय के रूप में दुग्ध उत्पादन पर निर्भर हैं। अलवर, राजस्थान जिले में दुग्ध-उत्पादक काफी मात्रा में दूध का उत्पादन करते हैं। अलवर का स्थान दुग्ध उत्पादन के मामले में कई बार सबसे अग्रणी रहा है। यदि अलवर में सही व्यवस्था की जाए और वहां दुग्ध उत्पादन के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई जाए तो इस क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि किए जाने की अत्याधिक क्षमता है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान राज्य के अलवर जिले में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए डेरी विकास सम्बन्धी राष्ट्रीय तकनीकी मिशन की एक एकक स्थापित की जाए।

(सोलह) पंजाब के विभिन्न कस्बों से गुजरने वाली रेलगाड़ियों और अधिक चलाए जाने की आवश्यकता

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : भटिंडा, धुरी, लुधियाना आदि महत्वपूर्ण नगरों से गुजरने वाली गाड़ियों के बार-बार रद्द किए जाने और उनके समय में परिवर्तन किए जाने से पंजाब की जनता बहुत विक्षुब्ध हैं। इसलिए जनता एक्सप्रेस या भाभा एक्सप्रेस बरास्ता भटिंडा-रामपुराफूल बरनाला-धुरी-संगरूर-सुनाम-जाखल चलाई जानी चाहिए, 347-अप और 348 डाऊन, जिन्हें तीन वर्ष बन्द कर दिया गया था, उन्हें तुरन्त चलाया जाना चाहिए, नई दिल्ली-जम्मू तवी के बीच चलने वाली अहमदाबाद/सर्वोदय एक्सप्रेस को जखाल-सुनाम-संगरूर-धुरी-अहमदगढ़ और लुधियाना के रास्ते चलाया जाना चाहिए; धुरी एक्सप्रेस मलेरकोटला स्टेशन पर रुकनी चाहिए और 81 अप 82 डाऊन तथा 103 अप-104 डाऊन गाड़ियों तुरन्त पुन: चलाई जानी चाहिए।

(सत्रह) आंध्र प्रदेश के प्रकासम जिले में वडारेवू का एक तटीय पर्यटन स्थल के रूप में विकास किए जाने हेतु धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री सी सम्बु (बापतला) : आन्ध्र प्रदेश के प्रकासम जिले में चिराला का वडारेवू एक अच्छा समुद्र-तट है। हर रोज काफी संख्या में पर्यटक और विदेशी वडारेवू आते हैं किन्तु वहां पर्यटकों के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकार ने वडारेवू का एक अच्छे तटीय पर्यटन स्थल के रूप में विकास करने के लिए अनुमानित 57 लाख रुपए लागत का एक प्रस्ताव भेजा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह कृपया इस ममले पर विचार करें और आन्ध्र प्रदेश में इसे तटीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराए।

(अठारह) भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री सदर आलमुद्दीन (किशनगंज) : माननीय अध्यक्ष महोदय, भाषाई अल्पसंख्यकों सम्बन्धी आयुक्त की वार्षिक रिपोर्ट पर धूल जम रही है और यद्यपि कुछ रिपोर्टें सभा पटल पर रखी जा

चुकी हैं किन्तु पिछले एक दशक या उससे भी अधिक समय से उन पर कोई चर्चा नहीं हुई है। इस बीच, शिक्षा अधिकारियों ने केन्द्र और राज्यों दोनों में त्रिभाषा सूत्र को बहुत विकृत तरीके से लागू किया है।

प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यकों की भाषाओं को नहीं पढ़ाया जाता और माध्यमिक स्तर पर भी पाठ्यक्रम से निकाल दिया गया है। नवोदय विद्यालयों और केन्द्रीय विद्यालयों को जिन्हें केन्द्रीय विद्यालय संगठन संचालित करता है केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में से भी निकाल दिया गया है। संवैधानिक रूप से यह पक्षपात पूर्ण है और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए चिंता का विषय है। यह समूचे राष्ट्र के लिए चिंता का विषय होना चाहिए क्योंकि ऐसा करना राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध है। प्रशासन और सरकारी प्रचार माध्यमों में भी अल्पसंख्यकों की भाषाओं को उचित स्थान नहीं दिया गया।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि भाषाई अल्पसंख्यकों की इस उचित मांग पर वह विचार करे ताकि शिक्षा, प्रशासन और सरकारी प्रचार माध्यमों में उन्हें उचित स्थान दिया जाये और वह राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों को इस बारे में मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करे।

मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि प्रधान मन्त्री अथवा मानव संसाधन विकास मन्त्री त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन पर विचार करने के लिए मुख्यमंत्रियों और शिक्षा मंत्रियों की बैठक बुलाए तथा प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करे ताकि प्राइमरी स्तर पर उन्हें उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए और उसे तीन भाषाओं में से मुख्य भाषा माना जाए और राज्य की मुख्य भाषा को दूसरी अनिवार्य भाषा तथा हिन्दी अथवा अंग्रेजी को तीसरी भाषा माना जाए।

4.18 म.प.

असम विश्वविद्यालय विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब अगली मद, असम विश्वविद्यालय विधेयक पर चर्चा करेगी।

श्री दिनेश गोस्वामी (गुवाहाटी) : महोदय, मन्त्री जी द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले मैं दो मिनट के लिए एक निवेदन करना चाहता हूं.....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक पहले ही पुरःस्थापित किया जा चुका है। इस समय आप कोई आपत्ति नहीं कर सकते। आपको बोलने का अवसर दिया जाएगा। पहले मंत्री जी को विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने दीजिए। मैं आपको उसके बाद अनुमति दूंगा।

मानव संसदीय विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल०पी० शाही) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि असम राज्य में अध्यापन और सहवर्द्धकारी विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने के लिए तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि असम राज्य में अध्यापन और सहवर्द्धकारी विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय, हम यह कहना चाहते हैं कि यह विधेयक विश्वविद्यालय के मुख्यालय की स्थापना के प्रश्न के सम्बन्ध में राज्य सरकार की आपत्तियों के बावजूद पेश किया गया है। असम सरकार चाहती थी कि यह विश्वविद्यालय ऐसे स्थान पर स्थापित किया जाए जो राज्य के बीचोंबीच हो और असम सरकार ने यह पाया कि इसके लिए तेजपुर एक आदर्श स्थल है। चार जिलों के विश्वविद्यालयों को का इस विश्वविद्यालय के क्षेत्राही कोर्ट में रखा गया है। हमारे विचार से यह निर्णय अच्छे राजनैतिक कारणों से लिया गया है और इस निर्णय से भावनात्मक स्तर पर तथा राजनैतिक रूप से असम का विभाजन हो जाएगा। इसलिए, हम इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकते तथा विरोध स्वरूप हम मंत्री महोदय द्वारा अपना वक्तव्य देने से पूर्व ही सदन से उठकर बाहर जा रहे हैं।

4.19½ म.प.

इस समय श्री दिनेश गोस्वामी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सदन से उठकर बाहर चले गए।

श्री एन. टोम्बी सिंह (आंतरिक मणिपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। आरम्भ में, मैं असम की जनता और विशेष रूप से बराक घाटी की जनता को बधाई देना चाहता हूं जिन्हें इस केन्द्रीय विश्वविद्यालय का फायदा होगा। मैं तहे दिल से प्रधानमन्त्री जी की सराहना करता हूं जिन्होंने ऐसा निणय लिया है। मेरा शिक्षा मन्त्री से अनुरोध है कि वह मेरी भावनाएं प्रधान मन्त्री जी तक पहुंचाएं।

महोदय, असम राज्य एक बहु-संस्कृति, बहु धर्म और बहु-भाषायी राज्य है। हम विभिन्न समुदायों की जनता के सभी पहलुओं का ध्यान रखे बिना इस राज्य का विकास नहीं कर सकते। अतः इस केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जो कि काफी समय बाद स्थापित किया गया है—यह निणय बहुत पहले लिया जाना चाहिये था से असम की जनता को निश्चय ही फायदा होगा। दुर्भाग्य की बात है कि विपक्ष में बैठे असम गण परिषद् के सदस्य बिल्कुल मामूली कारण बता कर सदन से उठकर बाहर चले गए हैं। विश्वविद्यालय की स्थापना जैसे मामले में, वह भी असम जैसे राज्य में, जहां बहुत से समुदायों के लोग रहते हैं, उनका यह व्यवहार अनुचित है। असम गण परिषद के सदस्यों का इस तरह उठकर चले जाना मात्र उनकी कमजोरी दर्शाता है और इससे पता चलता है कि असम गण परिषद के सदस्य असम को एक संगठित राज्य की रूप में नहीं देखना चाहते। मुझे अफसोस है कि वे इस चर्चा, जो मेरे विचार से पूर्णतः शैक्षिक चर्चा है, भाग नहीं ले सकेंगे।

असम और उसके साथ ही समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक और विश्वविद्यालय की स्थापना और उच्च शिक्षा की जरूरत थी। इस समय असम में दो विश्वविद्यालय हैं; एक गुवाहाटी में तथा दूसरा, डिब्रूगढ़ में। यह असम में तीसरा विश्वविद्यालय है जो असम के कछार जिले में होगा जहां कई भाषाओं और जातियों के लोग बसे हुए हैं। असम के इस क्षेत्र विशेष को ध्यान में रखते हुए वहां एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करना सरकार का बहुत ही उचित निर्णय है।

पूर्वोत्तर राज्य में यह दूसरा केन्द्रीय विश्वविद्यालय है। सिलोम में पहले ही से एक विश्वविद्यालय है नार्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। लेकिन यह विश्वविद्यालय कुछ कठिनाइयों के कारण कछार

तथा अन्य जिलों मे कैम्पस खोलने में सक्षम नही है । असम के इस जिले में, जिसे बंगलाभाषी जनता को ध्यान में रखना पड़ता है और फिर वहाँ कचारी और मणिपुरी भाषा बोलने वाले लोग भी हैं, केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलना ही एकमात्र समाधान है । मेरे विचार से यह विश्वविद्यालय इस प्रदेश के लोगों की जरूरतों को पूरा कर पाएगा ।

महोदय, आज समूचे देश के विश्वविद्यालयों में शिक्षा के स्वर को और ऊंचा उठाए जाने की जरूरत है । पूर्वोत्तर क्षेत्र में शिक्षा का कार्य प्रभार कलकत्ता विश्वविद्यालय के पास था । फिर 1948 में गुवाहाटी विश्वविद्यालय की स्थापना से कुछ राहत मिली । उसके बाद डिब्रूगढ़, एन०ई०एच०यू० और मणिपुर विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई । हम यह नहीं कह सकते कि इनकी प्राप्ति संख्या कितनी होनी चाहिए; मैं नहीं जानता कि एक प्रदेश विशेष में विश्वविद्यालय की संख्या के सम्बन्ध में हमारा क्या मानदण्ड है ? मेरे विचार से हमारे यहाँ विश्वविद्यालयों की संख्या अभी भी कम है तथा हमें और अधिक विश्वविद्यालय खोलने चाहिए ।

4.22 म.प.

[श्री एन० वेंकट रत्नम पीठासीन हुए ।]

कछार जिले में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय होगा । हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है बल्कि केन्द्र सरकार से हमारा अनुरोध है कि केन्द्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर और विश्वविद्यालयों की स्थापना करें । मेरे विचार से असम राज्य तथा शिक्षा मंत्रालय भी इस पर विचार करेगा और तेजपुर जिले में एक और विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी । इस क्षेत्र में अभी भी एक विश्वविद्यालय की जरूरत है । हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि इससे असम में एक और केन्द्रीय विश्वविद्यालय खुल जाएगा ।

अब मैं दूसरे मुद्दे की चर्चा करूंगा और वह स्थान-निर्धारण से सम्बन्धीत है । मैं नहीं जानता हूं कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के स्थान निर्धारण के सम्बन्ध में इतना अधिक बहस क्यो हो रही है । सर्वप्रथम आप असम के इतिहास पर नजर डालें जो कि हजारों वर्ष पुराना है और विशेष रूप से कछार जिले के इतिहास पर नजर डालें । केन्द्रीय विश्वविद्यालय द्वारा कछार जिले के लोगो का ध्यान रखा जाना चाहिए । कछार जिले का इतिहास ही असम का इतिहास रहा है इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है । असमी लोगों, जिनकी आबादी अधिक है—यद्यपि यह एक विवाद का विषय है कि असम में कोई भी सम्प्रदाय बहुसंख्यक नहीं है—फिर भी यह असमी लोगों की उदारता कही जानी चाहिए कि वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि मुख्य परिसर कछार जिले में ही बनाया जाना चाहिए । अत: इस पृष्ठभूमि मे यह असमी लोगो और विशेष रूप से असम गण परिषद् के राजनीतिक समूह की उदारता कही जानी चाहिए कि वे इस बात से सहमत हैं कि कछार जिले में ही मुख्य परिसर बनाया जाना चाहिए ।

फिर कछार जिले के अलावा अन्य जगहों पर भी कैंपस खोलने तथा उन महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है जो कि अन्य विश्वविद्यालयों के अधीन हैं बशर्ते कि उन विश्वविद्यालयों द्वारा कोई आपत्ति न की गयी हो । इन सब बातों पर शायद गुण-दोष के आधार पर ही ध्यान दिया जाएगा ।

इस सन्दर्भ में मैं कुछ परामर्श देना चाहूंगा। पूरे देश में महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की नौकरी की शर्तें समरूप होनी चाहिएं जैसा कि कुछ देर पहले मैंने कहा था कि पूरे देश में परीक्षा का स्तर, शिक्षण का स्तर करीब-करीब समरूप होना चाहिए। बहुत लम्बे अर्से से बहुत ही निम्न स्तर के शिक्षा का परिणाम हम भुगत रहे हैं। हाल ही में, हमने साक्षरता के प्रतिशत में वृद्धि की है लेकिन इससे इसके स्तर में कोई विशेष विकास नहीं दिखाई देता है। वे लड़के तथा लड़कियां जो पूर्वोत्तर क्षेत्र से कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई जैसे महानगरों तथा अन्य जगहों में नामांकन के लिये आते हैं वे यहां कठिनाई में पड़ जाते हैं क्योंकि वहां परीक्षा की पूरी पद्धति, शिक्षा का स्तर तथा शिक्षण का स्तर सभी बहुत निम्न स्तर का है। अभी हाल ही में हम राष्ट्रीय शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल हुए है। इस सन्दर्भ में मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि उन्हें पूर्वोत्तर क्षेत्र के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों तथा गैर-शिक्षक कर्मचारियों के लिये इस प्रकार की नौकरी की शर्तें उपलब्ध करनी चाहिए जो कि पूरे देश के विश्वविद्यालय में लागू होने वाली नौकरी की शर्तें अनुरूप हों। इससे वहां के शिक्षा के स्तर, परीक्षा के स्तर तथा शिक्षण के स्तर में भी विकास होगा।

पहले ही हमें शिलांग के नार्थ-ईस्टर्न हिल का अनुभव प्राप्त है। हम परम्परागत ढंग के विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि नहीं करना चाहते हम वैसे विश्वविद्यालय चाहते हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। ये आवश्यकतायें क्या हैं ? ये आवश्यकतायें है शिक्षा के बाद रोजगार प्रदान करना, जीवन निर्वाह के लिये मूल साधन प्रदान करना। स्नातक और स्नातकोत्तर तक शिक्षित लोगों को सिर्फ सरकारी नौकरीयों के लिये नहीं दौड़ना चाहिए। इसे बन्द करना होगा। इस कार्य को करने में सिर्फ राजनीतिक नारे सहायक नहीं होंगे। शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि व्यक्ति स्वावलम्बी बन सके।

अब जो नया असम विश्वविद्यालय बना है, वह कछार में स्थित होगा। यह एक नये प्रकार का प्रायोगिक विश्वविद्यालयों में से एक होगा जहां रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम तथा रोजगारोन्मुख विषय पढ़ाये जायेंगे ताकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारों की समस्या का समाधान हो सके।

आप यह बात गौर करेंगे कि मिजोरम, मणीपुर, नागालैण्ड तथा त्रिपुरा में अधिकांश विद्रोही, विशेषकर लड़के और लड़कियां शिक्षित बेरोजगार है। बेरोजगारी के कारण वे विद्रोही बन जाते है। इस कारण ही वे विद्रोह तथा अन्य असामाजिक कार्यवाहियां करते हैं।

इसे रोकना होगा। इनके विकास के लिए विश्वविद्यालय एक उचित जगह होगी। उचित जगह के लिए जहां कि इसे अवस्थित किया जायेगा, इस विधेयक द्वारा शोधकार्य की सुविधा भी उपलब्ध करायी गयी है। कछार क्षेत्र का सर्वेक्षण ठीक प्रकार से नहीं किया गया है। हमें बोडो लोगों, कछार लोगों के इतिहास का, जो कि हजारों वर्ष पुराना इतिहास रहा है, उचित सर्वेक्षण करना चाहिए। अब इन लोगों का इतिहास समाप्त हो रहा है। इनकी रक्षा करनी होगी। मैं समझता हूं कि असम गण परिषद के मेरे मित्रगण इस महत्वपूर्ण विधेयक की कार्यवाहियों को समझ रहे होंगे क्योंकि यह एक राजनीतिक प्रचार है। शैक्षिक रूप से वे इसका विरोध नहीं कर सकते हैं और वे इसका विरोध नहीं करते हैं।

मैं आशा करता हूं कि यह विश्वविद्यालय और इस प्रकार के उठाये गए कदम द्वारा देश की विशेष रूप से असम की एकता और अखण्डता, मजबूत होगी। अब उन्हें इस बात का भय है कि

असम का विभाजन किया जा रहा है। श्री दिनेश गोस्वामी ने अभी तुरन्त इस बात का जिक्र किया है कि इससे असम का और अधिक विभाजन होगा, यह असम को कमजोर राज्य बना देगा। यह कथन बहुत गलत है, पूरी बात को वे गलत दृष्टिकोण से देख रहे हैं। उन लोगों को सन्तुष्ट कर, जो कि अभी तक निराश हैं, सन्तुष्ट नहीं हैं वे असम की एकता को मजबूत बनायेंगे। सिर्फ असमी भाषा बोलने वाले लोग इस बात का दावा नहीं कर सकते है कि उन्हें ही असम की सत्ता मिलनी चाहिए, असम राज्य की सारी सुविधायें और लाभ उन्हें मिलने चाहिए। सिर्फ विभिन्न वर्गों, विभिन्न समूहों, विभिन्न बहुभाषी समूहों, जातीय समूहों तथा सांस्कृतिक समूहों के हितों की रक्षा कर के ही वे असम को एकता और अखण्डता को मजबूत बनाये रखने में सक्षम होंगे और उनके द्वारा इस प्रकार उठाये गये कदम का स्वागत किया जाना चाहिए।

मेरा अन्तिम परन्तु महत्वपूर्ण कथन यह है कि असम में भाषा सम्बन्धी समस्या है। जहां भी यह समस्या खड़ी हुई है, यह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा रहा है और साथ ही यह बहुत ही नाजुक मुद्दा रहा है, यह मुद्दा किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न कर सकता है। अब यह विश्वविद्यालय असम में भाषा सम्बन्धी मुद्दे पर उचित ध्यान देगा। यह कछार जिले में अवस्थित है तथा वहां बंगाली प्रमुख सम्प्रदाय होंगे जो इसका ख्याल रख रहे हैं। फिर वहां अन्य वर्ग भी हैं जैसे मणिपुरी आदि। अब जैसा कि माननीय शिक्षा मन्त्री जानते हैं कि कुछ तत्वों द्वारा असम और त्रिपुरा में मणिपुरी भाषा का विरोध किया है लेकिन मुख्य भूमि में यह समस्या नहीं उत्पन्न हुई है। 'विष्णु प्रिया' कहे जाने वाला एक सम्प्रदाय अपने आप को मणिपुरी कहा जाना पसन्द करते हैं अपनी भाषा के आगे वे मणिपुरी शब्द उपसर्ग के रूप में जोड़ा जाना पसन्द करते हैं जो कि बिल्कुल गैर कानूनी असंवैधानिक तथा अनैतिक भी है. इसे रोका जाना चाहिए और मणिपुरी को जिसकी मांग वे संविधान की आठवीं अनुसूचि में शामिल करने के लिए कर रहे हैं. विश्वविद्यालय द्वारा इसे उचित मान्यता दी जानी चाहिए। किसी प्रकार की अड़चन के लिए, जो कि विष्णु प्रिया कमेटी द्वारा उत्पन्न की जा रही है, उन्हें अवसर नहीं देना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह विश्वविद्यालय इस बात का ध्यान रख सकती है। साथ ही, त्रिपुरा राज्य में अभी भी विश्वविद्यालय स्थापित करना बाकी है। कुछ राज्यों की राजधानियों में जहां कि कुछ विश्वविद्यालय भी हैं जो चाहें कितने भी अच्छे अथवा ऊंचे स्तर के हों, जैसे कलकत्ता विश्वविद्यालय, वहां कैंपस अथवा स्नातकोत्तर अध्ययन की कोई व्यवस्था नहीं है। जल्द से जल्द त्रिपुरा में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए। तब तक मैं समझता हूं कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय के अन्तर्गत त्रिपुरा राज्य को रखा जायेगा। भाषाई और जातीय सम्बन्धों में सादृश्य निश्चित रूप से एक अनुकूल वातावरण तैयार करेगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक का समर्थन करता हूं और असम में बारक घाटी के लोगों को बधाई देना चाहूंगा तथा इस विधेयक के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए प्रधान मन्त्री को भी धन्यवाद देता हूं।

श्री हरेन भूमिज (डिब्रूगढ़) : सभापति महोदय, इस असम विश्वविद्यालय विधेयक का समर्थन करते हुए मैं अपने प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी तथा मानव संसाधन मंत्रालय को असम की बारक वैली में, सिलचर में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय, जो कि बिल्कुल सही वक्त पर लिया गया सही निर्णय है, के लिये बधाई देता हूं।

असम में दो घाटियां हैं—ब्रह्मपुत्र घाटी में 25 प्रतिशत से भी अधिक आदिवासी लोग रहते हैं जो "टी तथा एक्स टी गार्डन ट्राईब्स" नाम से जाने जाते हैं। उनके साथ ही हिन्दी भाषी तथा बंगला भाषी लोग भी रहते हैं जिनकी आबादी भी नगण्य नहीं है। राज्य की पूरी आबादी में, जो कि 2 करोड़ से अधिक है सिर्फ इस जनजाति के लोग 25 प्रतिशत से भी अधिक है। बंगला भाषी लोग तथा अन्यसंख्यक भी पूरी आबादी के 25 प्रतिशत से कम नहीं है। यहां जनजातीय लोग, नेपाली, मणिपुरी, डेमपा, कच्छारी आदि अनेक वर्ग के लोग हैं। यदि असम राज्य में सही समय पर और ठीक ढंग से जनगणना करायी जायेगी तो ये असमी भाषाइ लोग अल्पसंख्यक हो जायेंगे। मैं इस बात को दोहराता हूं कि वे अल्पसंख्यक हो जायेंगे।

दो नहीं, बल्कि तीन विश्वविद्यालयों की स्थापना के बावजूद गुवाहाटी विश्वविद्यालय की स्थापना 1948 में हुई, डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना 1965 में और दो तीन सालों के पश्चात् जोरहाट कृषि विश्वविद्यालय जो कि डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध एक कृषि कालेज था, परन्तु बाद में इसे अलग कर एक पूर्ण कृषि विश्वविद्यालय बनाया गया—भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग, विशेषकर बंगला भाषी लोगों के साथ राज्य में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के मामले में कभी भी सही व्यवहार नहीं किया गया।

असम गण परिषद् के मेरे मित्रों ने आज सदन से बहिर्गमन किया है। यदि वे आज यहां उपस्थित होते, तो मैं उनसे पूछता कि वे 1960-61 के दुःख और तकलीफ भरे दिनों को कैसे भूल सकते हैं। मैं आगे नहीं जाना चाहता। वर्ष 1960-61 में हुई घटनाओं को वे कैसे भूल जाते हैं? वह भाषायी विवाद का वर्ष था। यह मेरा दुर्भाग्य है कि उस समय मैं गुवाहाटी विश्वविद्यालय में अन्तिम वर्ष का विद्यार्थी था और उस वर्ष भाषायी विवाद के कारण, भाषायी अल्पसंख्यक वर्ग के सभी विद्यार्थियों को, विशेषकर बंगला भाषी विद्यार्थियों को स्थानांतरण प्रमाणपत्र लेने पर मजबूर कर उन्हें असम से बाहर के विश्वविद्यालय में जाने पर मजबूर किया गया। इसके विरोध में कोई आवाज नहीं उठी। यह एक मात्र घटना नहीं थी। बाद में, अनेक अवसरों पर भाषायी विवाद खड़ा हुआ। ब्रह्मपुत्र घाटी में चाय बागानों में कार्यरत और अन्य जनजातियों ने असमी भाषा को स्वीकार कर लिया जबकि बराक घाटी के चाय बागानों में काम करने वाली और अन्य जनजातियों ने बंगला भाषा को अपनाया।

महोदय, वर्ष 1960 में भाषायी विवाद पहली बार खड़ा हुआ था। तत्कालीन गृह मन्त्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने राज्य का दौरा किया और मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया तथा अपने सुझाव दिए, जिसे "शास्त्री फार्मूला" के नाम से जाना जाता है। उनका एक सुझाव था कि राजभाषा अधिनियम में आवश्यक संशोधन किए जाएं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि जिला मुख्यालय कछार और स्वायत्तशासी पर्वतीय जिलों के बीच सम्पर्क के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग तब तक चालू रखी जानी चाहिए जब तक हिन्दी इसका स्थान नहीं ले लेती है। और राज्य स्तर पर फिलहाल अंग्रेजी का उपयोग किया जाता रहेगा और बाद में अंग्रेजी के साथ-साथ असमी भाषा का भी प्रयोग किया जाएगा। शास्त्री फॉर्मूला का एक सुझाव यह था कि भाषायी अल्पसंख्यक वर्ग को सुरक्षा प्रदान की जाए। शास्त्री फॉर्मूला के अनुसार वर्ष 1961 में, असम राजभाषा अधिनियम में संशोधन कर बराक घाटी में बंगला भाषा को एक मात्र राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई।

तत्पश्चात् कोठारी आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 1970 में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक आधार पर एक पाठ्यक्रम तैयार किया जिससे विभिन्न भाषायी समुदाय के लोगों को समान अवसर प्रदान किया जा सके और दोनों भाषाओं को – बंगला और असमी को मान्यता प्रदान की जा सके। लेकिन इस पाठ्यक्रम को कभी कार्यान्वित नहीं किया गया। कार्यान्वित करना तो दूर, इसे कभी लागू ही नहीं किया गया।

इसके बाद वर्ष 1972 में, डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय और गुवाहाटी विश्वविद्यालयों ने असमी भाषा को विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शिक्षा का एकमात्र माध्यम बनाने का निर्णय किया जिसके परिणाम स्वरूप एक और भाषाई विवाद खड़ा हो गया। मैं केन्द्रीय विश्वविद्यालय के प्रस्तावित स्थान को उचित ठहराने के बारे में पक्ष प्रस्तुत करता हूं क्योंकि असमगण परिषद् के सदस्यों ने इसके चयन पर विरोध प्रकट किया है। जब यह लागू किया गया था, तब तत्कालीन गृह मन्त्री, श्री कृष्ण-चन्द्र पन्त ने 1972 में राज्य का दौरा किया था। उन्होंने एक फार्मूला तैयार किया जिसके अन्तर्गत दोनों विश्वविद्यालयों ने 10 साल के लिए अंग्रेजी को एक माध्यम के रूप में जारी रखना स्वीकार किया था। इसके बावजूद समय-समय पर असमी भाषा को अनिवार्य भाषा के रूप में लादने की निरन्तर कोशिश की जाती रही है। भाषायी विवाद एक बार फिर वर्ष 1986 में उभर आया जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक अधिसूचना जारी कर, दिनांक 28 फरवरी, 1986 को आठवीं कक्षा के बाद सभी कक्षाओं के लिए असमी एक अनिवार्य विषय घोषित कर दिया। लेकिन सभी भागों में लगातार जोरदार आन्दोलन होने पर असम गण परिषद् ने इस अधिसूचना को वापस ले लिया। यह भाषा-विवाद असम गण परिषद द्वारा एक अलग विश्वविद्यालय बराक घाटी में स्थापित करके, टाला जा सकता था। लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। बल्कि समय-समय पर उन्होंने असमी भाषा को गैर-असमी लोगों पर लादने का प्रयास किया जिसकी राज्य में बहुत ज्यादा संख्या है। यह पिछला इतिहास है।

मेरी समझ में यह नहीं आता कि असम गण परिषद के मित्रों ने विरोध क्यों किया, हालांकि कुछ महीने पहले ही असम के मुख्य मन्त्री ने बराक घाटी में एक वक्तव्य में कहा था कि मुझे बराक घाटी में विश्वविद्यालय स्थापित करने पर कोई आपत्ति नहीं है। अब जब केन्द्रीय सरकार ने बराक घाटी के सिलचर में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव रखा तो वे इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। बराक घाटी के सिलचर में विश्वविद्यालय स्थापित करने से न केवल कछार क्षेत्र का ही विकास होगा बल्कि इससे असम राज्य का विकास होगा और यह उनकी उपलब्धी होगी। बराक घाटी में स्थित कछार असम का ही एक हिस्सा है उन्होंने संशोधन भी पेश किए हैं जिनके अनुसार : पृष्ठ 2, पंक्ति 47—

"सिल्चर" में होगा के स्थान पर तेजपुर प्रतिस्थापित किया जाए। और पृष्ठ 5, पंक्ति 9 के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए—

"बशर्ते कि जिस विश्वविद्यालय की अधिकारिता में महाविद्यालय अब अवस्थित है, उसे कोई आपत्ति नहीं हो" विधेयक में ऐसा संशोधन लाकर असम गण परिषद के सदस्यों या असम के लोगों के तथाकथित वर्ग विशेष ने एक बार फिर गैर-असमी भाषाएं बोलने वाले लोगों के प्रति अपनी घृणा, क्रोध, गलत प्रवृत्ति को दर्शाया है। इस समय असम गण परिषद सरकार को, असम के लोगों के तथा-

कथित वर्ग विशेष को, जो कि हमेशा ही विरोध करते रहे हैं, एक नहीं निर्णय लेकर इस विधेयक का स्वागत करना चाहिए था। उन्हें इस अवसर का लाभ उठाकर असम के लोगों को गले लगाना चाहिए था जो कि भारत का एक लघु रूप है जहां भारत के प्रत्येक भाग के लोग निवास करते हैं। उन्हें अनुभव करना चाहिए था कि वहां के सभी निवासी उनके भाई हैं। उन्हें अपना क्रोध, घृणा, गलत विचार दूसरे समुदाय के लोगों के प्रति नहीं दर्शाने चाहिए।

समापति महोदय : कृपया आप अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्री हरन मूमिज : बराक घाटी के सिलचर में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना एक सामयिक और राष्ट्रीय एकता के लिये उचित कदम है जहां भारत के प्रत्येक भाग से, प्रत्येक समुदाय से प्रत्येक संस्कृति और भाषा से—बंगला भाषी विद्यार्थी हिन्दी भाषी विद्यार्थी असमी भाषी विद्यार्थी और अन्य भाषा-भाषी विद्यार्थी—अपनी शिक्षा के इस मन्दिर में अपनी उच्च शिक्षा जारी रख पायेंगे।

यहां, मैं यह कहना चाहूंगा कि तीनों विश्वविद्यालय ब्रह्मपुत्र घाटी में ही स्थित हैं। इस कटु अनुभव के बाद भी मैंने बहुत से गैर-असमी भाषाएं बोलने वाले लोगों से राज्य भर में सम्पर्क किया और पाया कि गैर-असमी लोग यह अनुभव करते हैं कि एक समय ऐसा आयेगा जब वे चैन की सांस लेंगे और अपने बच्चों को ऐसे स्थानों पर पढ़ा सकेंगे जहां सुख और शान्ति रहती है। और शिक्षा का वातावरण व्याप्त है।

इस विषय में मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। सर्वप्रथम, मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि यह सिद्ध करने के लिए केन्द्रीय सरकार असम की जनता के प्रति कभी भी उदासीन नहीं रही बल्कि उनके प्रति सरकार ने हमेशा अपनी सहानुभूति दर्शायी है केन्द्र सरकार को ब्रह्मपुत्र घाटी में एक अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करनी चाहिए। साथ ही, मैं केन्द्र सरकार से यह भी अनुरोध करूंगा कि उन्हें एक विश्वविद्यालय, विशेषकर डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय को अपने अधीन ले लेना चाहिए, जो कि उद्योगों से घिरा है जैसे—चाय, कोयला, पेट्रोलियम, प्लाईवुड इत्यादि, और जो बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। यद्यपि यह भारत का सबसे सम्पन्न जिला है लेकिन इस जिले के और अरूणाचल प्रदेश के लोग बहुत पिछड़े हैं। अतः मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करूंगा कि वे डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय को अपने अधीन लें और इसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय में बदल दें क्योंकि इन दोनों विश्वविद्यालयों को भारी आर्थिक कठिनाई हो रही है। अन्त में मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि बराक घाटी के केन्द्रीय विश्वविद्यालय में सहीदार्थी, लक्ष्मीनाथ बेज बरुआ और कुछ गुरु विष्णु रामा की प्रतिमाएं सद्भावना के तौर पर स्थापित की जानी चाहिए जिससे असमी लोगों का और उन वर्गों का दिल जीता जा सके जो कि हमेशा विरोध करते रहे हैं और बंगला भाषी लोगों के प्रति अपनी घृणा, क्रोध जाहिर करते रहे हैं।

महोदय, मैं ब्रह्मपुत्र घाटी में एक और केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता को पुनः दुहराता हूं। यह समय की आवश्यकता है। महोदय, मेरे सुझावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए और एक बार फिर मैं इस विधेयक का तहे दिल से समर्थन करता हूं और सरकार को बराक घाटी के कछार क्षेत्र में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री अजय बिश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : सभापति महोदय, मैं असम में एक विश्वविद्यालय की स्थापना करने के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं क्योंकि देश के पर्वतीय क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने से न केवल उस क्षेत्र के छात्रों को लाभ होगा अपितु राज्य को भी ऐसा करने से लाभ होगा। महोदय, कछार जिले और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक विश्वविद्यालय की बहुत आवश्यकता है। इस बात से कोई व्यक्ति इन्कार नहीं कर सकता। कछार जिले में एक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आन्दोलनों का एक दौर चला था। परन्तु मुद्दा यह है कि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच मतैक्य क्यों नहीं है। मैं समझता हूं कि विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच मतैक्य होना नितान्त आवश्यक है।

महोदय मैं अपने भाषण को इस विधेयक की विभिन्न धाराओं तक ही सीमित रखूंगा। मुझे यह पता चला है कि इस विधेयक की कुछ धाराओं से कुछ ऐसे अधिकार नष्ट हो जायेंगे जिन अधिकारों का उपयोग अन्य विश्वविद्यालय कर रहे हैं। व्यावहारिक तौर पर यह विश्वविद्यालय शिक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत आयेगा। इससे असम विश्वविद्यालय की गतिविधियों में विभाग द्वारा हस्तक्षेप की गुंजाइश बनी रहेगी। मैं इस सन्दर्भ में कुछ उदाहरण दे सकता हूं। धारा 8 के उपरोक्त (दो) में कहा गया है कि विभाग विश्वविद्यालय की किसी भी कार्यवाही को रद्द कर सकता है और उसका उल्लेख न्यायालय में नहीं किया जा सकता। इसका अभिप्राय यह है कि विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये किसी भी निर्णय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा अपनाई गई किसी भी कार्यवाही को विभाग द्वारा रद्द किया जा सकता है। विभाग को पूर्ण स्वतन्त्रता दी गई है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। धारा में यह कहा गया है कि विजिटर को उपकुलपति की नियुक्ति के मामले में विश्वविद्यालय के पैनल को रद्द करने का अधिकार होगा। स्पष्ट रूप से इस बात की अनुमति दी गई है कि विजिटर उपकुलपति द्वारा दिये गये पैनल को रद्द कर सकता है। अत: मैं इस धारा के विरुद्ध हूं। मेरा तीसरा मुद्दा यह है कि कार्यकारी परिषद को शैक्षणिक परिषद की सिफारिशों पर अध्यादेश बनाने का अधिकार होगा। अत: शैक्षणिक परिषद की सिफारिशों को कार्यकारी परिषद के पास भेजा जायेगा और वे शैक्षणिक परिषद के सदस्यों की सिफारिशों के अनुसार कार्य करेगी परन्तु ऐसा हो सकता है कि कार्यकारी परिषद शैक्षणिक परिषद की सभी सिफारिशों को स्वीकार न करे।

5.00 म.प.

यदि कार्यकारी परिषद और शैक्षणिक परिषद के बीच मतभेद होता है तो मामले को विजिटर के पास भेजा जायेगा और इस बारे में विजिटर का निर्णय अन्तिम होगा। अत: हम देखते है कि एक-एक करके सभी शक्तियां केन्द्रीय सरकार अथवा मन्त्रालय में हाथ में दे दी गई हैं व्यवधान)

मेरा तर्क यह है कि अन्तत: यह विश्वविद्यालय शिक्षा मंत्रालय का एक विभाग होगा। (व्यवधान)

मेरी बात शत प्रतिशत सही है। आप इस विधेयक की जांच कीजिए।

महोदय, योजना बनाने के लिए एक सर्वोपरि निकाय है और वे विश्वविद्यालय के विकास के लिए कार्यकारी परिषद अथवा शैक्षणिक परिषद को निर्देश दे सकती है। यदि कार्यकारी परिषद योजना बनाने वाले निकाय की सिफारिशों अथवा निर्देशों को स्वीकार नहीं करती है तो इस मामले को विजिटर के पास भेजा जायेगा और विजिटर का निर्णय अन्तिम होगा। कार्यकारी परिषद हो अथवा शैक्षणिक परिषद सभी शक्तियां विजिटर के पास हैं और विजिटर का अभिप्राय है शिक्षा मंत्रा-

लय कार्यकारी परिषद उपकुलपति की सिफारिशों पर एक 'प्रावाइस चांसलर' की नियुक्ति करेगी। इस मामले में भी यदि कार्यकारी परिषद उपकुलपति की सिफारिश को स्वीकृत नहीं करती है तो मामला विजिटर के पास जायेगा और विजिटर का निर्णय अन्तिम होगा। अत: इस प्रकार विश्वविद्यालय के दैनिक कार्यकरण में हस्तक्षेप करने की काफी गुंजाइश है। अगला मुद्दा यह है कि एक निर्वाचित छात्र परिषद बनाई जायेगी। मुझे पहली बार यह पता चला है कि एक निर्वाचित विद्यार्थी परिषद बनाई जायेगी। परन्तु उसे उपकुलपति अथवा कार्यकारी परिषद द्वारा मनोनीत किया जायेगा। इस बारे में नामांकन की क्या आवश्यकता है ? इस बारे में कोई चुनाव नहीं होगा और कोई निर्वाचित निकाय स्थापित नहीं किया जायेगा। उनको अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। अगला मुद्दा यह है कि छात्रों को उपकुलपति के प्रति निष्ठा के बांड पर हस्ताक्षर करने होंगे कि वे उपकुलपति और अन्य अधिकारियों के आदेशों का पालन करेंगे। छात्र बन्धुआ मजदूर नहीं हैं। जब मजदूर किसी जमींदार के पास काम करने जाता है तो उसे इस बारे में निष्ठा व्यक्त करनी होती है कि वह जमींदार का विरोध नहीं करेगा परन्तु वह ऐसा लिखित रूप में नहीं करता है इस विधेयक में इस प्रकार की विचारधारा और इस प्रकार के दृष्टिकोण को सम्मिलित किया गया है। अत मैं केवल इसका विरोध करता हूं। यदि श्रमिक और नियोक्ता के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस मामले को विवाचन न्यायाधिकरण के पास भेजा जायेगा। और इस बारे में न्यायाधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा और कर्मचारी को कोई समर्थन नहीं मिलेगा। इस प्रकार मैं समझता हूं कि इस विधेयक मे ऐसे कई उपबन्ध सम्मिलित किये गये हैं जिन्हें हटा दिया जाना चाहिए। अन्यथा इस विश्वविद्यालय के कार्यकरण से उस क्षेत्र में अच्छा वातावरण तैयार करने में सहायता नहीं मिलेगी। मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि वे कम से कम इस बात पर ध्यान दें कि विधेयक मे किस प्रकार के लोकतंत्र विरोधी और आपत्तिजनक खंडों को सम्मिलित किया जा रहा है और उन्हें हटाया जाना चाहिए।

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। यद्यपि राज्य सरकार यह निर्णय नहीं ले सकी है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहां होगी क्योंकि असम समझौते के अनुसार केन्द्रीय सरकार इस बात के लिए वचन बद्ध है कि असम में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी, केन्द्रीय सरकार द्वारा उचित रूप से असम में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है विधेयक में भी यह प्रावधान है कि असम केन्द्रीय विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण असम में है। अन्य राज्यों के दूसरे विश्वविद्यालयों मे पढ़ रहे छात्रों को भी इस विश्वविद्यालय मे प्रवेश दिया जा सकता है बशर्ते उन विश्वविद्यालयों को कोई आपत्ति न हो। इन परिस्थितियों के अन्तर्गत जब केन्द्रीय सरकार अपनी वचनबद्धता को पूरा कर रही है तो कुछ सदस्यों को इस विश्वविद्यालय को एक विशेष जिले में स्थापित करने के बारे में आपत्ति नहीं करनी चाहिए। उच्च शिक्षा अव्यवस्थित है। 'शिक्षा' समवर्ती सूचि का विषय है और इस प्रकार यद्यपि केन्द्रीय सरकार को एक राज्य के साथ भागेदारी के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए कार्य करना पड़ता है परन्तु यदि राज्य इसे कार्यान्वित करने में विफल नहीं हैं तो केन्द्रीय सरकार एक मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकती। यह राज्य शिक्षा नीति नहीं है, यह केन्द्रीय शिक्षा नीति है। यदि कोई राज्य इस नीति के कार्यान्वियन के लिए आगे न आये तो इसे कार्यान्वित करने के लिए केन्द्र को कार्यवाही करनी चाहिए। शिक्षण, अनुसंधान और परीक्षा के स्तर में गिरावट और उच्च शिक्षा पर सम्पूर्ण व्यय न करने के लिए

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की आलोचना की गई है। इसे कार्यान्वित किया जाना है।

प्राक्कलन समिति भी यह चाहती है कि कमियों का पता लगाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों और अध्यापकों से बातचीत जारी रखे।

प्राक्कलन समिति ने भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संगठनात्मक ढांचे की आलोचना की है। यह प्रत्येक विश्वविद्यालय और उनकी समस्याओं का गहन अध्ययन नहीं कर सकता। इसका विस्तार किया जाना चाहिए और इसके कार्यकरण को व्यवस्थित किया जाना चाहिए। केन्द्रीय विश्वविद्यालय को अधिक धन देने की भी आलोचना की गई है और यह सुझाव दिया गया है कि राज्यों में स्थापित विश्वविद्यालयों को पर्याप्त धनराशि की जानी चाहिए।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि राज्यों में राज्य सरकार और विश्वविद्यालयों को अपना दायित्व निबाहना चाहिए। राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों के अपने विकास अधिकारी हैं। उन्हें राज्य में विश्वविद्यालयों के अधीन कालेजों को भी शिक्षा देनी चाहिए। आज भी कुछ ऐसे विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम की धारा 2 (च) और 12 (ब) का कोई ज्ञान नहीं है विशेष रूप से उड़ीसा में आज भी बहुत से ऐसे निजी कालेज और सरकारी कालेज हैं जोकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिये गये अनुदानों का लाभ नहीं उठाते हैं। ऐसा उस वास्तविकता के कारण है कि उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू०जी०सी०) की धारा 2 (च) और 12 (ब) के अन्तर्गत मान्यता नहीं दी गई है। ऐसी बात नहीं है कि यू. जी. सी. अपने कार्य में पीछे है अपितु विश्वविद्यालयों द्वारा उचित अपना द्वारा यू. जी. सी. के पास आवेदन पत्र नहीं भेजे गये हैं। उन परिस्थितियों के अन्तर्गत केवल यू. जी. सी. पर आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं है। यू. जी. सी. द्वारा दिए जाने वाले अनुदानों का लाभ उठाने के लिए राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों को बड़े पैमाने पर सामने आना चाहिए।

मैं यह कहना चाहूंगा कि इस संग के दौरान हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा नहीं कर सके। महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री का ध्यान कुछ पहलुओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। मैं उनसे मिलकर पहले ही उन्हें यह बता चुका हूं। परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। सरकार सातवीं पंचवर्षीय योजना में 500 कालेजों के दर्जे को बढ़ाकर उन्हें स्वायतशासी कालेज बनाना चाहती है। मैं यह नहीं जानता कि भारत में कितने कालेजों के दर्जे को बढ़ाकर उन्हें स्वायतशासी कालेज बनाया गया है। अब मार्च 1990 तक सातवीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हो जायेगी। इस सन्दर्भ में मैंने कुछ बातों की ओर माननीय मंत्री का ध्यान दिलाया है। महोदय उड़ीसा में उत्कल विश्वविद्यालय और सम्बलपुर विश्वविद्यालय और उड़ीसा सरकार द्वारा चार कालेजों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वायतशासी कालेज बनाने का सुझाव दिया गया है। मैं सरकार से यह आग्रह करता हूं कि उन चार कालेजों के दर्जे को तुरन्त ही बढ़ाया जाना चाहिए। यहां मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि बहरामपुर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत किसी भी कालेज का दर्जा बढ़ाकर उसे स्वायतशासी कालेज बनाने की सिफारिश नहीं की गई है। अतः मैं निवेदन करता हूं कि सरकार इस ओर कदम उठाये कि बेरहामपुर के शासकीय कालेजों और अन्य प्राईवेट कालेजों, जो उस विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, का दर्जा बढ़ाकर स्वायत्तशासी कालेजों का कर दिया जाये। भूतपूर्व मंत्री ने मुझे आश्वासन दिया था कि

उड़ीसा के गजम जिले में आस्का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक नवोदय विद्यालय की स्थापना की जायेगी। इसे शीघ्र ही स्थापित किया जाना चाहिए।

बी० एड० कालेजों के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि दो बी० एड० कालेजों, जो उत्कल और सम्बलपुर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आते हैं, का दर्जा बढ़ाकर उच्च शिक्षा संस्थान और व्यापक अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय कर दिया गया है। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बेरहामपुर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत एक भी महाविद्यालय का उतना दर्जा नहीं बढ़ाया गया है। इसलिए, उस काम के शीघ्र किये जाने की आवश्यकता है। उसकी बात यह है कि कुछ विश्वविद्यालय विभिन्न कारणों से नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए आगे नहीं आते है। कुछ राज्य भी इस काम के लिए आगे नहीं आते है। मैं केवल कुछ उदाहरण दे रहा हूं। हम, संसद सदस्य, मानव य मानव संशोधन और विकास मंत्री का ध्यान इन खामियों की ओर दिलाते है और उनसे अनुरोध करते है कि उन्हें संसद सदस्यों के साथ विचार-विमर्श के पश्चात् दूर किया जाना चाहिए। उन्हें सारी बातें राज्यों पर ही नहीं छोड़ देनी चाहिए और राज्यों पर नयी शिक्षा नीति लागू करने के लिए निर्भर नहीं रहना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति रही तो केन्द्रीय सरकार नई शिक्षा नीति लागू नहीं कर पायेगी। नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए केन्द्रीय सरकार को संसद सदस्यों को विश्वास में लेना चाहिए और लागू करने की प्रक्रिया में आई कमियों की तरफ उनका ध्यान दिलाना चाहिए और सुझाव देने चाहिए कि नीति को कैसे बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि बेरहामपुर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आने वाले बी०एड० महाविद्यालय का दर्जा बढ़ाया जायें।

5.44 म.प.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीत हुए]

मैं इस बारे में एक और बात कहना चाहूंगा ऐसा बिहार और उड़ीसा में ही नहीं है। मैं विभिन्न राज्यों के बारे में बात कर रहा हूं बिहार और उड़ीसा राज्यों में कालेज पिछले 8-10 सालों से स्थापित है और चल रहे हैं। लेकिन उन्हें स्थायी संबद्धता और स्थायी मान्यता अभी नहीं मिली है। इन महाविद्यालयों को केवल अस्थायी संबद्धता ही मिली है। इसीलिए इन कालेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान नहीं मिलता है। इसलिए सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए और यदि जरूरी हो, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में इस तरह से संशोधन किया जाये कि महाविद्यालयों को अस्थायी सहमति पर संबद्धता केवल तीन वर्षों के लिए दी अथवा जायें। इसके पश्चात् या तो सहमति संबद्धता का वापिस ले लिया जाना चाहिए या फिर स्थायी सहमति अथवा संबद्धता दी जानी चाहिए। अनन्तिम और अस्थायी संबद्धता केवल तीन वर्षों के लिए होनी चाहिए उस से अधिक नहीं और उसके बाद स्थायी संबद्धता दी जानी चाहिए जिससे कि इन महाविद्यालयों को भी विश्वविद्यालयों अनुदान आयोग का अनुदान मिल सके।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : महोदय, शिक्षा आज अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। भारत एक अनोखा देश है जिसमें विभिन्न जातियों, संस्कृतियों, भाषाओं और जीवन शैलियों के लोग एक ही छत्रछाया के अन्तर्गत रह रहे हैं और इस तरह विभिन्न संस्कृतियों को संजोय हुए हैं। अनेकता में एकता की शुरूआत हमारे यहां से ही हुई है। मैं इस विधेयक का स्वागत करती हुई। मैं अपने प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहती हूं जिसने असम में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने

के लिए सही कदम उठाया है। मैं अपने मानव संसाधन मंत्रालय को भी बधाई देना चाहती हूं। साथ ही मैं बधाई देना चाहती हूं गृह राज्य मंत्री श्री संतोष मोहन देव को क्योंकि जब वह मंत्री नहीं तब भी उन्होंने कछार जिले में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने की बार-बार मांग की थी। हालांकि प्रधानमंत्री अन्तिम निर्णयक है, सब अन्तिम निर्णय का अधिकार सरकार का है फिर भी श्री सतोष मोहन देव की लगातार कोशिशों के कारण ही सरकार ने कछार के लोगों की मांग पूरी की है।

मैं नहीं जानती कि आज असमगण परिषद् के मेरे मित्र विधेयक के विरोध में सदन से उठकर बाहर क्यों चले गये। यह सच है कि विश्वविद्यालय के स्थान चयन की लेकर आम सहमति नहीं थी। कुछ मतभेद थे। लेकिन मैं समझती हूं कि मात्र स्थान चयन के कारण कोई राजनैतिक दल राज्य की शिक्षा को अनदेखा नहीं कर सकता। मैं समझती हूं कि यह उनका राजनैतिक बोध्यमत था। वे इस लिए उठकर बाहर चले गये क्योंकि वे जानते थे कि वे असम के लोगों की मांगे पूरी नहीं कर पायेंगे। निस्सदेह, लोग जान जाएंगे कि उन्होंने सही किया है या गलत। मैं समझती हूं, असम गण परिषद के लोगों ने विधेयक के विरोध में बहिगमन करके भारी भूल की है। उन्हें कम से कम शिक्षा का तो सम्मान करना चाहिए। आज हम शिक्षण सुविधायें देने का प्रयत्न कर रहे है, हम ज्यादा विश्व-विद्यालयों की स्थापना करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं नही जानती कि वह क्यों उठकर बाहर चले गये। मैं जानती हूं कि असम गण परिषद के सदस्य कई बार ऐसा प्रदर्शित करते हैं कि प्रगतिशील है। उनका प्रगतिशील रवैया कहां है ? वे इसलिए उठकर बाहर चले गये क्योंकि यह विश्वविद्यालय कछार में स्थापित होने जा रहा है। वहां उनका दल शासक दल है उन्हें इस कदम का स्वागत करना चाहिए। उन्हें अल्पसंख्यकों का स्वागत करना चाहिए। हमारे संविधान के अनुसार हमारे दल के घोषणा-पत्र के अनुसार कांग्रेस हमेशा अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्ग के लोगों को संरक्षण देती आई है। इस असम गण परिषद्, जिनका दल असम में शासक दल है, को अल्पसंख्यकों को संरक्षण देना चाहिए। लेकिन अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने की बजाये वे सदन से बाहर चले गये हैं। मैं नहीं जानती कि वे बाहर क्यों चले गये हैं। उन्होंने कहा "यदि आप असम में विश्वविद्यालय की स्थापना करने जा रहे हैं तो एक डिविजन होगा।" आप डिविजन बनाने वाले कौन होते हैं ? कांग्रेस किसी राज्य को विभाजित करने नहीं जा रही है। लेकिन इन लोगों ने अल्पसंख्यकों के विरुद्ध इतने आंदोलन शुरू किये, उन्होंने अल्पसख्यक समुदाय के लोगों को गिरफ्तार किया और उन्होंने बुरी तरह पीटा और उन्होंने उन्हें मार दिया। मैं समझती हूं कि असमगण परिषद के लोगों ने वास्तव में गलती की है यह उनके लिए शर्म की बात है।

मैं श्री दिनेश गोस्वामी का सम्मान करती हूं। मैंने उन्हें इस विधेयक पर चर्चा आरम्भ किये जाने से पूर्व बता दिया था कि दिनेश जी आप विधेयक का विरोध मत कीजिए क्योंकि अल्पसख्यक संरक्षण चाहते हैं, वे शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। आप इस पूरी चीज का विरोध क्यों कर रहें हैं। उन्होंने कहा था कि वह इस पर नहीं बोलगे लेकिन मैं नहीं जानती कि उन्होंने बहिगमन क्यों किया है।

असम में 1948 में सरकार ने गुवाहाटी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, 1965 में सरकार ने डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और अब सरकार असम के उत्तरी भाग में आई० आई० टी० की स्थापना करने जा रही है। मैं नहीं जानती कि इन लोगों के साथ भेद-भाव क्यों बरता जा रहा है। लेकिन मैं सदस्यों से निवेदन करना चाहती हूं कि बहिगमन करने की

बजाए उनको अल्पसख्यकों की मांग को पूरा करना चाहिए। मैं समझती हूं कि सरकार को वहां राजनैतिक शक्तियां देने की बजाए लोगों को उचित शिक्षा देनी चाहिए।

यह केवल आज की मांग नहीं है, यह असम की ज्वलत समस्या रही है। 1960 में तत्कालीन गृहमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री का यह प्रस्ताव था। 1970 में यह कोठारी आयोग की सिफारिश थी। 1972 में यह पंत समिति का प्रस्ताव था। अब 1985 में प्रधानमंत्री ने इसकी सार्वजनिक रूप से घोषणा की। तब असमगण परिषद असम में एक विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए सहमत हो गई थी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि वह कछार के पक्ष में क्यों नहीं है।

मैं सरकार की पहल का स्वागत करती हूं और विशेषकर श्री संतोष मोहन देव को मैं बधाई देती हूं कि उन्होंने यह लक्ष्य प्राप्त किया और असम के लोगों की मांग पूरी की। मैं कई बार कछार जिले गई हूं। यह स्थानीय लोगों की मांग है? यह महिलाओं की, युवाओं की, और छात्रों की मांग हैं। सरकार ने उनकी मांग पूरी कर दी है। और इसीलिए मैं सरकार को धन्यवाद देती हूं।

श्री समर ब्रह्म चौधरी (कोकराझार): उपाध्यक्ष महोदय, महोदय मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। जैसा कि कई अन्य सदस्यों ने कहा है असम बहुभाषी राज्य है। कछार की भौगोलिक और स्थलाकृति ऐसी है कि यह करनियांगलोंग और उत्तरी कछार पहाड़ी क्षेत्रों के द्वारा ब्रह्मपुत्र घाटी से कटा हुआ है। वहां परिवहन और संचार की कठिनाई है। इसके अलावा, कछार में ज्यादातर बंगाली भाषी लोगों रहते हैं। यद्यपि असमी असम की राज भाषा है, तथापि कछार में बंगाली भाषा को राज-भाषा के रूप में मान्यता दी गई हैं। अतः यह विश्वविद्यालय निश्चित रूप से कछार के लोगों की लम्बे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेगा और वहां शिक्षा के वातावरण को बढ़ावा देने में सहायक होगा।

यदि राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच असम विश्वविद्यालय को सिल्चर में स्थापित करने के निर्णय पर मतैक्य हो जाता तो यह बेहतर होता। इससे जो असंतोष और विवाद ऊभरा है उससे बचा जा सकता था। उस स्थिति मे मैं समझता हूं कि असम गण-परिषद के सदस्यों ने भी बहिगमन न किया होता।

यद्यपि इससे अभी विवाद उत्पन्न हो रहा है तथापि मैं महसूस करता हूं कि असम विश्व-विद्यालय की कछार जिले के सिल्चर में स्थापना लेने से भविष्य में होने वाली अक्रिय घटनाओं से बचने में सहायक मिलेगी। भाषा एक बहुत ही नाजुक मसला है और असम जैसे बहुभाषी राज्य में तो यह अन्य राज्यों की अपेक्षा और भी ज्यादा नाजुक है।

भाषा अनेक दंगों रक्तपात और अच्छे मेल मिलाप, और अखंडता में बाधा डालने का कारण रही है, मेरा विचार है कि सिल्चर में इस विश्वविद्यालय की स्थापना से निश्चय ही अनेक ऐसी घटनाएं नहीं हो पाएंगी जो भाषा के आधार पर उत्पन्न होंगी।

मैं इस विश्वविद्यालय की जहां पर स्थापना की जा रही है इसके औचित्य को समझता हूं, क्योंकि यद्यपि मैं ब्रह्मपुत्र घाटी का हूं। लेकिन मैं उस क्षेत्र की गैर-असमिया भाषी जनता से हूं। जो विश्वविद्यालय असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थापित हैं, वहां शिक्षा का माध्यम असमिया है। जब असमिया भाषा को इन विश्वविद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के तौर पर आरम्भ किया गया तो हम जिनका संबंध गैर-असमिया भाषी समूह से है, चाहते थे कि अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम के रूप में

जारी रखा जाए। जन जातीय लोग विशेषकर बोडो जनता को अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए रखने के लिए न्यायालय की सहायता लेनी पड़ी।

सिल्चर में स्थापित होने वाले इस असम विश्वविद्यालय के साथ-साथ मैं समझता हूं कि एक और केन्द्रीय विश्वविद्यालय होना चाहिए जो ब्रह्मपुत्र घाटी की गैर-असमिया भाषी जनता की आवश्यकता को पूरा करें। अत: मैं एक सरकार से और गृह राज्यमंत्री श्री संतोष मोहन देव से निवेदन करता हूं, जिनका संबंध असम से है कि केन्द्रीय सरकार को ब्रह्मपुत्र घाटी में एक केन्द्रीय विश्व-विश्वविद्यालय देने के लिए मनवायें विशेषकर गैर-असमिया भाषी जनता की जरूरतें पूरा करने के लिए।

इस विधेयक का समर्थन करते हुए, एक और केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्वीकृति मिलने तक मैं केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध करता हूं, कि बोडो की बाहुलय वाले स्थान कोकराझार क्षेत्र में एक कैंपस का निर्माण करें। बोडो और असमिया न बोलने वाली जनता उन विश्वविद्यालयों से छुटकारा पाना चाहते हैं जहां शिक्षा का माध्यम असमिया है। न्यायालय की सुरक्षा में हम जन जातीय क्षेत्रों में स्थापित कॉलिजों में अंग्रेजी भाषा को शिक्षा के माध्यम के तौर पर प्रयोग करते हैं।

अत: मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करता हूं कि असम में एक और केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्वीकृति मिलने से पूर्व इसके स्थान पर कोकराझार में एक कैंपस की स्थापना पर विचार करें। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सुदर्शन दास (करीमगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं असम विश्वविद्यालय विधेयक 1989 का समर्थन करता हूं।

इस विधेयक में बराक घाटी के कछार में विश्वविद्यालय स्थापित करने की मांग की गयी है। मैं आपकी ओर से और बारक घाटी की जनता की ओर से, अपने माननीय प्रधान मंत्री को हमें यह विश्वविद्यालय देने के लिए धन्यवाद देता हूं। बारक घाटी के अध्यापक, विद्यार्थी और उनके संरक्षक कई वर्षों तक इकट्ठे लड़ाई लड़ते रहे हैं। यह शांतिपूर्ण तथा लोकतांत्रिक लड़ाई थी। कम से कम हमारे यहां विश्वविद्यालय है। मैं श्री शिवशंकर जी और श्री शाही जी को भी बाराक घाटी को विश्वविद्यालय देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

यह भावुकतापूर्ण मुद्दा नहीं होना चाहिए। यह तो शिक्षा सम्बन्धी मुद्दा है। ऐसा नहीं है कि बारक घाटी जीत गई है और ब्रह्मपुत्र हार गई है। इसका अर्थ यह है कि असम जीत गया है; लोकतन्त्र की जीत हुई है और अहिंसा की जीत हुई है। स्वतन्त्रता से पूर्व जब विश्वविद्यालय का विचार प्रस्तुत किया गया था तो असम के दो प्रमुख केन्द्र—सिलहट (जो अब बंगलादेश में है) और गुवाहाटी स्थान के लिए दावेदार थे। इसके तुरन्त पश्चात् देश का विभाजन हुआ और सिलहट का अधिकतर भाग देश से अलग हो गया और गुवाहाटी एकमात्र विकल्प रह गया। अत: गुवाहाटी में 1948 में एक विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। तत्पश्चात् ब्रह्मपुत्र घाटी में दो और विश्वविद्यालय — एक डिब्रूगढ़ में और दूसरा जोरहाट में स्थापित किए गए। दक्षिण असम में विश्वविद्यालय की अत्यधिक आवश्यकता थी और बहुत समय से इस क्षेत्र में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना निश्चित थी। बारक घाटी की जनता की ओर से 1960 के पहले दशक में मांग की गई क्योंकि घाटी के बंगला-भाषा विद्यार्थियों के साथ बुरा व्यवहार हो रहा था और इन पर हमला किया जा

रहा था और असम के दो वर्तमान विश्वविद्यालयों में किसी प्रकार के स्वस्थ (कुशल) शैक्षिक वातावरण का अभाव था। इसके अतिरिक्त गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ में यह दो विश्वविद्यालय धीरे-धीरे असमिया शिक्षा माध्यम अपना रहे हैं जिससे असम में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। सब से अच्छी शिक्षा तब दी जा सकती है जब यह ऐसे माध्यम से की जाए जो सीखने वाले को स्वत: आ जाए। दो घाटियों में शिक्षा के माध्यम की समस्या भी है ब्रह्मपुत्र घाटी में असमिया भाषी जनता की अधिकता है। कछार और करीमगंज में बारक घाटी में सरकारी भाषा के रूप में बंगला उन 11 विद्यार्थियों की दुःखद हत्या के परिणाम स्वरूप लागू हुई, जो 1962 में असमिया भाषा को थोपने का विरोध कर रहे थे जिसे आम तौर से शास्त्री सूत्र (फार्मूला) कहते हैं, किंतु जब असमगण परिषद् सरकार सत्ता में आई फिर भी रवैया नहीं बदला। उन्होंने 1986 में अधिसूचना जारी करके माध्यमिक स्तर पर असमिया भाषा को पुन: अनिवार्य बनाने का प्रयास किया। फिर उन्हें बारक घाटी की जनता के भारी विरोध के पश्चात् इसे वापस लेना पड़ा जिसमें करीमगंज के दो विद्यार्थियों की हत्या हुई। हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री इन्दिरा जी ने हमें आश्वासन दिया था कि बारक घाटी में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना पर विचार किया जाना चाहिए। और ऐसे ही वर्तमान प्रधान मंत्री जी ने कई बार हमें आश्वासन दिया है। किंतु बारक घाटी के लोग इस बात से परेशान हो गए कि वर्तमान राज्य सरकार ने ब्रह्मपुत्र घाटी में यह विश्वविद्यालय स्थापित करने का हर संभव प्रयास किया। हमने मांग भी की और हम केन्द्रीय सरकार को अपनी मांग के औचित्य को समझा सके, किंतु राज्य सरकार इसको छोड़ कर बारक घाटी से और कहीं जाना चाहती थी। उनका विचार था कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय असम में स्थित होना था अत: यह राज्य में कहीं पर भी हो सकता है हम यह नहीं समझ सके कि वे किस तर्क के आधार पर असम के अन्दर किंतु बारक घाटी के बाहर इसे स्थापित करना चाहते थे। क्या इसका यह अर्थ नहीं था कि उनके विचार से बारक घाटी असम के बाहर है? बारक घाटी के कम लोग संगठित तथा समृद्ध प्रणाली में विश्वास रखते हैं और ऐसे उपक्षेत्रीयवाद पर विश्वास नहीं करते जिसका समर्थन वर्तमान सरकार कर रही है।

इस सभा के पुरःस्थापित विधेयक में मांग की गई है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय बारक घाटी के कछार जिले में स्थापित किया जाए और आशा है कि राज्य में इसका विरोध करने वाले वे सभी लोग अपना विरोध त्याग कर पूर्वोत्तर में एक नया केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का समर्थन करेंगे जो संस्कृति, ज्ञान, अखंडता और प्रगति का केन्द्र होगा।

अंत में, मैं माननीय शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि ब्रह्मपुत्र घाटी में एक और विश्वविद्यालय की मंजूरी दें।

इन शब्दों के साथ मैं पुन: एक बार इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री एल०पी० शाही : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों द्वारा की गई टिप्पणियों को सुन रहा हूं मुझे इस बात का खेद है कि जब मैं विचार-विमर्श के लिए विधेयक प्रस्तुत कर रहा था तो कुछ माननीय सदस्य सदन से उठ कर चले गए। फिर भी वे यह बात व्यक्त नहीं कर पाए कि वे क्यों उठ कर बाहर जा रहे थे।

माननीय सदस्यों द्वारा की गई टिप्पणियां 'विजिटर', विद्यार्थी परिषद्, तथा अस्थाई मान्यता प्रदान करने, और बोडो क्षेत्र के कोकराझार अथवा अन्य क्षेत्रों की आवश्यकताएं पूरी करने की शक्तियों के सम्बन्ध में है।

जहां तक 'विजिटर' की शक्तियों का संबंध है, विधेयक अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालय की पद्धति पर ही तैयार किया गया है।

जहां तक विद्यार्थी परिषद् का सम्बंध है, यही उपबंध विश्वभारती विश्वविद्यालय में भी हैं और पांडीचेरी विश्वविद्यालय में भी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि जब विधेयक अधिनियम बने तो विश्वविद्यालय काम करना आरम्भ कर दे और इसमें कुछ "विज़िटर" हों। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि विश्वविद्यालय अपनी इच्छा से, अपने अनुभव के आधार पर, विधि में संशोधन कर सकते हैं। यदि विश्वविद्यालय के अधिकारी बाद में यह विचार करते हैं कि विद्यार्थी परिषद् का चुनाव किया जाना चाहिए, तो "विजिटर" को इसको सिफारिश करना उनकी इच्छा पर निर्भर करता है।

जहां तक 'विज़िटर" की शक्तियों का सम्बन्ध है, विधेयक में कोई नई बात नहीं कही गई है। यह अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की पद्धति पर ही है। सामान्य व्यवहार में भी, हम देखते हैं कि जब हम किसी पक्ष के साथ कोई समझौता या कोई ठेका (कंट्रैक्ट) करते हैं तो उसमें यह व्यवस्था होती है कि यदि कोई विवाद होगा तो विधेयक में इसकी व्यवस्था करनी है, अन्यथा यह कैसे चलेगा। "विजिटर" को भी कुछ शक्ति दी जानी है। वह दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता। यदि विश्वविद्यालय में ठीक प्रकार से काम चल रहा है तो "विजिटर" को हस्तक्षेप करने का अवसर ही नहीं मिलेगा और वह स्वयं हस्तक्षेप नहीं करता। यदि मतभेद हो केवल उस स्थिति में वह हस्तक्षेप करता है। यह व्यावहारिक पहलू है। अतः मध्य असम की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1948 में गुवाहाटी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1965 में डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय बना। तत्पश्चात् वर्ष 1969 में जोरहाट में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसके साथ ही साथ हम असम में एक केन्द्रीय भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित कर रहे हैं और असम सरकार ने नौगांव में इसकी स्थापना का सुझाव दिया है। भारतीय प्रौद्योगिकी (आई० आई० टी०) का महत्व विश्वविद्यालय से भी अधिक है। इस समय देश में पांच आई० आई० टी० हैं और छठे की स्थापना नौगांव में ब्रह्मपुत्र घाटी में होने वाली है। स्थान के लिए सुझाव राज्य सरकार को देना था। इसमें हम कहीं नहीं आते। हमने उनसे परामर्श किया। उन्होंने नौगांव में कुछ भूमि प्रदान की है। हमने इस वर्ष के बजट में धन का प्रावधान किया है और अगले वर्ष के बजट में भी हम अधिक भूमि का अधिग्रहण करने के लिए तथा सभी बुनियादी जुटाने के लिए प्रावधान कर रहे हैं। एक सोसायटी का पंजीकरण किया गया है। श्री आर० सी० मेहरोत्रा इसके सचिव हैं और असम के राज्यपाल इसके चेयरमैन हैं। इस सोसायटी ने ब्रह्मपुत्र घाटी में एक आई०आई०टी० की स्थापना के लिए कार्य करना शुरू कर दिया है।

देश के किसी भाग की उपेक्षा करने का कोई प्रश्न नहीं है। वास्तव में विश्वविद्यालय का यह प्रश्न वर्ष 1972 से ही था। 1972 में असम सरकार ने लिखा कि वे बारक घाटी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहते हैं। तत्पश्चात् मामला ऐसे ही चलता रहा। वर्ष 1982-83 में पुनः बरक घाटी में विश्वविद्यालय स्थापित करने की मांग की गई। तत्पश्चात 1985 में असम सरकार ने हमें लिखा कि उन्होंने एक विश्वविद्यालय खोलने का निश्चय कर लिया है किन्तु चूंकि वे किसी कारणवश विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं कर पाए इसलिए केन्द्र सरकार ने कछार जिले में एक विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। हमें कोई आपत्ति नहीं है। कछार जिला

भी असम का एक भाग है। विधेयक के अनुसार केवल चार जिले इस विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं, यदि असम के अन्य भागों में स्थित अन्य कालेज केंद्रीय विश्वविद्यालय से सबद्ध होना चाहते हो और मेरे विचार में यदि सम्बन्धित विश्वविद्यालय को कोई आपत्ति न हो तो इनकी सख्या बढ़ाई जा सकती है। ये चार जिले हैं कछार उत्तरी कछार, कारबी अगलॉग और कन्नर। मेरे विचार में विश्वविद्यालय की स्थान के बारे में कोई विशेष विरोध नहीं है।

5.43 म०प०

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

हम नई शिक्षा नीति लागू करना चाहते हैं और उसके अनुसार लचीले पाठ्यक्रम तैयार करने होंगे। अंतर्विभागीय अनुसंधान और अध्ययन आधुनिक उपस्कर एवं संचार प्रौद्योगिक तथा कम्प्यूटरों के प्रयोग को बढ़ावा देना है तथा हमें विश्वविद्यालय के लिए एक अच्छी लायब्रेरी एवं आसूचना तंत्र का प्रबन्ध करना है। जब यह विश्वविद्यालय अस्तित्व में आएगा और पूरी तरह काम करना शुरू कर देगा तो अन्य विश्वविद्यालयों को भी इससे लाभ होगा।

अन्य कालेज भी इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो सकते हैं। अतः मेरे विचार में इसके अलावा कोई बात उत्तर देने लायक नहीं रहती।

डिब्रूगढ़ निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सदस्य ने एक सुझाव दिया था। यह एक विख्यात व्यक्ति की प्रतिमा लगाने के सम्बन्ध में था। संस्कृति विभाग का एक अनुसार हम किसी राष्ट्रीय नेता स्वतन्त्रता सेनानी अथवा महान नेता की प्रतिमा स्थापित करने का यदि कोई प्रस्ताव हो तो उस का समर्थन करते हैं। यदि ऐसा कोई प्रस्ताव सामने आता है और स्थानीय व्यक्ति संसाधन जुटाने के लिए तैयार हों तो हम उसका समर्थन करेंगे। किंतु यह विश्वविद्यालय अधिनियम का एक भाग नहीं है।

जहां तक स्थायी अथवा अस्थायी सम्बद्धता का प्रश्न है, कुछ राज्य सरकारें कालेजों को अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की गलती करती है। अस्थायी सम्बद्धता का क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि राज्य सरकारों की नजर में वह संस्थान विशेष पूरी तरह व्यवहार्य नहीं है इसलिए वे उन्हें अस्थायी सम्बद्धता दे रहे हैं। जब स्वयं राज्य अस्थायी सम्बद्धता दे रहे हैं तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उसके विकास के लिए धन किस प्रकार दे सकता है? अतः स्वयं राज्य द्वारा निवारक उपाय किये जाने होंगे। राज्यों को अस्थाई सम्बद्धता नहीं देनी चाहिए। यदि वे सन्तुष्ट हैं तो उन्हें सम्बद्धता दे देनी चाहिए। तब वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के समक्ष विकास अनुदान अथवा उनके नियमों के अधीन विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत अनुदानों की मांग कर सकते हैं।

अतः यह निश्चित रूप से राज्य सरकारों का मुद्दा है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नहीं।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक को सभी की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि असम राज्य में अध्यापन और सहबद्धकारी विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न यह है कि :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

अध्यक्ष महोदय : श्री दिनेश गोस्वामी — अनुपस्थित।
श्री भद्रेश्वर तांती — अनुपस्थित।
श्री मुहिराम सैकिया — अनुपस्थित।
प्रो० पराग चालिहा — अनुपस्थित।
श्री सैफुद्दीन अहमद — अनुपस्थित।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 से 5 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 3 से 5 विधेयक में जोड़ दिए गए

अध्यक्ष महोदय : अब हम खंड 6 पर चर्चा करेंगे।

श्री दिनेश गोस्वामी — अनुपस्थित।
श्री भद्रेश्वर तांती — अनुपस्थित।
श्री मुहिराम सैकिया — अनुपस्थित।
श्री प्रो० पराग चालिहा — अनुपस्थित।
श्री सैफुद्दीन अहमद — अनुपस्थित।

"कि खंड 7 से खंड 45 तक कोई संशोधन नहीं हैं।

प्रश्न यह है।

"कि खंड 6 से खंड 45 विधेयक अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 6 से खंड 45 विधेयक में जोड़ दिए गए

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

" कि खंड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए जाएं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री एल० पी० शाही : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

5.48 म.प.

लोक लेखा समिति के सभापति की नियुक्ति के बारे में अध्यक्ष द्वारा टिप्पणियां

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मैं कुछ टिप्पणी करना चाहता हूं। मुझे खेद है कि ये टिप्पणियां लम्बी हैं।

8 मई 1989 को लोकसभा समाचार भाग-दो में की गई इस घोषणा के पश्चात् कि श्री पी० कुलनदईवेलु को वर्ष 1989-90 के लिए लोक लेखा समिति का सभापति नियुक्त किया गया है, कुछ माननीय सदस्यों द्वारा 9 मई, 1989 को लोक लेखा समिति के सभापति की नियुक्ति का प्रश्न उठाया गया था। इस मामले में श्री मधु दण्डते ने उसी दिन (9 मई) पत्र लिखा जिसमें उन्होंने सभा में विपक्ष के दलों अथवा ग्रुपों की संख्या के आधार पर विपक्ष के किसी सदस्य को लोक लेखा समिति का सभापति नियुक्त करने की परम्परा की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया। उनके अनुसार स्पष्ट रूप से जनता दल के श्री जयपाल रेड्डी का चयन किया जाना चाहिए था।

जैसा कि सदस्य जानते हैं, लोकसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 258 के अनुसार किसी समिति के सभापति की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से की जाती है और यदि उपाध्यक्ष समिति का सदस्य हो तो उन्हें समिति का सभापति नियुक्त किया जाएगा। इस संबंध में अध्यक्ष को व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं और उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती। वह दल की संबद्धता को ध्यान में रखे बिना समिति के सदस्यों में से किसी एक को सभापति नियुक्त कर सकता है।

लोक लेखा समिति हमारे केन्द्रीय विधान मंडल की सबसे पुरानी समिति है और ऐसी बात नहीं है कि इसका सभापति हमेशा विपक्ष का नेता ही रहा हो स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व वित्त सदस्य केन्द्रीय विधान सभा की लोक लेखा समिति का सभापति हुआ करता था और इसके सचिवालय संबंधी कार्य वित्त विभाग द्वारा किये जाते थे। वर्ष 1950 में संविधान के लागू होने पर, वित्त सदस्य। मंत्री ने समिति के सभापति के रूप में कार्य करना समाप्त कर दिया और इसके सचिवालय संबन्धी कार्यों को भी संसद (अब लोक सभा) ने अपने हाथ में ले लिया। वर्ष 1950 से 1967 की अवधि के दौरान लोक लेखा समिति का सभापति सत्तारूढ़ दल के सदस्यों में से नियुक्त किया जाता रहा।

1967 में हुए चुनावों में सत्तारूढ़ कांग्रेस दल ने अनेक राज्यों में बहुमत खो दिया था और वह लोकसभा में बहुत ही कम बहुमत से विजयी रहा था। यह आशा की गई थी कि एक ऐसा उत्तरदायी विधान मंडल दल जिसे विपक्ष के रूप में मान्यता दिने जाने के लिए अपेक्षित संख्या प्राप्त होगी शीघ्र ही बनेगी और अध्यक्ष द्वारा जिस किसी को भी सभापति नियुक्त किया जायेगा। वह सीमिति के मंच के अपने दल के अथवा सत्ताधारी दल या विपक्ष के उद्देश्यों के लिए उपयोग में नहीं लायेगा। इस पृष्ठभूमि मे तथा इन आशाओं के साथ यह निर्णय किया गया था कि यथा संभव विपक्ष के सदस्यों में से किसी सदस्य को लोक लेखा समिति का सभापति नियुक्त किया जाए। इस प्रकार 1967 में अध्यक्ष द्वारा विपक्षी सदस्य को लोक लेखा समिति का सभापति नियुक्त करने की प्रथा शुरू हुई। तथापि ऐसी कोई निरन्तर प्रथा नहीं रही है कि विपक्ष के पहले, दूसरे अथवा तीसरे रूप में बडे ग्रुप के सदस्य को सम्यक क्रमानुसार नियुक्त किया जाये। ऐसे भी उदाहरण है द्रमुक और मा० जा० पा० जैसी छोटी-मोटी पार्टियों प्राथमिकता दी गई तथा जिन पार्टियों की सभा में अधिक संख्या थी उनको लोकसभा की अवधि के तीसरे अथवा चौथे वर्ष में अवसर दिया गया था। समिति के सदस्यों में से किसी को नाम निर्देशित करने के अध्यक्ष के अधिकार के बारे में 688 तक कभी भी प्रश्न नहीं उठाया गया था और न ही हस्तक्षेप किया गया था।

गत वर्ष, मैंने पहले श्री पी० माधव रेड्डी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चुना था जो, मेरे विवेकानुसार लोक लेखा समिति के सभापति के पद का उत्तरदायित्व निभाने के लिए सब से उपयुक्त दिखाई देता था। जैसा कि सभा जानती है, किसी अन्य सदस्य एक विशेष व्यक्ति को ही दूसरे को नहीं सभापति के रूप में नियुक्त करने के लिए वाद-विवाद खड़ा किया गया और दबाव डाला गया। मैंनें उस समय भी विपक्ष के सदस्यों के समक्ष स्थिति पूर्णत: स्पष्ट कर दी थी कि समिति के किसी ऐसे सदस्य को नियुक्त करना अध्यक्ष का निर्विवाद विवेक है जो उनके विनिश्चय में समिति की अध्यक्षता करेंगे तथा उसका कार्य सुचारु और निष्पक्ष ढंग से चलाने के लिए सब से अधिक योग्य हो। प्रो० मधु दंडवते, सर्व श्री पी० माधव रेड्डी दिनेश गोस्वामी और वसुदेव आचार्य जैसे विपक्ष के नेताओं ने इस स्थिति को स्वीकार कर लिया था जब उन्होंने 23 अगस्त, 1988 के अपने पत्र में निम्न टिप्पणी की थी :

> "हम समिति का सभापति नाम निर्देशित करने के अपने माननीय अध्यक्ष के अधिकार को पूरी तरह स्वीकार करते हैं...सभी प्रासंगिक परिस्थितियों पर विचार करने के बाद आपके द्वारा निर्णय लेने पर उसके बारे में प्रश्न उठाने की बिल्कुल की संभावना नहीं रहती।"

श्री अमल दत्ता ने दिनांक 27 अगस्त, 1988 के अपने पत्र में निम्नलिखित टिप्पणी की थी :—

> "मैं समिति का सभापति नियुक्त करने के अध्यक्ष के अधिकार को पूरी तरह जानता हूं कि सभा को सभी समितियों को सभा के नियमों के अनुसार अध्यक्ष के निर्देश के अनुसार कार्य करना होता है।"

श्री माधव रेड्डी के त्याग पत्र देने के बाद और विपक्षी सदस्यों के इन विचारों और आश्वासनो का सम्मान करते हुए और इस भारत से कि एक बार नियुक्ति किये जाने पर कोई भी माननीय सदस्य निष्पक्ष तरीके से कार्य करेगा और संसदीय समितियों की उच्च परम्पराओं को ध्यान में

रखते हुए, मैं वर्ष 1988-89 के लिए इस समिति के सभापति के रूप में श्री अमल दत्ता को फिर से नाम निर्देशित करने के लिए सहमत हुआ था।

नियमों और निर्देशों की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, अध्यक्ष का लोक लेखा समिति के संबंध में यह सुनिश्चित करना परम कर्त्तव्य है कि समिति सौहार्दपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से कार्य करती रहे तथा वह अपनी उच्च परम्पराओं छवि को बनाए रखे। जबकि मन्त्री परिषद् लोक सभा के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेह है, इसकी समितियां सरकार के साथ शक्ति के प्रतियोगी केन्द्र नहीं बन सकती है। वास्तव में, इसे स्पष्ट रूप समझना होगा और इस बात की प्रशंसा करनी होगी कि संसदीय व्यवस्था में संसद और सरकार विपरीत स्थिति में नहीं हैं। सरकार, संसद का हिस्सा है। यह संसद में से बनती हैं और यह सम्पूर्ण संसद के प्रति उत्तरदायी रहती है। ये दोनों सरकार के कार्य में अलग न होने वाले हैं भाग। जबकि लोकसभा में विपक्ष का सामयिक सरकार को आलोचना करना उचित कार्य है। यह किसी संसदीय समिति का कार्य नहीं कि वह सरकार के विरुद्ध खोजबीन करने वाली समिति बन जाए। मंत्रिपरिषद् सम्पूर्ण लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। दूसरी ओर मंत्रालयों के अधिकारी भूल-चूक के सभी-कार्यों के लिए समितियों के प्रति 'जबावदेह' हैं। समितियां प्रशासन पर निगरानी रखती हैं न कि सरकार पर। इस तरह मंत्री किसी ससदीय समिति के प्रति उत्तरदायी' नहीं है। वस्तुतः कोई भी मंत्री किसी वित्तीय समिति का सदस्य कभी नहीं होता है और इसलिए उसको इन समितियों के समक्ष साक्ष्म देने के लिए नहीं बुलाया जा सकता।

विपक्ष से लोक लेखा समिति के सभापति की नियुक्ति एक बहुत ही हितकारी प्रथा हो सकती है। तथापि, हम इस सत्य को अनदेखा नहीं कर सकते कि लोकसभा में कोई भी मान्यता प्राप्त विपक्ष या प्रतिपक्ष नहीं है। किसी पार्टी को विधान मण्डल में मान्यता प्राप्त करने के पात्र बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम संख्या उस सभा को कुल सदस्य संख्या का दसवां भाग होती है। क्योंकि विपक्ष की किसी पार्टी/ग्रुप के यहां तक कि पचास सदस्य भी नहीं हैं, इसीलिए किसी पार्टी को भी मान्यता प्रदान नहीं की गई है और क्योंकि विपक्ष में किसी भी पार्टी को मान्यता प्राप्त नहीं है। इसीलिए सरकारी तौर पर विपक्ष भी नहीं है। इस समय सभा में जो सब से बड़ा ग्रुप है उसके नी केवल 28 सदस्य हैं : इस समय सभा में सत्ता पक्ष को तीन-चौथाई बहुमत प्राप्त है और विपक्ष के सदस्यों की संख्या एक चौथाई है जो कि छोटे-छोटे ग्रुपों, जिनसे सदस्यों की संख्या 1 से 28 के बीच में है, में बंटा हुआ है। ऐसी स्थिति में जहां पर निश्चित रूप से कोई मान्यता प्राप्त विपक्षी दल अथवा सरकारी विपक्ष मौजूद नहीं है, हमें विपक्ष के अधिकारों और विशेषाधिकारी के बारे में कुछ उच्च संसदीय परम्पराओं के बारे में सोचते समय सावधानी बरतनी होगी।

संसदीय समितियों का कार्य प्रशासन पर निगरानी रखना और विधान मण्डल के प्रति अपने उत्तरदायित्व को प्राप्त करने में मदद की सहायता करना है मंत्री, संसद की ओर से सरकार में कार्य करते हैं और प्रशासन पर निगरानी रखते हैं। एक आदर्श स्थिति में संसदीय समितियां निष्पक्ष तरीके से कार्य करते हुए प्रशासन पर निगरानी रखने में मंत्रियों की भी सहायता करती हैं और खामियों अथवा अनिममितताओं के बारे में उन्हें बताती है जिससे कि मंत्री सुधारात्मक उपाय कर यह सुनिश्चित करना सामूहिक कार्य है तथा इसका उद्देश्य भी सामूहिक है कि प्रशासन को कुशलता से चलाया जाए और अफसरशाही को भी उचित सीमाओं के अन्दर रखा जाए। समितियों के रचना-

त्मक तथा निष्पक्ष कार्यकरण के कारण ही हमारी संसदीय प्रणाली पर उनकी अपनी छाप रही है। इसलिए इस कार्य में उनकी सहायता करना मेरा परम कर्त्तव्य बनना स्वाभाविक ही है और यह सुनिश्चित करना भी कि वे कोई ऐसी बात न कहे अथवा करें जिससे हमारे संसदीय जीवन में उनकी प्रतिष्ठा और छवि को नुकसान पहुंचे।

वित्तीय समितियों के प्रतिवेदन सदैव एक मत से दिये जाते रहे हैं और टिप्पणियों की अनुमति नहीं है। यदि इन समितियों के कार्यकरण के मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में विवाद खड़ा हो जाए तो हमारे लिए इससे बढ़कर और दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है।

समितियां सत्ताधारी दल के प्रवक्ता के रूप में काम नहीं कर सकतीं किन्तु यह बात भी इतनी ही महत्वपूर्ण है कि इन्हें विपक्ष का हथियार बनाने का भी कभी प्रयत्न नहीं किया गया। एक बार जब कोई व्यक्ति संसद की किसी वित्तीय समिति का सदस्य चुना जाता है तो जहां तक संभव हो। उसे संसदीय संस्थाओं के सर्वोत्तम हितों में तथा संसद की मर्यादा की रक्षा करते हुए निष्पक्ष ढंग से कार्य करना होता है।

दुर्भाग्य से विगत में कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि प्रतिष्ठित लोक लेखा समिति के दुष्क्रियात्मक होने का खतरा उत्पन्न हो गया। समिति की एक रिपोर्ट को सभापति तथा सदस्यों के बीच मतभेद होने के कारण अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका। वास्तव में स्थिति इतनी अधिक खराब हो गई कि इस सदन में आरोप और प्रत्यारोप लगाए गए—सदस्यों ने सभापति पर अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया तथा सभापति ने सत्ताधारी दल पर व्हिप जारी करने का आरोप लगाया। इस सदन में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ।

इस संदर्भ में मैं यह सुनिश्चित करना अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि नई लोक समिति प्रभावी तरीके से कार्य करती रहे। जब मैंने श्री कुलनदेइवेलु को समिति का सभापति चुना तो मैंने भारत तथा अन्य स्थानों पर प्रचलित प्रथाओं और परिपाटियों सहित मामले के सभी पहलुओं पर विचार किया है।

मुझे इस बात पर हैरानी और खेद हुआ कि विपक्ष के प्रमुख नेताओं द्वारा पिछले वर्ष इस आशय के जबानी तथा लिखित आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह अध्यक्ष द्वारा किसी भी सदस्य को लोक लेखा समिति का सभापति नियुक्त किए जाने के अधिकार को चुनौती नही देंगे, एक बार फिर से विवाद खड़ा किया जा रहा है, और उन्हीं सदस्यों द्वारा अध्यक्ष के निर्णय को चुनौती दी जा रही है और नियमों को निरर्थक बताते हुए किसी माननीय सदस्य विशेष को सभापति नियुक्त करने के लिए अध्यक्ष को मजबूर किया जा रहा है। यदि यह अध्यक्ष के निर्णय लेने के अधिकार को चुनौती नहीं तो और क्या है? और यदि एक चौथाई बहुमत आज यह कहता है तो कल शेष तीन चौथाई बहुमत का क्या होगा?

मैं समझता हूं कि 11 मई, 1989 को विपक्षी दलों की ओर से एक प्रेस वक्तव्य जारी किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि उस दिन संसद के दोनों सदनों क विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि यदि लोकसभा के अध्यक्ष, विपक्षी दलों की संबंधित शक्ति के आधार पर उनसे लोक लेखा समिति का सभापति नियुक्त करने संबंधी चिर स्थापित परम्परा का सम्मान नहीं करते तो विपक्षी सदस्य विरोध के प्रथम चरण के रूप में सभी वित्तीय समितियों से त्याग पत्र देंगे। इससे मुझे धक्का लगा। प्रेस के पास जाने के अनौचित्य के अलावा यह स्पष्ट शब्दों

में अध्यक्ष पर दबाव डालना है जो निन्दनीय है। मेरी जानकारी में यह बात भी आई है कि विपक्षी सदस्यों द्वारा मुझे लिखे गए पत्र समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किए गए हैं जब कि यह मामला मेरे विचाराधीन है। दो व्यक्तियों के बीच हुआ पत्र व्यवहार भी दोनों की ही मर्जी के बिना प्रकाशित नहीं किया जा सकता। अध्यक्ष और सदस्यों के बीच पत्र-व्यवहार तो विशेष रूप से संरक्षित होता है। इन नए संस्कृति विरोधी वातावरण में ऐसे मामले भी हुए हैं जिनमें, अध्यक्ष को सदस्यों से पत्र प्राप्त होने से पर्व ही यह प्रैस के पास पहुंच जाता है और प्रकाशित हो जाता है। मैं इस प्रवृत्ति की पुरजोर निन्दा करता हूं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो लोग संसदीय संस्थानों की गरिमा को गिरा रहे हैं वही ससद के गिरते स्तर पर सबसे अधिक चिल्लाते हैं।

मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि कुलनदेईवेलु दलगत या विचार धारा संबंधी भावनाओं से ऊपर उठकर समिति को सही नेतृत्व प्रदान करेंगे और लोक लेखा समिति को सुचारू और गैर-पक्षपात पूर्ण ढंग से चलाने की परम्परा बनाए रखेंगे। मुझे उनके 11 मई, 1989 के पत्र से फिर आश्वासन मिला है जिसमें उन्होंने कहा है :

"मैं, इस समिति के कार्यचालन को गैर-पक्षपातपूर्ण ढंग से चलाने के लिए इस सदन तथा समिति की उच्च परम्पराओं को बनाए रखने का भरसक प्रयत्न करूंगा। संसद की यह सबसे पुरानी समिति जिस प्रकार से कार्य करेंगी, मुझे आशा है कि उससे अन्य विपक्षी दलों का भय भी दूर होगा।"

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस मामले में अपना निर्णय बदलने का कोई कारण नजर नहीं आता और मैं 1989-90 के लिए लोक लेखा समिति के सभापति के रूप में किसी सदस्य विशेष को नियुक्त करने की मांग अस्वीकार करता हूं।

(व्यवधान)

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव विजयवाड़ा) : महोदय, श्री कुलनदईवेलु एक विपक्षी सदस्य किस प्रकार हो सकते हैं ?...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका कारण बता चुका हूं।

(व्यवधान)

6.00 म० प०

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : इससे पहले कि आप यह सत्र समाप्त करें मैं कुछ कहना चाहता हूं।

यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बजट सत्र था। हमें इस सदन में बहुत काम करना था। कई मुद्दे उठे और विपक्षी सदस्य उस पर बहस करना चाहते थे और उन पर पूरी तरह से बहस की गई। जिसके परिणाम स्वरूप कई मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों पर विचार नहीं किया जा सका। किन्तु कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया गया। मैं सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं। कई बार तनाव भी रहा और कई बार अत्यन्त तीव्र मतभेद भी रहे। किन्तु मैं इस सदन के दोनों पक्षों के सदस्यों का उनके द्वारा दिए गए सहयोग के लिए उसका आभारी हूं। और इन सबसे बढ़कर अध्यक्ष महोदय, मैं, आपका आभारी हूं। इस सदन में आप पर काफी दबाव रहा। आपने इस सदन और सदस्यों का सम्मान करते हुए इस तनाव को बड़े ही धैर्य और गरिमा के साथ सहा। मैं अपने

सहयोगियों संसदीय कार्य मंत्रियों जिनको काफी तनाव झेलना पड़ा, लोकसभा सचिवालय, महासचिव समाचार पत्रों के लोगों तथा सुरक्षाकर्मी तथा अन्य सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं।

मेरे विचार से यह सत्र काफी महत्वपूर्ण एक ऐतिहासिक सत्र रहा। इसके अपने तनाव है, किन्तु यह लोकतंत्र का ही एक हिस्सा है, एक ऐसा भाग जो कई बार अपरिहार्य होता है।

मैं जानता हूं कि मतभेद हो सकता है। मुझे आशा है कि इस सब के बावजूद हम यहां से मित्रों की भान्ति जुदा होंगे। लोकतंत्र में, हमारा सम्बन्ध विभिन्न दलों से हो सकता है, किन्तु फिर भी हम मित्र रहेंगे और एक दूसरे का दृष्टिकोण समझते रहेंगे। विपक्षी नेताओं के लिए मेरे हृदय में सम्मान है। उनका रवैया सामान्यतः सहयोग पूर्ण रहा है और रहेगा। मैं उनका आभारी हूं। मैं इस ओर के सभी सदस्यों का भी आभारी हूं। मैं अपने सहयोगियों, मंत्रियों का आभारी हूं' मैं एक बार फिर आप सब के प्रति आभार प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, चूंकि आठवीं लोकसभा का तेरहवां सत्र आज समाप्त होता है, इसलिए मैं इस अवसर पर सदन की कार्यवाही चलाने के लिए मेरे सहयोगियों—उपाध्यक्ष महोदय तथा सभापति पैनल के सदस्यों और मुझे दिए गए सहयोग के लिए उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। यह एक लम्बा और व्यस्त सत्र रहा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सुनना नहीं चाहते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे सहयोग देने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है।

6.02 म० प०

तत्पश्चात लोकसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

(व्यवधान)

मुद्रक : सम्राट प्रैस, बी० 88, ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली-110020